सत्यमेव जयते

वन विभाग, राजस्थान

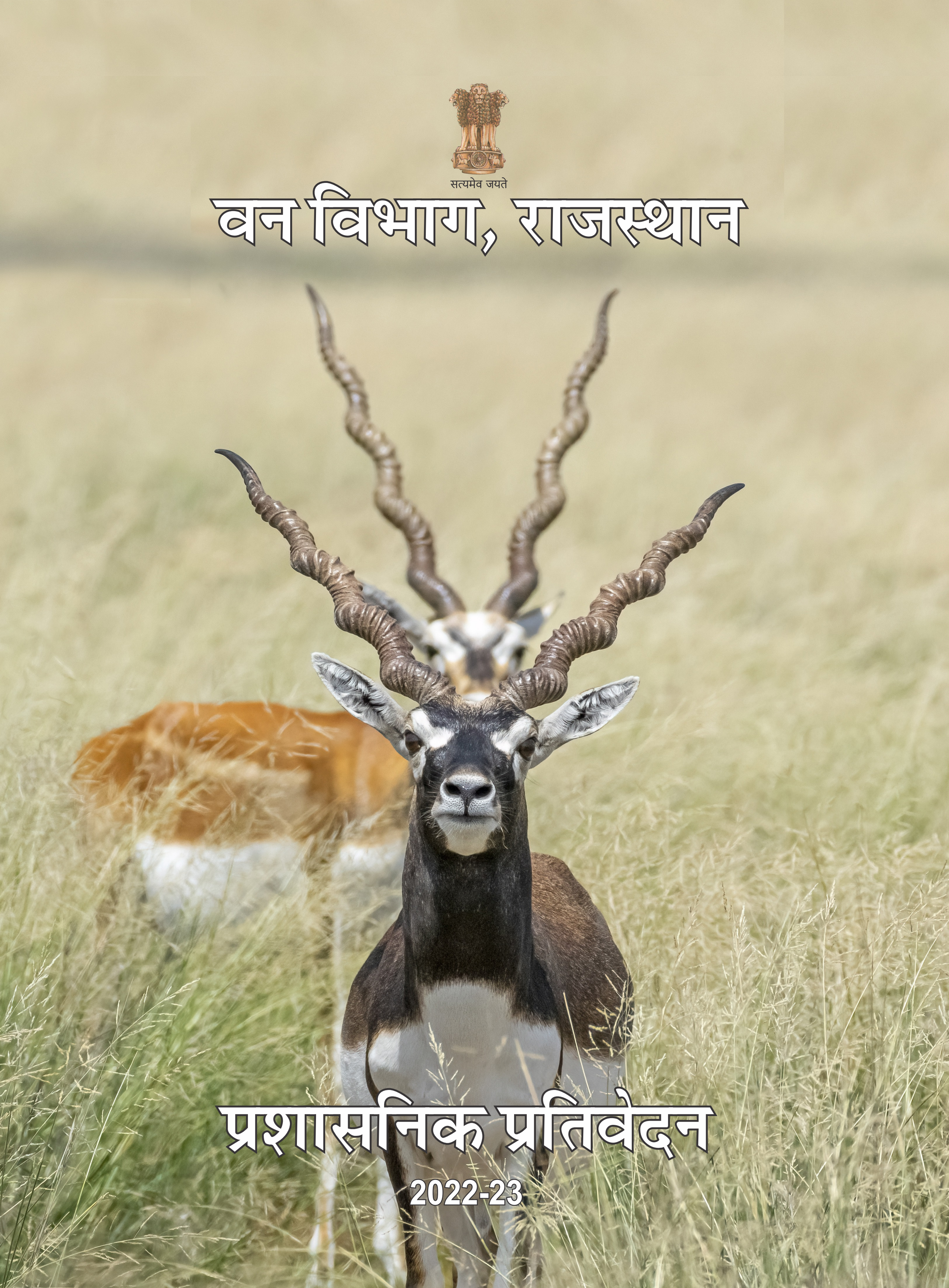

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2022-23

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
2022-23

वन विभाग, राजस्थान

www.forest.rajasthan.gov.in

मुख्य पृष्ठ : कृष्ण मृग,तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य, चुरू • छाया: अरिजीत बनर्जी (IFS)

सत्यमेव जयते

डॉ. डी.एन पाण्डेय IFS
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान अरण्य भवन,
झालाना संस्थानिक क्षेत्र,जयपुर
फोन : 0141-2700016

प्राक्कथन

राजस्थान प्रदेश जैवविविधता की दृष्टि से विविध एवं समृद्ध है। प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढ़ते जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए बदलते वैश्विक परिदृश्य में वन विभाग द्वारा भी परंपरागत रूप से अपनायी जा रही कार्य शैली में समसामयिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं। वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में वृद्धि, पारिस्थितिकी पयर्टन तथा वानिकी विकास हेतु नवीन तकनीकों का उपयोग करने की दिशा में निरंतर कार्य हुये हैं। राज्य वन नीति 2010 के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उक्त प्रयासों के फलस्वरूप ही वनक्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि, संरक्षित क्षेत्र एवं वन्यजीवों की संख्या में बढ़ोतरी तथा बाघ परियोजनाओं के साथ–साथ चम्बल घड़ियाल क्षेत्र में संरक्षण व पारिस्थितिकी पर्यटन के सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। इस दिशा मे ड्रोन द्वारा विषम वन क्षेत्रों में किया गया बीजारोपण भी एक सफल प्रयास है।

भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार गत रिपोर्ट 2019 के सापेक्ष वनावरण व वृक्षावरण में कुल 646.45 वर्ग कि.मी. की वृद्धि वन संवर्धन हेतु किये गये सार्थक प्रयासों का द्योतक है। वन विभाग पिछले अनेक वर्षो से प्रदेश में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस वर्ष भी प्रदेश में माह दिसम्बर 2022 तक 56410.75 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा इस अवधि में अब तक 104.45 लाख पौधे आमजन को वितरित किये गये हैं। औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में औषधीय पौधों के संरक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु घर–घर औषधि योजना प्रारंभ की गयी है। इसके अन्तर्गत तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रथम चरण के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय चरण में माह दिसम्बर 2022 में 127.01 लाख पौधे आमजन को वितरित किये जा चुके हैं। राज्य में इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने तथा आमजन को वनानुभव का लाभ देने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक–एक लव–कुश वाटिका तथा विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी)–जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में बोटेनिकल गार्डन्स स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य के सभी जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में चरणबद्ध रूप से आधुनिक वन्यजीव रोग निदान व रेस्क्यू संेटर विकसित किये जा रहे हैं।

बाघों तथा जैवविविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश के चतुर्थ टाईगर रिजर्व रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी की अधिसूचना जारी की गई है। वन्यजीव क्षेत्रों में विस्तार करते हुए प्रदेश में कन्जर्वेशन रिजर्व की कुल संख्या अब 19 हो गई हैं। वर्तमान में झालाना, आमागढ़, कुम्भलगढ़, रावली टाडगढ़, जयसमन्द, शेरगढ़ (बारां), माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, जवाई बांध एवं बस्सी व सीतामाता अभयारण्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाकर विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। वन्यजीवों के पर्यावास संरक्षण की दृष्टि से लोगों के विस्थापन हेतु प्रदेश की बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में स्वैच्छिक विस्थापन कार्य को गति प्रदान की गई है। वर्ष 2022–23 में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में 294, मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में 90 एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में 123 परिवारों को अन्यत्र बसाया गया है तथा नव अधिसूचित रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी में भी इस वर्ष में एक गांव को अन्यत्र बसाने का कार्य किया जा रहा है।

Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत गोडवण पक्षी के 21 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। खरमोर पक्षी (Lesser Florican) के संरक्षण के प्रयास भी आरंभ किये जाकर 8 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। हरित मुनिया का संरक्षण प्रजनन उदयपुर, पक्षी उद्यान में किया जाना आरम्भ हुआ है। चिड़ियाघरों, जैविक उद्यानों (Zoological Park -Zoo), संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित सफारी, कृत्रिम प्रजनन केन्द्रों एवं रेस्क्यू सेन्टर पर वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहायता के लिये राजस्थान एक्स सीटू कन्जर्वेशन ऑथोरिटी (RESCA) का गठन किया गया हैं। इस ऑथोरिटी के माध्यम से राज्य में आमजन, संस्था, कार्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponosorship Scheme लागू की गई है। विभाग अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष सभी की जानकारी के लिये प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में विभाग का वर्ष 2022–23 का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके सम्मुख है। इस प्रतिवेदन को बनाने एवं सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया गया है, जिसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि यह प्रतिवेदन सभी के लिये लाभकारी होगा।

(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
A.	कार्यकारी सारांश	1—6
B.	वन विभागः एक नजर में	7
C.	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की क्रियान्विति	8
D.	वर्ष 2019—20, 2020—21, 2021—22 एवं 2022—23 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति	9—18
E.	जन घोषणा पत्र	19
	अध्याय	
1.	राजस्थान का वन संसाधन : एक परिचय	20—23
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली	24—33
3.	वन सुरक्षा	34—42
4.	वानिकी विकास	43—60
5.	मृदा एवं जल संरक्षण	61—64
6.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	65—69
7.	वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	70—74
8.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	75—77
9.	वन अनुसंधान	78—82
10.	विभागीय कार्य योजना	83—85
11.	तेन्दू पत्ता योजना	86—88
12.	ई—गर्वनेंस	89—91
13.	मानव संसाधन विकास	92—97
	परिशिष्ठ	
(i)	जिलेवार वन क्षेत्र का वर्गीकरण	98
(ii)	वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों का विवरण	99—100
(iii)	ईको सेन्सटिव जोन घोषित करवाने सम्बन्धित प्रगति	101—102
(iv)	राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति	103—104
(v)	राजस्व प्राप्तियां	105
(vi)	वार्षिक योजना की भौतिक प्रगति	106
(vii)	बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण सम्बन्धित उपलब्धि	107
(viii)	विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति	108
(ix)	नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक व जन लेखा समिति के प्रतिवेदन	109
(x)	विधान सभा प्रश्नो के जवाब भिजवाने की प्रगति	110
(xi)	घर घर औषधि योजना अन्तर्गत पौध वितरण की प्रगति	111

कार्यकारी सारांश

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32869.69 वर्ग किमी. हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60 प्रतिशत है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं, जो कुल वन क्षेत्र के क्रमशः 37.05, 56.55 और 6.40 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2021 के अनुसार राज्य का वनावरण **(Forest Cover)** 16654.96 वर्ग किमी. तथा वृक्षावरण **(Tree Cover)** 8733 वर्ग किमी. है अर्थात राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 25387.96 वर्ग किमी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.42 प्रतिशत है।

वन विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर हैं, जिनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बंधी दायित्व का निर्वहन किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) के दायित्व निर्वहन में सहयोग हेतु राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं तथा प्रत्येक वन मंडल में सामान्यतः दो उपखंड हैं, जिसमें सहायक वन सरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। वन मंडल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज होती हैं, जिसके प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती हैं, जिसके प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। नाके के अन्तर्गत बीट का क्षेत्र होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा वृक्षपालक होता हैं एवं यह वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है।

विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय–प्रथम के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 09.12.2021 को जारी किया गया है विभाग द्वारा 127 सहायक वन संरक्षक तथा 106 क्षेत्रीय–प्रथम के पद पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। विभाग में वनपाल के 148 एवं वनरक्षक के 2646 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के संशोधित विज्ञप्ति क्रमाक कः प.14(84)RSSB/अर्थना/वन वि0/सीधी भर्ती/ 2020/1240 दिनांकः 21.12.2022 जारी कर दिया गया हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर द्वारा वनपाल एवं वनरक्षक के पदों पर लिखित परीक्षा करवा ली गई हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर द्वारा वनपाल की लिखित परीक्षा परिणाम दिनांक 22.12.2022 को जारी कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के स्तर पर वनरक्षक का परीक्षा परिणाम जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्ती दलों का गठन किया गया है। सुदूरवर्ती वन नाका/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं एवं कतिपय क्षेत्रों में वनकर्मियों को हथियार भी उपलब्ध करवाये गये है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006(2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानों अंतर्गत प्रदेश में आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों हेतु अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा "वन अधिकार समितियां" गठित की गई है। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग(नोडल विभाग) की विभागीय वेबसाईट के अनुसार प्रदेश में अक्टूबर,2022 तक कुल 113905 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 48489 (27651 हेक्टेयर) तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र 591 (20963.4 हेक्टेयर) कुल 49080 (48614.4 हेक्टेयर) वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संशोधित नियम–2022 दिनांक 28.06.2022 से लागू किया गया है जिसके अंतर्गत नवीन प्रस्ताव ऑनलाइन परिवेश–2.0 पोर्टल पर अपलोड किए जाने का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत 5 हैक्टेयर वन भूमि से कम के प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण उप वन संरक्षक स्तर पर एवं 5 हैक्टेयर वनभूमि से अधिक प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण नोडल स्तर पर होगा।

इस वर्ष भी प्रदेश में माह दिसम्बर तक 56410.75 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा इस अवधि में अब तक 104.45 लाख पौधे आमजन को वितरित किये गये हैं। वन विभाग द्वारा दो नवीन परियोजनाऐं "Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conservation Project (RABCP)" JICA के सहयोग से 19 जिलों में तथा "Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP)" AFD फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में वित्त पोषित करवाई जा रही है।

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण से सीए, एनपीवी, एपीसीए, पीसीए, वन्यजीव प्रबन्धन आदि शर्तें अधिरोपित कर राशि संग्रहण की जाती है । उक्त

राशि के द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना एवं वन भूमि/वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास, प्रबन्धन किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील किया गया है । इन अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है।

वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा राशि रू. 1748.25 करोड राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण को दिनांक 29 अगस्त 2019 को स्थानांतरित कर दी गई है। वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्य योजना राशि रू. 249.19 करोड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई एवं राशि रू. 245.00 करोड राज्य सरकार द्वारा रिलीज की गई । माह दिसम्बर 2022 तक राशि रू. 114.45 करोड का व्यय हो चुका है ।

मिटिगेटिव मैजर्स के तहत् वर्ष 2019–20 तक कुल राशि रू. 2580.97 लाख एडहॉक कैम्पा से प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध वर्ष 2020–21 तक राशि रू. 2132.19 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 से वर्ष 2021–22 राशि रू. 495.41 लाख एवं वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर 2022 तक राशि रू. 153.91 लाख स्टेट कैम्पा से व्यय की जा चुकी है । योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 तक 8.805 कि.मी. (2.5 मीटर ऊँची), 61.38 कि.मी. (1.5 मीटर ऊँची) दीवार का निर्माण तथा 740.00 है0 में वृक्षारोपण कराया गया है।

राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित विकास कार्यों की गुणवत्ता विदित करने एवं सुनिश्चित करने के मद्देनजर मूल्यांकन कार्यों हेतु सम्भागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई सृजित है। सभी मूल्यांकन इकाईयों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं। विभागीय वृक्षारोपण कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा तैयार एक नवीन मोबाईल एप "वृक्षारोपण निगरानी एप" भी प्रचलित किया गया है।

राज्य में शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मंडल की स्थापना की गई। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वही से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं। वन अनुसंधान कार्यो की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा निर्देश देने के लिये विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। वर्ष 2022 में आरएजी की बैठक का आयोजन किया गया है।

राज्य में इमारती लकड़ी, बांस एवं अन्य लघु वन उपजों के दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (RSFDC) का गठन किया जाकर ''कम्पनीज ऑफ रजिस्ट्रार'' में कम्पनीज एक्ट, 2013 अनुसार दिनांक 16.12.2020 रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। जिसका मंत्रीमंडल आज्ञा 02/21 दिनांक 20.01.2021 से अनुमोदन प्राप्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा निगम मे 154 पद स्वीकृत किये गये है जिन्हें प्रतिनियुक्ति से भर लिया गया है। निगम अंतर्गत तेन्दू पत्ता संग्रहण, इमारती लकड़ी एवं बांस की कटाई संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है।

विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं सफलतापूर्वक इनको सम्पादित करने के लिये ई–गवर्नेंस सैल का गठन किया गया है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत नवीन इन्टीग्रेटेड पोर्टल–forest.rajasthan.gov.in को विकसित कराया गया है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। यह पोर्टल नागरिकों को विभाग की सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने हेतु उपयोगी है।

विभाग में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर पर विभाग की गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्य कलापों से संबंधित सूचनाओं को रोचक तरीकों से आम जन तक उपलब्ध कराने हेतु वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ग्राफिक्स, वीडियो, सूचनाओं एवं अन्य गतिविधियों को दैनिक रूप से पोस्ट किया जा रहा है।

विभाग में FMDSS 2.0 अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से नवीनतम सुविधायें लिये हुए तैयार किया जाकर अरण्यक के नाम प्रारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत पूर्व में विकसित जन सुविधाओं जैसे सफारी बुकिंग, एन0ओ0सी0 आवेदन, अमृतादेवी पुरस्कार एवं अन्य आवेदन की सुविधाओं को उन्नतीकरण एवं विभागीय स्तर के कार्यो के अंतर्गत एनालिटिक्स व अन्य आवश्यक फीचर्स को जोडा जाकर बेहतर बनाने का कार्य किया गया है।

राज्य सरकार के राज–काज पोर्टल द्वारा भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियो के लिए अवकाशों (कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशों के अतिरिक्त) का आवेदन व स्वीकृति एवं ई–फाईल का कार्य इस मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त Online APARs, IPRs & Store Modules (Selected Offices) का कार्य भी इसके माध्यम से किया जा रहा है।

विभाग में इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारम्भ की गयी घर–घर औषधि योजना (GGAY) के व्यापक प्रचार प्रसार एवं मॉनिटरिंग के लिए पृथक मोबाइल एप का निर्माण कराया गया है जिसके माध्यम से फील्ड स्तर का डाटा आसानी से एकत्र किया जाना संभव होगा।

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन

एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के समस्त संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त सम्बंधित व्यक्तियों/छात्रों/संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु चार संस्थाएं यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर एवं वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र, तालछापर में स्थित है। तालछापर (चुरू) स्थित प्रशिक्षण केन्द्र को मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021–22 की अनुपालना में पश्चिमी राजस्थान के मरूस्थलीय परितन्त्र एवं वन्यजीवों के अध्ययन एवं प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया गया है।

राज्य में 4 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में स्थित है, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित "कॉन्सेप्ट प्लान" के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, जयपुर एवं कोटा में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः माचिया जैविक उद्यान, सज्जनगढ जैविक उद्यान, नाहरगढ जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान विकसित किए गये हैं। बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर जैविक उद्यान विकसित किये जा रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा इस योजना का फंडिंग पैटर्न वर्ष 2015–16 से परिवर्तित कर 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य हिस्सा किया गया है। वर्ष 2022–23 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 34 संरक्षित क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत कुल रुपये 12113.50 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम हेतु राशि रूपये 1456.12 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हैबिटाट डेवलपमेंट, वाटर पॉईन्टस, फायर लाईन्स दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जाते है।

इस वर्ष रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी टाईगर की अधिसूचना जारी की गई हैं। यह राज्य का चतुर्थ टाईगर रिजर्व हैं। राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्त पोषित केन्द्र प्रवर्तित योजना "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारत–सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार में हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार सम में गोडवाण का कृत्रिम प्रजनन आरम्भ कर दिया गया है। गोडावण के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत गोडवण पक्षी के 21 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। खरमोर पक्षी (Lesser Florican) के संरक्षण के प्रयास भी आरंभ किये जाकर 8 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। हरित मुनिया का संरक्षण प्रजनन उदयपुर, पक्षी उद्यान में किया जाना आरम्भ हुआ है।

पैंथर संरक्षण के लिये "प्रोजेक्ट लैपर्ड" के तहत सर्वप्रथम झालाना जयपुर को चयनित किया जाकर इसमें लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई। वर्तमान में झालाना आमागढ़, कुम्भलगढ़, रावली टाडगढ़, जयसमन्द, शेरगढ़ (बारां), माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, जवाई बांध एवं बस्सी व सीतामाता अभयारण्य क्षेत्रों को प्रोजेक्ट लैपर्ड में सम्मिलित किया जाकर विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलीफेन्ट अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर में रह रहे पालतू हाथियों के लिये वर्ष 2022–23 हेतु राशि रुपये 76.00 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

राज्य में स्थित चिड़ियाघरों, जैविक उद्यानों (Zoological Park -Zoo), संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित सफारी, कृत्रिम प्रजनन केन्द्रों एवं रेस्क्यू सेन्टर पर वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहायता के लिये राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत राजस्थान एक्स सीटू कन्जर्वेशन ऑथोरिटी (RESCA) का गठन किया गया हैं

प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग द्वारा राज्य वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, जन सहभागिता से संचालित वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं।

वन विभाग राजस्थान, राज्य में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं समग्र विकास हेतु सदैव तत्पर, एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित परिवार हैं, जिसका प्रत्येक सदस्य विभाग में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध है।

वन विभाग : एक नजर में

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32,869.69 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.60
प्रदेश का कुल वनावरण	:	16,654.96 वर्ग किमी.
वृक्षावरण	:	8,733 वर्ग किमी.
वनावरण एवं वृक्षावरण	:	25387.96 वर्ग किमी.
राज्य पशु	:	चिंकारा एवं ऊंट
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	3
वन्यजीव अभयारण्य	:	26
कंजर्वेशन रिजर्व	:	19
बाघ परियोजनाएं	:	4 (रणथम्भौर, सरिस्का, मुकन्दरा हिल्स एवं रामगढ़ विषधारी)
रामसर स्थल	:	2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील)
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	38
वन्यजीव मण्डल	:	16
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (कैडर स्ट्रेंथ)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	429
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	7,658
एस.टी.पी.एफ.रणथम्भौर	:	112
लेखा एवं तकनीकी संवर्ग	:	734
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	965
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	:	413
कार्यप्रभारित कर्मचारी	:	3258

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वर्ष 2022
की क्रियान्विति की सूचना

विभाग से संबंधित अभिभाषण के बिन्दु	क्रियान्विति
राज्य में औषधीय पौधें उपलब्ध कराने हेतु ''घर–घर औषधि योजना'' की शुरूआत की गई।	• माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 1 अगस्त, 2021 को घर–घर औषधि योजना की शुरूआत की गयी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के पौधें निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना था। • उक्त योजना अन्तर्गत प्रदेशभर में वित्तीय वर्ष 2021–22 में 518.78 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 127.01 लाख औषधीय पौधें आमजन को निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये हैं।

वर्ष 2022—23 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1	98.0.0	राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने तथा हरियाली बढ़ाये जाने हेतु आगामी वर्ष में 50 हजार हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है।	राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने तथा हरियाली बढ़ाये जाने हेतु वर्ष 2022—23 में 56000 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण कराया जा चुका है।	पूर्ण	31.03.2023
2	99.0.0	विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी)—जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में 30 करोड़ रूपये की लागत से Botanical Gardensस्थापित किये जायेंगे।	विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी)—जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में Botanical Gardensस्थापित किये जाने हेतु सभी 6 स्थानों पर Botanical Gardensस्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।	प्रगतिरत	31.03.2023
3	101.0.0	आमजन, संस्था, कार्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponsorship Scheme शुरू की जायेगी।	आमजन, संस्था, कार्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponsorship Scheme शुरू किये जाने के क्रम में योजना प्रारंभ कर दी गई है।राजस्थान एक्स—सीटू कन्जर्वेशन ऑथोरिटी (RESCA) के गठन किये जाने के क्रम में संस्था का पंजीकरण दिनांक 06.05. 2022 को राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अंतर्गत हो गया है। समस्त क्षेत्र निदेशकों/मुख्य वन संरक्षकगणों को जैविक उद्यानों एवं जन्तुआलयों में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने हेतु आमजन एवं विभिन्न संस्थाओं को प्रेषित करने बाबत निर्देश जारी किये जा चुके हैं।	पूर्ण	31.03.2023

4	102.0.0	राज्य के सभी जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में चरणबद्ध रूप से आधुनिक वन्यजीव रोग निदान व रेस्क्यू सेंटर विकसित किये जायेंगे। प्रथम चरण में नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर तथा माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर में ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस कार्य हेतु 10 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित है।	राज्य के सभी जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में चरणबद्ध रूप से आधुनिक वन्यजीव रोग निदान व रेस्क्यू सेंटर विकसित किये जाने के क्रम में नाहरगढ़ (जयपुर) में जेडीए तथा माचिया (जोधपुर) में PWD को एजेन्सी बनाया जाकर कार्य कराया जा रहा है।	प्रगतिरत	31.03.2023
5	266.0.0	राज्य में इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2–2 करोड़ रूपये की लागत से प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक–एक इको–टूरिज्म लव–कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा करता हूँ। इसमें आनासागर झील–अजमेर; चूहड़ सिद्ध घाटी–अलवर; सवाई माता–बांसवाड़ा; शाहबाद–बारां; जूनापत्रसार–बाड़मेर; मांडेरा रूंध–भरतपुर; भड़क, छत्रीखेड़ा–भीलवाड़ा; जोडबीड–बीकानेर; भीमलत–बूंदी; मोहर मगरी–चित्तौड़गढ़; श्याम पांडिया, तारानगर–चुरू; गोल (मेन)–दौसा; दमोह वाटरफॉल–धौलपुर; रतनपुर, बिछीवाड़ा–डूंगरपुर; धन्नासार बरानी–हनुमानगढ़; नईनाथ बांसखोह–जयपुर; कनोई–जैसलमेर; सुंधा माता–जालौर; बड़बेला तालाब–झालावाड़; मनसा माता–झुझुनूं; माचिया–जोधपुर; कैलादेवी नेचर कैम्प–करौली; आवली रोजड़ी–कोटा; गोगेलाव–नागौर; खोबागुड़ा, देसूरी–पाली; गोतमेश्वर, लालगढ़–प्रतापगढ़; रूप नगर, झीलवाड़ा–राजसमंद; विजयगढ़, बौंली–सवाई माधोपुर; हर्ष पर्वत–सीकर; राजल दाबेला–सिरोही; 3 एमएसडी डाबला–श्रीगंगानगर; बीसलपुर–टोंक एवं माछला मगरा–उदयपुर सम्मिलित किये जायेंगे।	राज्य में इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक–एक इको–टूरिज्म लव कुश वाटिका विकसित किये जाने हेतु सभी 33 जिलों में कार्य प्रगति पर हैं।	प्रगतिरत	31.03.2023

6	342.0.0	सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को ईको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु डीपीआर बनायी जायेगी।	सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को ईको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु वर्ष 2022–23 में राशि रू. 50.00 लाख का आवंटन किया गया है। सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र में ईको पार्क एवं पक्षी विहार में इको ट्रेल, झोंपा निर्माण, साइनेज बोर्ड, बर्ड हाईड्स, वृक्षारोपण, सीटिंग बैंचेस, वॉच टॉवर मरम्मत एवं विलायती बबूल उन्मूलन का कार्य कर 35.86 लाख रू. का व्यय किया गया है। शेष कार्य प्रगतिरत है।	प्रगतिरत	31.03.2023

वर्ष 2021–22 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति							वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
			क्रम	पदनाम	पदों की संख्या बजट वर्षवार			कुल	उपलब्धि/वर्तमान स्थिति		
					2019–20	2021–22	2022–23				
1	60.05.0	आगामी 2 वर्षों में वन विभाग में 1700 पदों पर भर्तियां की जायेंगी।	1	सहायक वनसंरक्षक	99	28	0	127	127 को नियुक्ति प्रदान	प्रगतिरत	31.03.2023
			2	रेंजर ग्रेड–प्रथम	105	10	0	115	106 को नियुक्ति प्रदान एवं 09 शारीरिक दक्षता/चिकित्सा परीक्षा के कारण शेष		
			3	वनपाल	87	12	49	148	चयनबोर्ड द्वारा दिनांक 22.12.22 को परिणाम घोषित		
			4	वनरक्षक	1041	1259	346	2646	चयन बोर्ड द्वारा नवम्बर–दिसम्बर में परीक्षा आयोजित परिणाम शेष		
			5	वाहन चालक	99	54	0	153	कॉमन भर्ती एजेन्सी के माध्यम से भर्ती कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित		
			6	सर्वेयर	43	0	0	43	चयनबोर्ड के स्तरपरकार्यवाही शेष		
			7	कनिष्ठ अभियंता	0	05	0	05	वित्त विभाग के आक्षेप की स्पष्ट सूचना दिनांक 02.11.22 से प्रमुवसं (हॉफ) कार्यालय से अपेक्षित		
			8	प्रयोगशाला सहायक	0	13	0	13			
			9	ट्रैक्टर गार्ड	0	15	0	15			
			10	आशुलिपिक	0	11	0	11	दिनांक 25.01.22 को अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित		
				योग	**1474**	**1407**	**395**	**3276**			

2	201. 00.0	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर विश्व में पक्षियों की शरणस्थली के रूप में विख्यात है। यह यूनेस्को हेरिटेज एवं रामसर recognised साइट है। इसके महत्व को देखते हुए इसे Wetland Birds Habitat Conservation Centre के रूप में विकसित किया जायेगा।	Wetland Birds Habitat Conservation Centre विकसित किये जाने हेतु WWF को Knowledge Partnerके रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 04.01.2022 को MOUहस्ताक्षरित कर लिया गया है। IIT, हैदराबाद से DPR तैयार कराकर, विकास कार्य प्रारंभ करा दिए गए हैं।	प्रगतिरत	31.03.2022 31.03.2023 (R)
3	202.0.0	तालछापर अभ्यारण्य, चूरू में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा।	तालछापर अभ्यारण्य, चूरू में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिए गए हैं।	पूर्ण	31.03.2021 27.03.2021(R)
4	203.0.0	चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य के खण्डार–सवाईमाधोपुर खण्ड में पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य करवाये जायेंगे।	चम्बल घड़ियाल अभयारण्य के खण्डार–सवाईमाधोपुर खण्ड में पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतु पालीघाट स्थल पर पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बोट जेटी, पीने के पानी की सुविधा, वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर का निर्माण, नदी तट का सौन्दर्यकरण और बैठने की सुविधा, टेन्ट की सुविधा, 3 नाव क्रय करना एवं वॉच टॉवर रिसेप्शन प्लेटफार्म निर्माण कर राशि रू. 318 लाख के विकास कार्य कराए गए हैं।	प्रगतिरत	31.03.2023
5	204.0.0	जोधपुर में 8 मील पर स्थित वन विभाग की भूमि पर, जयपुर के कर्पूर चन्द कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर 20 करोड़ रुपये की लागत से वॉकिंग ट्रेक, योगापार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधायुक्त 'पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन' स्थापित करने की घोषणा।	जोधपुर में 8 मील पर स्थित वन विभाग की भूमि पर, जयपुर के कर्पूर चन्द कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर 20 करोड़ रुपये की लागत से 'पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन' स्थापित करने के क्रम में मौके पर 1700 मी. दीवार निमार्ण, 1100 मी. चेन लिंक फैंसिंग एवं 2400 पौधें लगाने का कार्य किया जा चुका है। बाकी के कार्यों हेतु डी.पी.आर. को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	प्रगतिरत	29.03.2025

6	205.0.0	राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको बढ़ावा देने के लिए 'घर–घर औषधि योजना' शुरू की जायेगी। जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराये जायेंगे।	योजना तहत वर्ष 2021–22 में 518.78 लाख तथा वर्ष 2022–23 में 127.01 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है।	पूर्ण	29.03.2025
7	343.0.0	फतेहपुर–सीकर में सिटी नेचर पार्क का निर्माण करवाया जायेगा।	फतेहपुर–सीकर में सिटी नेचर पार्क का निर्माण करवाये जाने के क्रम में वर्ष 2022–23 में आवंटित राशि 75.00 लाख रू. अन्तर्गत, 370 मी. दीवार, विलायती बबूल आदि झाड़ियों का उन्मूलन, 1 नाड़ी, 3500 पौधों का वृक्षारोपण, ट्रेक मार्किंग, सोलर पम्प सेट, सीटिंग बैंच एवं 2 झोंपे आदि का निर्माण कार्य कर राशि 66.41 लाख रू. का व्यय किया गया है। शेष कार्य प्रगतिरत है।	प्रगतिरत	30.09.2023
8	358.0.0	राज्य में वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु वृक्षारोपण तथा अग्रिम मृदा कार्यों के लिए आगामी 2 वर्षों में 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।	राज्य में वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु राज्य योजना के तहत वर्ष 2021–22 में राशि 156 करोड़ रू. व्यय कर वृक्षारोपण एवं अग्रिम कार्य कराया गया है।	पूर्ण	31.03.2023

वर्ष 2020–21 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	कियान्वयन हेतु समय सीमा
1	175.01.0	राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनभागीदारी से सघन वृक्षारोपण जैसे कार्य करवाये जायेंगे।	राज्य में निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य कराए गए हैं:– वित्तीय वर्ष – वृक्षारोपण (है0 में) 2020–21 – 20964 2021–22 – 32443 2022–23 – 56410	पूर्ण	31.03.2021
2	176.0.0	गुरूनानक देव जी की 550 वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में 5 जिलों हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से एक विद्यमान उद्यान/नये उद्यान को गुरूनानक जयन्ती पार्क के रूप में विकसित किया जायेगा। इस पर कुल 1 करोड 25 लाख रूपये का व्यय होगा।	550 वीं गुरूनानक जयन्ती पर राज्य के पांच सिख बहुल्य जिले यथा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बून्दी मे वृक्ष वाटिका की स्थापना की जा चुकी है।	पूर्ण	31.03.2025
3	177.0.0	राज्य में वनों की उत्पादकता बढाने और इमारती लकडी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु 'राजस्थान राज्य वन विकास निगम' गठित किया जायेगा।	राज्य में वनों की उत्पादकता बढ़ाने और ईमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम का गठन दिनांक 16.12.2020 को किया जा चुका है। माह जनवरी, 2023 से निगम पूर्णतया कार्यशील हो गया है।	पूर्ण	31.03.2021

4	255.0.0	मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को Leopard Conservation Area के रूप में विकसित किया जायेगा।	मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को Leopard Conservation Areaके रूप में विकसित करने हेतु 4304 रमी पक्की दीवार, 500 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य, 18 वाटर हॉल का निर्माण, 5 तलाई निर्माण, 15 किमी नेचर ट्रेल , 1 गजलर , ड्रोन द्वारा सिडींग, 2 वाटर बॉडी , 2 वन रक्षक चौकी निर्माण, 1 नाका निर्माण एवं 1 वॉच टावर का कार्य कर राशि रू. 242 लाख के विकास कार्य कराए गये हैं।	पूर्ण	31.03.2021
5	322.0.0	सवाईमाधोपुर जिले में चंबल घड़ियाल अभयारण्य को विकसित किया जायेगा।	सवाईमाधोपुर जिले में चंबल घड़ियाल अभयारण्य विकसित किये जाने हेतु घड़ियाल संभावित क्षेत्रों में 6 फीट दीवार निर्माण कार्य, वन क्षेत्रों का पिलर द्वारा सीमाकन, क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु वाचर लगाने, इन सीटू हैचरी निर्माण पर राशि 1.57 करोड रू. के विकास कार्य कराए गए हैं।	पूर्ण	31.03.2021

वर्ष 2019–20 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1	48.0.0	राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सहभागिता से एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर Japan International Co-operation Agency (JICA) को प्रस्तुत किया जायेगा।	राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 17 जिलों में राशि रू. 1803 करोड़ के कार्य कराने हेतु परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के माध्यम से JICA को दिनांक 07.04.2021 को प्रेषित की जा चुकी है।	पूर्ण	31.03.2020
2	134.09.0	प्रदेश में इस वर्ष वन विभाग द्वारा लगभग 1474 पदों पर भर्तियां की जायेंगी।	(नीचे दी गई तालिका देखें)	प्रगतिरत	31.12.2020 31.03.2023 (R)

क्रम	पदनाम	पदों की संख्या बजट वर्षवार			कुल	उपलब्धि/वर्तमान स्थिति
		2019–20	2021–22	2022–23		
1	सहायक वनसंरक्षक	99	28	0	127	127 को नियुक्ति प्रदान
2	रेंजर ग्रेड–प्रथम	105	10	0	115	106 को नियुक्ति प्रदान एवं 09 शारीरिक दक्षता/चिकित्सा परीक्षा के कारण शेष
3	वनपाल	87	12	49	148	चयनबोर्ड द्वारा दिनांक 22.12.22 को परिणाम घोषित
4	वनरक्षक	1041	1259	346	2646	चयन बोर्ड द्वारा नवम्बर–दिसम्बर में परीक्षा आयोजित परिणाम शेष
5	वाहन चालक	99	54	0	153	कॉमन भर्ती एजेन्सी के माध्यम से भर्ती
6	सर्वेयर	43	0	0	43	चयनबोर्ड के स्तरपरकार्यवाही शेष
7	कनिष्ठ अभियंता	0	05	0	05	वित्त विभाग के आक्षेप की स्पष्ट सूचना दिनांक 02.11.22 से प्रमुवसं (हॉफ) कार्यालय से अपेक्षित
8	प्रयोगशाला सहायक	0	13	0	13	
9	ट्रैक्टर गार्ड	0	15	0	15	
10	आशुलिपिक	0	11	0	11	दिनांक 25.01.22 को अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित
	योग	1474	1407	395	3276	

3	146.0.0	रणथम्भौर नेशनल पार्क देश–विदेश के वन्यजीव प्रेमियों में काफी लोकप्रिय है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर राजस्थान को पहचान मिली है। टाईगर के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम विशेष प्रयास करेंगे।	टाईगर के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए पार्क की परिधि पर सुरक्षा हेतु 184.34 किमी सुरक्षा रोड, 224.17 किमी दीवार, 6 चौकियों का निर्माण एवं 187 बॉर्डर होमगार्ड/होमगार्डों का नियोजन। जानवरों को पानी उपलब्ध कराने हेतु 52 सोलर पंप एवं 95 किमी पाइप लाइन का निर्माण। आगामी 10 वर्षों की बाघ संरक्षण योजना तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित। हॉफ/फुल डे सफारी संचालन बंद।	पूर्ण	31.03.2022
4	147.0.0	गोडावण प्रदेश का राज्य पक्षी है। दुनिया में इस प्रजाति की संख्या अब 200 से भी कम रह गयी है, जिसमें से अधिकतर राजस्थान में ही हैं। अतः गोडावण के प्रभावी संरक्षण हेतु योजना बनायी जायेगी। साथ ही, इनकी artificial hatching हेतु भी प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं।	Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु सम एवं रामदेवरा (जैसलमेर) में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर प्रारंभ कर दिए गए हैं। वर्तमान में 20 चूजों का पालन एवं संरक्षण इन केन्द्रों में किया जा रहा है।	पूर्ण	31.03.2022
5	300.0.0	रणथम्भौर के निकट बून्दी और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए परीक्षण करवाया जायेगा।	रामगढ़ विषधारी को टाईगर रिजर्व के रूप में दिनांक 16.05.2022 को अधिसूचित किया जा चुका है।	पूर्ण	31.03.2021

जन घोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज)

<table>
<tr><th>कमांक</th><th>विवरण</th><th>अद्यतन प्रगति</th><th>वर्तमान स्थिति</th><th>कियान्वयन हेतु समय सीमा</th></tr>
<tr><td>15.6</td><td>प्रदेश पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए अधिक से अधिक पेड लगाने का युद्व स्तर पर अभियान चलाया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक इच्छुक नागरिक को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाये जायेगें।</td><td>

- राज्य में निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य कराए गए हैं:–

वित्तीय वर्ष	वृक्षारोपण (है0 में)
2020–21	20964
2021–22	32443
2022–23	56410

- घर–घर औषधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 64.85 लाख परिवारों को 518.78 लाख पौधे वितरित।
- घर–घर औषधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के 33 जिलों में 126.51 लाख औषधीय पौधों के विरूद्व दिनांक 05.12.2022 तक 127.01 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है।

</td><td>पूर्ण</td><td></td></tr>
<tr><td>15.6</td><td>राज्य की वन एवं वन्यजीवों के उत्कृष्ट प्रबन्धन हेतु राज्य वन एवं वन्य जीव प्रबन्धन बोर्ड का गठन।</td><td>

- राज्य में राज्य वन्यजीव मण्डल पहले से गठित होने के कारण वन्यजीव प्रबन्धन बोर्ड की पृथक से आवश्यकता नहीं है।
- राज्य वन सलाहकार परिषद के पहले से ही गठन होने के कारण पृथक से बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है।

</td><td>पूर्ण</td><td></td></tr>
</table>

अध्याय–1
राजस्थान के वन संसाधनः एक परिचय

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून अनुसार 23^{0} 40′ एवं 30^{0} 11′ उत्तरी अक्षांश तथा 69^{0}29′ एवं 78^{0}17′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 342239 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.59 प्रतिशत भू–भाग पर वन क्षेत्र है तथा अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से 15 वें स्थान पर है। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग मरूस्थलीय या अर्द्धमरूस्थलीय हैं, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यत्र–तत्र विद्यमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरूस्थलीय एवं गैर मरूस्थलीय भागों को अलग करती है।

1.1 वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

प्रदेश में कुल अभिलेखित वनक्षेत्र (Recorded forest Area) 32869.69 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserved Forest)	12176.28	37.05
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18588.39	56.55
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest)	2105.03	6.40
	योग	**32869.69**	**100**

1.2 भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2021

देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये 1987 से प्रत्येक दो वर्ष पर सुदूर संवेदन (Remote Sensing) आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' जारी की जाती है। इसी क्रम में भारतीय दूर–संवेदी उपग्रह (IRS Resourcesat-2 LISS III Satellite) से माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2019 की अवधि में प्राप्त ऑकड़ों का उपयोग किया जाकर भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report)–2021 जारी की गई जो इस श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के क्रम में प्रकाशित सूचना के मुख्य अंश निम्नानुसार हैः–

1.2.1 Forest Cover in Rajasthan

	Area (in Sq Kms)	% of Geographical Area
VDF- Very Dense Forest (>70% Crop Density)	78.15	0.02
MDF-Moderately Dense Forest (40-70% Crop Density)	4368.65	1.28
OF- Open Forest (10-40% Crop Density)	12208.16	3.57
Total	16654.96	4.87
Scrub(< 10% Crop Density)	4808.51	1.41

1.2.2 Percentage area under different forest types of Rajasthan

As per the Champion & Seth Classification of Forest Types (1968), The forests in Rajasthan belong to two type groups i.e. Tropical Dry Deciduous and Tropical Thorn Forests which are further divided into 20 Forest Types. The Percentage area under different forest types of Rajasthan is given below:

S.No.	Forest Type	% of Forest Cover
1	5A/C1a Very Dry Teak Forest	4.92
2	5A/C1b Dry Teak Forest	0.22
3	5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest	38.78
4	5/E1/DS1 Dry Deciduous Scrub	10.92
5	5/DS2 Dry Savannah Forest	0.01
6	5/E1 *Anogeissus pendula* Forest	14.78
7	5/E1/DS1 *Anogeissus pendula* Scrub	2.45
8	5/E2 *Boswellia* Forest	0.71
9	5/E5 *Butea* Forest	0.25
10	5/E6 *Aegle* Forest	0.01
11	5/E8a Phoenix /savannah Forest	0.01
12	5/1S1 Dry Tropical Riverain Forest	0.23
13	5/1S2 Khair Sissu Forest	1.42
14	6B/C1 desert Thorn Forest	3.80
15	6B/C2 Ravine Thorn Forest	1.54
16	6B/DS1 *Zizyphus* Scrub	0.77
17	6/DS2 Tropical *Euphorbia* Scrub	0.01
18	6/E1 *Euphorbia* Scrub	0.62
19	6/E2 *Acacia senegal* Forest	0.22
20	6/1S1 Desert Dune Scrub	4.53
21	Plantation/Tree Outside Forests (TOF)	13.80
	Total	100

1.2.3 District -wise Forest Cover in Rajasthan

Area in Sq. Kms

District	Geographical Area (GA)	2021 Assessment				% of GA	Change w.r.t. 2019 assessment	Scrub
		VDF	MDF	OF	Total			
Ajmer	8481	0.00	46.49	285.07	331.56	3.91	26.45	175.72
Alwar	8380	59.70	334.65	801.56	1195.91	14.27	-0.75	243.08
Banswara	4522	0.00	38.52	230.09	268.61	5.94	0.19	60.17
Baran	6992	0.00	153.66	856.39	1010.05	14.45	-0.94	98.93
Barmer	28387	0.00	4.79	284.43	289.22	1.02	-0.57	223.18
Bharatpur	5066	0.00	26.33	194.73	221.06	4.36	-9.21	77.15
Bhilwara	10455	0.00	33.31	191.00	224.31	2.15	0-12	189.76
Bikaner	30239	0.88	28.06	250.77	279.71	0.92	24.10	49.86
Bundi	5776	1.00	138.98	424.37	564.35	9.77	7.17	172.67
Chittaurgarh	7822	0.00	222.01	768.04	990.04	12.66	1.25	107.42
Churu	13835	0.00	2.44	75.25	77.69	0.56	-4.31	27.48
Dausa	3432	0.00	11.15	105.45	116.60	3.40	-0.40	94.66
Dhaulpur	3033	0.00	79.75	339.32	419.07	13.82	0.07	76.07
Dungarpur	3770	0.00	42.53	262.01	304.54	8.08	2.24	83.37
Ganganagar	10978	0.00	9.87	105.22	115.09	1.05	2.17	15.78
Hanumangarh	9656	1.01	6.80	85.16	92.97	0.96	3.01	6.71
Jaipur	11143	12.00	97.20	445.66	554.86	4.98	2.10	272.85
Jaisalmer	38401	3.56	48.64	270.19	322.39	0.84	-3.38	206.14
Jalor	10640	0.00	22.67	212.94	235.61	2.21	-32.46	221.89
Jhalawar	6219	0.00	83.39	353.28	436.67	7.02	1.09	102.57
Jhunjhunun	5928	0.00	20.79	180.17	200.96	3.39	0.19	179.54
Jodhpur	22850	0.00	4.26	104.99	109.25	0.48	1.47	163.53
Karauli	5524	0.00	96.04	747.80	843.84	15.28	-26.16	300.54
Kota	5217	0.00	153.28	391.55	544.83	10.44	-1.90	135.83
Nagaur	17718	0.00	14.11	155.65	169.76	0.96	22.72	87.71
Pali	12387	0.00	211.60	498.26	700.86	5.66	26.01	357.60
Pratapgarh	4449	0.00	562.97	470.80	1033.77	23.24	-4.14	59.05
Rajsamand	4655	0.00	129.94	386.93	516.87	11.10	-4.92	126.06
Sawi Madhopur	4498	0.00	171.30	293.31	464.61	10.33	1.92	138.52
Sikar	7732	0.00	31.51	170.67	202.18	2.61	9.12	198.68
Sirohi	5136	0.00	300.96	597.46	898.42	17.49	-13.49	247.50
Tonk	7194	0.00	27.72	138.18	165.90	2.31	0.84	68.96
Udaipur	11724	0.00	1212.93	1540.46	2753.39	23.49	-4.15	239.53
Grand Total	**342239**	**78.15**	**4368.65**	**12208.16**	**16654.96**	**4.87**	**25.45**	**4808.51**

1.3 प्रदेश का वानिकी परिदृश्य: एक दृष्टि में

• राज्य का कुल अभिलेखित वन (Recorded forest Area)	32869.69 वर्ग किमी
• राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि	9.60 प्रतिशत
• राज्य का कुल वनावरण (Forest Cover)	16655 वर्ग किमी
➢ अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण	12560 वर्ग किमी
➢ अभिलेखित वन के बाहर वनावरण	4095 वर्ग किमी
• राज्य का वृक्षावरण (Tree Cover)	8733 वर्ग किमी
• राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (Total Forest Cover & Tree Cover)	25388 वर्ग किमी
➢ राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का	7.42 प्रतिशत
➢ प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण एवं वृक्षावरण	0.037 हेक्टेयर

अध्याय–2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

2.1 वन प्रशासन

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बंधी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गई है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यतः निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

2.1.1 उच्च स्तरीय प्रशासन

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग एवं विभाग के प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निवर्हन किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्यजीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता सम्बन्धी कार्यों की स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) प्रदेश में विकास, वन सुरक्षा, बजट, शोध, शिक्षा तथा प्रसार आदि के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।
- मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर द्वारा

वानिकी एवं वन्य जीव विषयों से संबंधित समस्त विषयों पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं प्रबंधन के कार्यों का संचालन किया जा रहा है।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारू क्रियान्विति के लिये राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं।

2.1.2 मध्यम स्तरीय प्रशासन

- मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से सम्भाग स्तर पर बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिये सम्भागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किये गये हैं। सभी सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य के सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों का कार्य क्षेत्र राजस्व सम्भागों के अनुरूप है।
- इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ साथ सौंपे गये अन्य दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद भी सृजित किया गया है। इनके द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिये मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक सम्भाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिये एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। मूल्यांकन मण्डल अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विधि सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक सम्भाग में उप वन संरक्षक (विधि) का पद भी सृजित किया गया है।
- इसी प्रकार वन्यजीव प्रबन्धन के लिये राज्य में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर एवं मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा कार्यरत हैं।
- प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गये हैं। इन उपखण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित

किया गया है। सामान्यतया एक उपखण्ड में 3 से 4 रेंजें हैं। उपखण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किये गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा रहा है। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्यजीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

2.1.3 कार्यकारी स्तर

वन मण्डल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज का प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होता है। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होता है। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। विशिष्ठ योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्यस्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

2.2 वन सेवा

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये वन सेवाओं का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिये विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति अग्रानुसार है :–

2.2.1. भारतीय वन सेवा

राजस्थान में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की केडर स्ट्रेन्थ 145 है। जिसमें 89 वरिष्ठ ड्यूटी पद एवं शेष 56 पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, राज्य प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व के लिए स्वीकृत है।

दिनांक – 01.01.2023 की स्थिती अनुसार

क्र.सं.	पद नाम	कैडर पद		एक्स कैडर पद पर कार्यरत
		स्वीकृत	कार्यरत	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	2	2
2	अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	2	10
3	मुख्य वन संरक्षक	21	4	12
4	वन संरक्षक	16	3	7
5	उप वन संरक्षक	44	30	20

2.2.2 राजस्थान वन सेवा

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	उप वन संरक्षक(हायर सुपर टाईम स्केल)	3	0	3
2	उप वन संरक्षक(सुपर टाईम स्केल)	13	1	12
3	उप वन संरक्षक(सलेक्शन स्केल)	52	32	20
4	उप वन संरक्षक(सीनियर स्केल)	93	69	24
5	सहायक वन संरक्षक(जूनियर स्केल)	268	135	133
	योग	429	237	192

2.3 विभिन्न संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति (1.1.2023 की स्थिति)

2.3.1 राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न अधिकारी (अभियांत्रिकी सेवा):—

क्र.सं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	अधिशाषी अभियंता	4	3
2.	सहायक कृषि अभियंता	3	3
	योग	7	6

2.3.2 राजपत्रित संवर्ग के अन्य अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	राजपत्रित संवर्ग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण	173	78

2.3.3 राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (01.01.2023 की स्थिति अनुसार)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	रेंजर ग्रेड–I	258	197	61
2	जू–अधीक्षक	1	1	0
3	रेंजर ग्रेड–II	451	170	281
4	जू–सुपरवाईजर	4	0	4
5	वनपाल	979	809	170
6	सहायक वनपाल	1498	1152	346
7	वनरक्षक	4467	1817	2650
	योग	**7658**	**4146**	**3512**

2.3.4 लेखा संवर्ग एंव तकनीकी सेवा (01.01.2023 की स्थिति अनुसार)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
	लेखा संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग	734	414	320

2.3.5 विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर (01.01.2023 की स्थिति)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
	विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर के गठन हेतु स्वीकृत एंव रिक्त	112	61	51

2.3.6 मंत्रालयिक सेवा (01.01.2023 की स्थिति अनुसार)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
	मंत्रालयिक संवर्ग	965	694	271

2.3.7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (01.01.2023 की स्थिति अनुसार)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचारीगण	413	378	35

2.4 विभाग में सीधी भर्ती नियुक्ति सम्बन्धी विवरण

- वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के सीधी भर्ती के 127 एवं रेंजर ग्रेड–I के 115 पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 09.12.2021 को जारी किया गया है। विभाग द्वारा 127 सहायक वन संरक्षक तथा 106 रेंजर ग्रेड–I के पद पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं।

- विभाग में वनपाल के 148 एवं वनरक्षक के 2646 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के संशोधित विज्ञप्तिक्रमाक क: प.14(84)RSSB/अर्थना/वन वि0/सीधी भर्ती/ 2020/1240 दिनांक: 21.12.2022 जारी कर दिया गया हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर द्वारा वनपाल एवं वनरक्षक के पदों पर लिखित परीक्षा करवा ली गई हैं।राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर द्वारा वनपाल की लिखित परीक्षा परिणाम दिनांक 22.12.2022 को जारी कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के स्तर पर वनरक्षक का परीक्षा परिणाम जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वाहन चालक के कुल (99+54=153) पदों एवं सर्वेयर के 43 पदों पर संशोधित अर्थना भिजवाई गई है।

- कनिष्ठ अभियंता के 5, प्रयोगशाला सहायक के 13 एवं ट्रैक्टर गार्ड के 15 पदों की संशोधित अर्थना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6193 दिनांक 10.12.2021 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

2.5 अनुकम्पात्मक नियुक्ति का विवरण (वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर 2022 तक)

क्र.सं.	पदनाम	दी गई नियुक्तियों की संख्या	पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाये गये
1.	कनिष्ठ सहायक	46	–
2.	वनरक्षक	26	–
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	25	14
	योग	**97**	

2.6 राजस्थान मृत रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2018 के अन्तर्गत निम्नानुसार नियुक्तियां दी गई–

क्र.सं.	पदनाम	दी गई नियुक्तियों की संख्या	पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाये गये
1	वनपाल	2	0

2.7 विभाग में क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम, 2020) के अन्तर्गत निम्नानुसार नियुक्तियां दी गई–

क्र.सं.	पदनाम	दी गई नियुक्तियों की संख्या	विशेष विवरण
1.	सहायक वन संरक्षक	7	–
2.	रेंजर ग्रेड–I	5	–
3.	वनपाल	8	

2.8 अधीनस्थ एवं तकनीकी संवर्ग की वरिष्ठता सूचियों का वर्ष 2022–23 (दिनांक 01.04.2022) **की स्थिति अनुसार निम्नानुसार प्रकाशन किया गया है:–**

क्र. स.	पदनाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	विशेष विवरण
1	ट्रेसर	2169–2177 / सी दिनांक 25.4.2022	ट्रेसर की दिनांक 1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
2	निरीक्षक	2178–2185 / सी दिनांक 25.8.2022	निरीक्षक की दिनांक 1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
3	कनिष्ट अभियन्ता	2160–2167 / सी दिनांक 25.4.2022	कनिष्ट अभियन्ता की दिनांक 1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
4	सर्वेयर / फील्डमैन	3579–3690 / सी दिनांक 6.06.2022	सर्वेयर / फील्डमैन की दिनांक 1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
5	वनपाल	6396–6507 / सी दिनांक 28.11.2022	वनपालों की दिनांक 1.4.2021 की स्थिति अनुसार पुनः प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

2.9. विभाग में अधीनस्थ संवर्ग में वर्ष 2022–23 (दिनांक 31.12.2022) तक विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार पदोन्नतियां दी गई:–

क्र.स.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष	डी.पी.सी. आयोजित की जाने की दिनांक
1	वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय	25	2019–20 (रिव्यू डी.पी.सी)	16.11.2022
2	वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय	16	2020–21	24.11.2022

2.10. **विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग में वर्ष 2022–23 (01.04.2022 से 31.03.2023) तक विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार पदोन्नतियां होनी हैं :–**

क्र.स.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष	डी.पी.सी दिनांक
1	प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी	4	2022–23	25.08.2022
2	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी	11	2022–23	25.08.2022
3	सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अति प्रशासनिक अधिकारी	38	2022–23	31.08.2022
4	वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी	37	2022–23	31.08.2022
5	कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक	29	2022–23	30.09.2022
6	अति निजी सचिव से निजी सचिव	2	2022–23	25.07.2022
7	निजी सहायक से अति निजी सचिव	5	2022–23	25.07.2022
8	आशुलिपिक से निजी सहायक	1	2022–23	25.07.2022

2.11 वरिष्ठता सूचियों का वर्ष 2022–23 (01.04.2022 की स्थिति अनुसार निम्नानुसार प्रकाशन किया गया है :–

क्र. स.	पदनाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कुल संख्या	विशेष विवरण
1	संस्थापन अधिकारी	2186/सी दिनांक 25.04. 2022	1	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
2	प्रशासनिक अधिकारी	2195/सी दिनांक 25.04. 2022	4	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
3	अति. प्रशासनिक अधिकारी	2321/सी दिनांक 25.04. 2022	30	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	3452/सी दिनांक 30.05. 2022	109	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
5	वरिष्ठ सहायक	3942/सी दिनांक 08.07. 2022	209	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
6	कनिष्ठ सहायक	5507/सी दिनांक 27.09. 2022	335	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची
7	निजी सचिव	2545/सी दिनांक 25.04. 2022	4	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
8	अतिरिक्त निजी सचिव	2560/सी दिनांक 25.04. 2022	7	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
9	निजी सहायक	2433/सी दिनांक 25.04. 2022	19	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
10	आशुलिपिक	2210/सी दिनांक 25.04. 2022	5	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
11	वाहन चालकों	6099/सी दिनांक 16.11. 2022	230	1.4.2022 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
12	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6743/सी दिनांक 30.11. 2022	380	1.4.2022 की स्थिति अनुसार संशोधित अंतरिम

अध्याय–3

वन सुरक्षा

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्यजीव संबंधी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार है–

3.1 गश्तीदल का गठन

वन क्षेत्रों में अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय एवं वन्यजीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रण अधीन कार्यरत है।

3.2 वायरलैस प्रणाली

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सशक्त सूचना सम्प्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाका/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 284 वायरलेस सैट्स हैं, जिनमें से फिक्सड सैट्स की संख्या 144, वाहनों पर मोबाइल सैट्स 19 तथा हैण्डसेट्स 121 है।

3.3 वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। इसका सामना करने हेतु विभाग में वर्तमान में 49 रिवॉल्वर एवं 145 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को आत्मरक्षा और वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

3.4 एफ.एम.डी.एस.एस. पोर्टल

वन अपराधी संबन्धी विभिन्न प्रकार के प्रकरणों यथा अवैध कटान, अवैध खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण एवं वन्यजीव अपराध इत्यादि को ऑनलाईन दर्ज करने हेतु एफएमडीएसएस पोर्टल (FMDSS Portal) तथा मोबाइल FMDSS app तैयार किया गया है। उक्त मोबाइल एप यूजर फ्रेण्डली है। इस एप के माध्यम से आसानी से विभिन्न वन अपराधों को दर्ज कर ऑनलाईन रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। वन अपराध के कुल 1,05,924 प्रकरणों को दिनांक 31.12.22 तक FMDSS Portal दर्ज किया जा चुका है।

3.5 इण्डिया कोड पोर्टल

इण्डिया कोड पोर्टल पर केन्द्र तथा राज्य सरकार से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों का अपलोड/अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के वन सुरक्षा अनुभाग द्वारा विभाग से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों को इण्डिया कोड पोर्टल पर

अपलोड किया गया है। विभाग द्वारा मुख्य रूप से दो अधिनियम राजस्थान वन अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 को अपलोड किया है। उपरोक्त क्रम में अभी तक अपलोड किये गये विभिन्न नियम एवं नोटिफिकेशन निम्नानुसार हैं:–

- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत 12 नियमों, 11 नोटिफिकेशनों तथा 2 आदेश
- राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत एक नियम राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 एवं इसके अंतर्गत 2 नोटिफिकेशन
- केन्द्रीय अधिनियम वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत एक नियम वन्यजीव (संरक्षण) (राजस्थान) नियम,1977 तथा 12 नोटिफिकेशनों
- जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक नियम राजस्थान जैवविविधता नियम, 2010

उपरोक्त सभी को इण्डिया कोड पोर्टल पर सम्बन्धित अधिनियम के नाम से सर्च कर अधिनियम/ नियम/ नोटिफिकेशन को पी.डी.एफ- (searchable.pdf) में डाउनलोड किया जा सकता है।

• वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन अपराध के दर्ज प्रकरणो का विवरण

क्र.सं.	वन अपराध का प्रकार	दिनांक 01.04.2021 तक लम्बित प्रकरण		इस वर्ष में दर्ज प्रकरण		निस्तारित प्रकरण		एवजाना राशि (रू0 में)
		विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	
1.	अवैध खनन	552	246	1701	26	1986	200	62608450
2.	अवैध कटान	565	140	2456	58	2973	299	9340494
3.	अवैध चराई	75	27	2752	38	2858	228	4772746
4.	वन्यजीव अपराध	1118	621	270	35	395	77	2570100
5.	शाख तरासी /वृक्ष छंगाई	47	11	1393	55	1444	71	4759813
6.	सीमा चिन्हों की तोडफोड/ परिवर्तन	40	6	7	2	7	0	35100
7.	वन उत्पाद का अवैध परिवहन	185	246	1723	20	1774	52	63662486
8.	अवैध आरा मशीन	318	295	131	38	123	88	646100
9.	अन्य अपराध	519	79	2049	26	2406	152	12626620
योग		**3419**	**1671**	**12482**	**298**	**13966**	**1167**	161021909

● **वित्तीय वर्ष 2022–23 में वन अपराध के दर्ज प्रकरणो का विवरण**

क्र.सं.	वन अपराध का प्रकार	दिनांक 01.04.2022 तक लम्बित प्रकरण		इस वर्ष में दर्ज प्रकरण		निस्तारित प्रकरण		एवजाना राशि (रू0 में)
		विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	
1.	अवैध खनन	989	543	1075	32	1289	101	44598700
2.	अवैध कटान	1064	257	1481	25	2018	112	6335789
3.	अवैध चराई	207	147	2252	33	2329	148	4326329
4.	वन्यजीव अपराध	1477	787	96	22	167	60	1479400
5.	शाख तरासी /वृक्ष छंगाई	79	22	969	37	964	54	2300967
6.	सीमा चिन्हों की तोडफोड/ परिवर्तन	29	26	7	2	5	0	7100
7.	वन उत्पाद का अवैध परिवहन	459	318	1133	43	1275	49	46529801
8.	अवैध आरा मशीन	503	428	75	19	80	72	369100
9.	अन्य अपराध	830	269	1422	13	1692	149	7869419
	योग	**5637**	**2797**	**8510**	**226**	**9819**	**745**	113816605

3.6 वन भूमि पर दर्ज अतिक्रमण प्रकरण

वनभूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित सहायक वन संरक्षकों को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34(A) के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य से अतिक्रमण की बेदखली हेतु कारवाई का प्रावधान है। वर्ष 2021–22 में वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 263 प्रकरण दर्ज किये गये तथा पूर्व के 4627 प्रकरण लंबित थे। वर्ष में 1579 प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कर एवजाना राशि 230.13 लाख रूप्ये वसूल की गई।

3.7 वन अधिकार पत्र

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानों अंतर्गत प्रदेश में आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जोंहेतु अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा ''वन अधिकार समितियां'' गठित की गई है। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग(नोडल विभाग) की विभागीय वेबसाईट के अनुसारप्रदेश में अक्टूबर, 2022 तक कुल 113905 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 48489 (27651 हेक्टेयर) तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र 591 (20963.4 हेक्टेयर) कुल 49080 (48614.4 हेक्टेयर) वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरणों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन 109/2008 वाईल्ड लाईफ फर्स्ट व अन्य बनाम वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.02.19, 28.02.19, 06.08.19 तथा 12. 09.19 की पालना में वन सुरक्षा अनुभाग को रिव्यू के पश्चात् कुल 16 वन मण्डलों से अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरण की36584 निरस्त दावों की पत्रावलियां प्राप्त हुई, जिनमें से कुल 14076 निरस्त दावों की पत्रावलियों की .kml/ .shp Files FSI को दिनांक 28.11.2022 तक प्रेषित की जा चुकी है। उक्त प्राप्त निरस्त दावों में से कुल 18571 पत्रावलियों की केएमएल फाईल बनने योग्य प्रकरण नहीं पाये गये। शेष 3937 निरस्त दावों की केएमएल बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

3.8 वन अधिनियम/नियम/परिपत्रों में संशोधन

राजस्थान वन अधिनियम 1953 में संशोधन कर राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम 2018 जारी कर उक्त अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत बांस प्रजाति को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इससे गैर–वन भूमिपर किसानों एवं आम लोगों द्वारा बांस प्रजाति के उत्पादन किये जाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

राजस्थान वन (उपज अभिवहन) नियम 1957 की नियम 3 के उपनियम (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–2(1)रे वे/8/73/पार्ट–1/जयपुर, दिनांक 09.02.1983 में आंशिक संशोधन कर उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी तक को वन उपज के राज्य से बाहर परिवहन किये जाने हेतु पारपत्र जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 50(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वन अपराध में जब्त वाहनों के अधिहरण हेतु सहायक वन संरक्षकों के पद रिक्त होने/अवकाश पर रहने/मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में संबंधित उप वन संरक्षकों को क्षेत्राधिकार अनुसार अधिकृत किया गया है।

राजस्थान वन नीति तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप राज्य वन नीति, 2010 में समसामयिक रूप से आवश्यक नवीन विषयों/संशोधित प्रस्तावों का समावेश करते हुए राज्य वन नीति का नवीन प्रारूप तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है।

3.9 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रदेश के वनक्षेत्रों में गैर वानिकी कार्यों हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि में किसी भी गैर वानिकी कार्य की क्रियान्विति से पूर्व भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। समस्त विभागों /आवेदनकर्ताओं को इस अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र पार्ट–I में पूर्ण प्रस्ताव मय आवश्यक संलग्नक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 11–9/98–एफसी दि. 13.2.2014 के अनुसार दिनांक 15.8.2014 से सभी प्रकार के प्रस्ताव (वनभूमि के प्रत्यावर्तन) Forest, Wildlife & Enviornment Clearance की साइट वेबपोर्टल परिवेश (PARIVESH) पर अपलोड करना होता है। स्वीकृति की समस्त प्रक्रिया वर्तमान में ऑनलाइन ही की जाती है।
- समस्त विभागों/आवेदनकर्ताओं को इस अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र पार्ट–I में पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर मय आवश्यक संलग्नक सात प्रतियों में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान को प्रस्तुत करने होते हैं। प्रस्ताव के पार्ट–II से Vतक की आवश्यक पूर्तियों उपरांत प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं। वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दो चरणों में जारी की जाती है। प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा कुछ शर्तें अधिरोपित कर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जाती है, जिनकी पालना संबंधित आवेदनकर्ता विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये जाने पर अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार/भारत सरकार को अग्रेषित की जाती है, तत्पश्चात राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी की जाती है।

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संशोधित नियम–2022 दिनांक 28.06.2022 से लागू किया गया है जिसके अंतर्गत नवीन प्रस्ताव ऑनलाइन परिवेश–2.0 पोर्टल पर अपलोड किए जाने का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत 5 हैक्टेयर वन भूमि से कम के प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण उप वन संरक्षक स्तर पर एवं 5 हैक्टेयर वनभूमि से अधिक प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण नोडल स्तर पर होगा।

- नोडल अधिकारी स्तर पर प्रस्तावों के परीक्षण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 धारा 2 के खण्ड I, II, III के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव की पूर्णता की जाँच हेतु एक परियोजना जाँच समिति (Project Screening Committee) का गठन किये जाने का प्रावधान है।

- **परियोजना जाँच समिति का गठन**–(1) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, एक आदेश द्वारा, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (i), (ii) एवं (iii) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव की पूर्णता की जाँच करने के लिए एक परियोजना जाँच समिति का गठन कर सकते हैं।

- **परियोजना जाँच समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्ः–**

  सभी प्रकरणों का परियोजना जांच समिति की बैठक में निर्णय होगा जिसमें निम्नानुसार कमेटी का गठन का प्रावधान किया गया है। इस कमेटी में सदस्य सचिव की भूमिका उप वन संरक्षक (एफसीए) करेंगे।

1.	नोडल अधिकारी,	अध्यक्ष
2.	संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक	सदस्य
3.	संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य
4.	संबंधित जिला कलक्टर और उनके प्रतिनिधि (डिप्टी कलक्टर के पद से नीचे का नहीं)	सदस्य
5.	नोडल अधिकारी के कार्यालय में प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य सचिव

- (a) परियोजना जाँच समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम दो बार होगी, और परियोजना जाँच समिति की बैठक की गणपूर्ति तीन होगी।

  (b) परियोजना जाँच समिति, प्रस्तावों की जाँच के पश्चात, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, को सिफारिश करेगी।

- इस नियम के अंतर्गत परियोजना जाँच समिति द्वारा गैर–वानिकी प्रयोजन के लिए वनभूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावों की जाँच की समयावधि निम्नानुसार है:–

क्र.स.	गैर–वानिकी उपयोग के लिए अनारक्षण/अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का आकार (हेक्टयर में)	गैर–वानिकी उपयोग की प्रकृति	समयावधि (कार्य दिवस)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5 से अधिक और 40 तक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	60
2.	5 से अधिक और 40 तक	खनन	75
3.	40 से अधिक और 100 तक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	75
4.	40 से अधिक और 100 तक	खनन	90
5.	100 से अधिक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	120
6.	100 से अधिक	खनन	150

टिप्पणी1: परियोजना जांच समिति [(नियम) 9(4) (ड.) देखें।] द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्ताव के अंतिम जमा करने की तारीख से गणना की गई समयावधि (कार्य दिवस)

टिप्पणी 2: परियोजना जांच समिति या विभागीय वन अधिकारी किसी अनुमोदित विशेष योजना जैसे वन्यजीव प्रबंधन योजना, जलागम क्षेत्र शोधन योजना प्रवाह/नदी संरक्षण योजना इत्यादि के पश्चात ही प्रस्ताव की जांच करेंगे, यदि नियम 9 के उप–नियम (4) के खण्ड (ज) के अधीन प्रस्ताव की जांच के समय विनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया हो।

टिप्पणी 3: नियम 9 के उपनियम (4) के खण्ड (ञ) में निहित, खनन और खनन के अलावा सभी प्रस्तावों को, जिनमें 5.0 हेक्टेयर तक वन क्षेत्र सम्मिलित हो, क्रमशः अधिकतम 45 और 30 कार्य दिवस के भीतर संसाधित किया जाएगा।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11–9/98–एफसी दि. 13.2.14 के क्रम में 1 हैक्टेयर तक के जनोपयोगी कार्यों के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। 40 हैक्टेयर वन भूमि तक के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (खनन एवं अतिक्रमण के नियमितीकरण के प्रस्तावों को छोड़कर) में आवश्यक अनुमतियां भारत सरकार के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय–जयपुर द्वारा जारी की जाती हैं तथा 40 हेक्टर से अधिक (समस्त खनन एवं अतिक्रमण के नियमतिकरण के प्रस्ताव सम्मिलित) के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में आवश्यक अनुमति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो परियोजनाऐं वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों से होकर या 10 किलोमीटर

परिधि में से होकर गुजरती हैं उनमें सक्षम स्तर से स्वीकृति लेने से पूर्ण Wildlife Clearanceभी प्राप्त करना आवश्यक है।

- वर्तमान में परिवेश–1.0 एवं परिवेश 2.0 प्रचलित है। दिनांक 28.06.2022 के उपरांत सभी प्रस्ताव परिवेश 2.0 पर स्वीकार किये जा रहे हैं। परिवेश 1.0 अनुसार पार्ट प्रथम यूजर एजेन्सी, पार्ट द्वितीय–उप वन संरक्षक, पार्ट तश्तीय–वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, पार्ट–IV नोडल अधिकारी के द्वारा, पार्ट–V राज्य सरकार के द्वारा भरा जाकर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं।

  परिवेश 2.0 में निम्न व्यवस्था लागू है:–

  - 5 है0 तक के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में पार्ट प्रथम यूजर एजेन्सी, पार्ट द्वितीय–उप वन संरक्षक, पार्ट तृतीय– नोडल अधिकारी के द्वारा, पार्ट–IV राज्य सरकार द्वारा भरा जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।
  - 5 है0 से अधिक के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में पार्ट प्रथम यूजर एजेन्सी, पार्ट द्वितीय–उप वन संरक्षक, पार्ट तृतीय–वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, पार्ट–IV नोडल अधिकारी के द्वारा, पार्ट–V राज्य सरकार द्वारा भरा जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।
  - 40 है0 तक के प्रस्ताव वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक एवं 100 है0 से अधिक के प्रस्ताव नोडल अधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य है।
  - प्रत्यावर्तन प्रकरणों में स्वीकृति दो चरणों यथा सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृति जारी की जाती है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना होने के उपरांत ही विधिवत स्वीकृति जारी की जाती है।

Abstract of development projects under FCA, 1980 as on 31.12.2022 (online & offline)

Parivesh - 1.0

Sr. No.	Category/Deptt.	Proposal under consideration with :									No. of cases in which in-principle sanction has been issued (01.01.2021 to 31.12.2022)	No. of cases in which final sanction has been issued (01.01.2021 to 31.12.2022)	Foreat Area Diverted (in Ha.)	Area Received	
		User Agency	User Agency (Draft Mode)	HO, MoEF & CC, Govt. of India	RO, MoEF & CC, Govt. of India	Govt. of Rajasthan	PCCF/Nodal Officer	CCF	DCF	Total				Non-Forest Land (in Ha.)	Degraded-Forest Land (in Ha.)
1	Approach Access	1	6	*0*	1	1	3	0	0	*12*	9	13	2.1238	0.0000	0.0000
2	Dispensary/Hospital	0	1	0	2	0	0	0	0	*3*	0	0	0.0000	0.0000	0.0000
3	Drinking Water	6	9	0	0	1	0	1	0	*17*	3	1	0.1996	0.0000	0.0000
4	Irrigation	2	14	0	0	0	1	1	1	*19*	4	2	701.0816	700.3470	0.0000
5	Mining	4	35	1	0	3	0	0	0	*43*	0	1	398.0085	398.0085	0.0000
6	Optical Fibre Cable	10	12	0	1	1	1	2	3	*30*	13	2	0.5038	0.0000	0.0000
7	Pipeline	0	4	0	0	0	0	0	0	*4*	3	1	3.2100	0.0000	12.1500
8	Road	37	74	0	2	5	3	3	15	*139*	20	29	311.2251	0.0000	617.0720
9	School	0	8	0	0	0	0	0	0	*8*	1	0	0.0000	0.0000	0.0000
10	Railway	0	1	0	0	0	0	0	0	*1*	0	1	7.4400	0.0000	14.8800
11	Rehabilitation	0	3	0	0	0	0	0	0	*3*	0	0	0.0000	0.0000	0.0000
12	Transmission Line	8	10	0	0	5	2	2	1	*28*	13	5	40.1144	0.0000	93.7657
13	Others	11	82	1	1	1	1	0	2	*99*	2	1	0.6348	0.0000	0.0000
Total		**79**	**259**	**2**	**7**	**17**	**11**	**9**	**22**	406	**68**	**56**	**1464.5416**	**1098.3555**	**737.8677**

Parivesh - 2.0 (Propsals submitted after 28th June, 2022)

No. of Proposals under consideration with :

Total	Pending at HO, MoEF & CC (GoI)	Pending at RO, MoEF & CC (GoI)	Pending at State Govt.	Pending at Nodal Officer	Pending at Member Secretary (PSC)	Pending at DCF	Pending with UA
115	0	0	1	5	4	30	75

***This Statement is progressive as on 01.01.2023.**

अध्याय–4

वानिकी विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बडा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.60 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.86 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के सम्पूर्ण भू भाग के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके।

प्रदेश की विषम परिस्थितियॉ यथा दो–तिहाई मरूप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की कमी एवं अत्याधिक जैविक दबाव एवं दीमक के प्रकोप के बावजूद वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्वि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिये सुधारने की नितांत आवश्यकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India),भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र में एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षाच्छादित क्षेत्र का सर्वेक्षण सैटेलाईट ईमेजरी के माध्यम से किया जाकर प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ''इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट'' प्रकाशित की जाती है। राजस्थान उन चुनिन्दा राज्यों में से है, जिसमें वर्ष 1991 से लेकर अब तक वृक्षाच्छादित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है। इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट, 2021 में भी गत रिपोर्ट 2019 के सापेक्ष राजस्थान में वनावरण में 25.45 वर्ग कि0मी0 वृद्धि दर्शायी गयी है।

4.1 वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमान, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई क्षेत्र मरू भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्राषिंत वनों पुर्नस्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उडती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उडती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के

लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं एवं उन्नत पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते है।

4.2 बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति

कार्य का विवरण	उपलब्धि			
	2019–20	2020–21	2021–22	(दिसम्बर, 2022 तक)
पौधारोपण (है0 में)	28510	33511.32	45659.90	60585.05
पौधारोपण (लाखों में)	179.649	215.23	269.38	353.57

* जिलेवार विवरण परिशिष्ठ 7 के रूप में पृथक् से संलग्न किया गया है।

4.3 वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की कईं योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

4.3.1 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–आपरेशन ऐजेन्सी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरूस्थलीय जिले (सीकर, झून्झूनू, चूरू, जालौर, बाडमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर,) एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिले (बांसवाडा, डूंगरपुर, भीलवाडा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाडी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, बस्सीवन्यजीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 650 गांव (मरूस्थलीय जिलों में 363 गांव, गैर–मरूस्थलीय जिलों में 225 गांव व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 62 गांव) को चिन्हित किया गया है। इस परियोजना के मुख्य उददेश्य निम्नानुसार हैः–

"साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।"

इन उददेश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिन्हित गांव में तीन नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित समूहों के कौशल मे वशद्वि करते हुये आजिविका संवर्द्धन एवं गरीबी उन्मूलन कार्य किया जा

रहा है। इसके साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्य भी किये जा रहे हैं। गांव वासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यदि कोई कार्य परियोजना में नहीं कराया जा सकता है तो अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर उस कार्य को गांव के समग्र विकास हेतु करवाया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह परियोजना मूलतः 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष हेतु स्वीकृत की गई थी। इसकी कुल लागत 1152.53 करोड़ है, जिसमें से 884.77 करोड़ का JICA द्वारा ऋण व 267.76 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा है। जायका के साथ हुए ऋण अनुबंध की अक्टूबर 2021 तक वैधता तथा अवशेष ऋण राशि के कारण परियोजना कार्यावधि में 5 वर्ष की अभिवृद्धि वर्ष 2019–20 से 2023–2024 की गई है। **परियोजना की कुल लागत 1152.53 करोड़ का विवरण निम्न प्रकार हैः–**

(राशि करोड़ में)

Sr. No.	PACKAGES	TOTAL (in Crore)
1	AFFORESTATION	423.28
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	1.63
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	46.92
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	84.36
5	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	16.89
6	COMMUNITY MOBILIZATION	65.42
7	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	6.34
8	PROJECT MANAGEMENT	29.82
9	MONITORING & EVALUATION	5.90
10	CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	14.96
	TOTAL	**695.52**
11	PRICE ESCALATION	97.50
12	PHYSICAL CONTINGENCY	79.30
13	CONSULTING SERVICES	12.47
14	ADMINISTRATIVE COST	219.17
15	VAT & IMPORT TAX	14.00
16	INTEREST DURING CONSTRUCTION	27.50
17	COMMITMENT CHARGES	7.07
	TOTAL	457.01
	GRAND TOTAL	**1152.53**

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र 27 मण्डल प्रबन्ध इकाईयों तथा 83 क्षेत्र प्रबन्ध इकाईयों में बांटा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को ईकाई के रूप में लिया गया है। प्रत्येक मण्डल प्रबन्धन इकाई स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विकास कार्य करवाने, प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियां संचालित करने एवं जन जागशति हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किया गया है जिनके द्वारा उपरोक्त कार्यो में मण्डल प्रबन्ध इकाई/क्षेत्रीय प्रबन्ध इकाई/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सहयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2011–12 में एक नये बायोलाजिकल पार्क (माचिया बायोलाजिकल पार्क जोधपुर) का निर्माण तथा दो बायोलोजिकल पार्क (सज्जनगढ़ बायोलाजिकल पार्क उदयपुर एवं नाहरगढ़ बायोलाजिकल पार्क, जयपुर) के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये गये। सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सज्जनगढ़ बायोलोजिकल पार्क अप्रेल 2015, माचिया बायोलोजिकल पार्क जनवरी 2016 एवं नाहरगढ़ बायोलोजिक पार्क जून 2016 में जनता के लिए खोल दिये गये हैं। इसके अलावा अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क कोटा का निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 में शुरू कर दिया गया था। जो 18 दिसम्बर, 2021 को पर्यटको के भ्रमण हेतु खोल दिया गया है।

उद्घाटन तिथि से दिसम्बर, **2022** तक विभिन्न पार्को में पहुंचे पर्यटकों एवं उनसे हुई आय का विवरण निम्न है :

क्र.स.	पार्क का नाम	उद्घाटन तिथि	पर्यटकों की संख्या		कुल आय (रू0)	
			2015–16 से 2021–22	2022–23	2015–16 से 2021–22	2022–23
1	नाहरगढ़ जैविक उद्यान,जयपुर	4 जून 2016	2157752	318404	98071310	14946400
2.	माचिया जैविक उद्यान,जोधपुर	20 जनवरी, 2016	1839726	237531	61332342	7885377
3.	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर	12 अप्रेल,2015	1643685	146051	52995565	4993115
4.	अभेडा जैविक उद्यान,कोटा	18दिसम्बर2021	35155	48513	1685870	2018110
		कुल योग	*5676318*	*750499*	214085087	29843002

आजीविका संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। अब तक कुल 1957 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन स्वयं सहायता समूहों की क्षमतावर्धन एवं रोजगार सश्जन हेतु वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही की गई है।

Physical Progress from FY 11-12 to 2022-23 Under RFBP Phase-II

Item	Unit	Project Target	Cumulative Achievement	Achievement %
Package - 1 : Afforestation				
Plantation	(Ha.)	83650	83676	100
Package - 2 : Agro Forestry				
Raising of Seedlings by SHGs	Nos	130	101	78
Trainings to SHGs	Nos	130	86	66
Package - 3 : Development of Water Conservation Structures (WCS)				
Anicut-I	Nos	600	600	100
Anicut-II	Nos	400	400	100
Check Dams	Cumt	200000	200000	100
Contour Bunding	Rmt	500000	500000	100
Percolation Tank	Nos	700	700	100
Renovation/restoration of TWHS	Nos	200	200	100
Silt Detention structure	Nos	300	300	100
Gabion Structures	Nos	500	500	100
Package - 4 : Biodiversity Conservation				
DLT Works	Ha	12000	12000	100
Development of water points	Nos	100	100	100
Biodiversity Closures	Ha	5000	5000	100
Package - 5 : Poverty Alleviation and Income Generation Activities				
No of SHG Formed	Nos	1950	1957	100
Mobilization of SHG	Nos	1950	1637	84
Livlihood improvement Activities	Nos	1950	1173	61
Package - 6 : Capacity Building, Training and Research				
VFPMC Members	Nos	1300	1291	99
NGOs training	Nos	6	7	117
FG/Cattel Guard Training	Nos	54	64	119
Range Officers/ ACFs	Nos	6	6	100
DCFs and Equivalent	Nos	2	2	100
Project Personnel	Nos	6	6	100

VFPMC Members	Nos	12	**12**	**100**
Overseas Study Tours (I)	Nos	5	0	0
Overseas Study Tours (II)	Nos	6	0	0
Overseas Training of Officers	Nos	20	0	0
Research: Rohida and Khejri	Ha	200	115	58
Extension camps/Field Visits by DMUs	Nos	1400	1241	89
Training to officer /Forest staff in GIS*	Persons	200	1032	516
Package - 7 : Community Mobilization				
VFPMC/EDC Formation & Strengthening	Nos	650	650	100
Microplanning	Nos	650	650	100
Entry Point Activities First Year	Nos	650	623	96
Second Year	Nos	650	642	99
Meeting Center for VFPMC	Nos	650	594	91
CET Activities				
Awareness camp	Nos	650	608	94
Workshop and Seminars at DMU Level	Nos	135	112	83

- **Note:-परियोजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 में सभी भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था। वर्ष 2018–19 में 69065 है0 , वर्ष 2019–20 में 63145 है0 ,वर्ष 2020–21 में 49183 है0 क्षेत्र में केवल वृक्षारोपण संधारण कार्य करवाये गये थे। वर्ष 2021–22 में 33256 है0 तथा वर्ष 2022–23 में 19921 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण संधारण के कार्य किये जा रहे है।**

Financial Progress FY. 2011-12 to 2022-23 (Rs. In lacs)						
S. No.	Name of Activities / Item	Allocation as per Project Cost	Ach. upto 2021-2022	2022-23		Grand Total
				RE	Ach. Up to Dec,2022	
1	AFFORESTATION	42328	60413.53	402.69	161.98	60575.51
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	163	80.53			80.53
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	4692	6247.49			6247.49
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	8436	12980.70			12980.70
5	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	1689	810.13			810.13
6	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	634	267.79			267.79
7	COMMUNITY MOBILIZATION	6542	5361.89			5361.89
8	PROJECT MANAGEMENT	2982	2354.28	50.00	23.75	2378.03
9	MONITORING & EVALUATION	590	227.35			227.35
10	CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	1496	1866.62	191.26	62.42	1929.04
	Total A	69552	90610.31	643.95	248.15	90858.45
11	PRICE ESCALATION , PHYSICAL CONTINGENCY , CONSULTING SERVICES	18925				
	Total B	88477	90610.31	643.95	248.15	90858.45
12	ADMINISTRATIVE COST, VAT & IMPORT TAX, INTEREST DURING CONSTRUCTION, COMMITMENT CHARGES	26776	22256.50	106.05	84.52	22341.02
	Grand Total	**115253**	**112866.80**	**750.00**	**332.67**	**113199.47**

विभाग अन्तर्गत राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 में दो नवीन परियोजनाऐं है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढावा देने के लिए नवीन परियोजना प्रस्ताव “Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conservation Project (RABCP) को Japan International Co-operation Agency (JICA) के Rolling Plan में शामिल करने के लिए दिनांक 3.06.2020 को भारत सरकार के Department of Economic Affairs (D.E.A) , New Delhi द्वारा अनुमोदित किया गया था। परियोजना की Detailed Project Report (DPR) तैयार कर MoEF & CC नई दिल्ली को दिनांक 07.04.2021 को भिजवा दी गई है। माह जून 2021 में परियोजना की DPR को D.E.A New Delhi द्वारा JICA India को प्रस्तुत कर दिया गया। यह परियोजना राज्य के अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूंरू, चितौडगढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर,

जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद, एवं उदयपुर सहित 19 जिलों हेतु तैयार की गई है। इस परियोजना की कुल लागत 1803.42 करोड़ रू0 है, जिसमें JICA का 1568.19 करोड़ रू0 तथा राज्य सरकार का 235.23 करोड़ रू0 अंश है। माह मई 2022 एवं अक्टूबर 2022 में JICA दल द्वारा राज्य में भ्रमण किया गया है साथ JICA Study Team द्वारा राज्य में नवीन परियोजना RABCP के संबंध में एक Preparatory Survey हेतु दिनांक 20 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक राजस्थान में भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है।

बाह्य सहायता प्राप्त एक अन्य नई परियोजना Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP) राज्य के अलवर, बारां, भीलवाडा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धोलपुर, जयपुर, झालावाड, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर एवं टोंक सहित 13 जिलों हेतु तैयार कर AFD France द्वारा वित्त पोषित करवाई जा रही है। इस हेतु AFD France के दल द्वारा राज्य में माह नवम्बर 2021, मार्च 2022 एवं नवम्बर 2022 में भ्रमण किया जा चुका है। प्रस्तावित इस परियोजना की अनुमानित लागत 1693.91 करोड़ रखी गई है। जिसमें AFD France का 1185.28 करोड़ तथा राज्य सरकार का 508.63 करोड़ रू0 अंश है। इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम से MoEF & CC नई दिल्ली को दिनांक 23.05.2022 को प्रेषित कर दी गई है।

AFD France बोर्ड द्वारा सितम्बर 2022 को हुई बैठक में परियोजना का अनुमोदन कर दिया गया है।प्रस्तावित RFBDP परियोजना का प्रारम्भ माह फरवरी 2023 में होने की संभावना है।

4.3.2 नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा–भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, राजसंमद, सिरोही एवं उदयपुर) में चार चरणों में वर्ष 2012–13 से वन विकास कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं आम जनता के कीमतन वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदश्ढीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य आदि भी सम्मिलित हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी बढाने एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होने तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटाने की दृष्टि से मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी कराया गया है।

4.3.2.1नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्ष 2021–22 तक 145050 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा संधारण कार्य सहित मार्च, 2022 तक 78708.13 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक राशि रू. 2049.12 लाख व्यय किये जा चुके हैं। जिससे कि परियोजना के चारों चरणो के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2022–23 तक का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार हैः–

क्र. सं.	परियोजना का चरण	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य प्रारम्भ वर्ष	वृक्षारोपण लक्ष्य (है.)	अर्जित वृक्षारोपण (है.)	कुल व्यय (लाखों में) (मार्च 2022 तक)
1	RIDF-XVIII Phase-I	33665.58	2012–13	52750	52750	29466.11
2	RIDF-XX Phase-II	28234.39	2014–15	43000	42950	23539.71
3	RIDF-XXII Phase-III	15761.24	2016–17	27400	27400	14579.24
4	RIDF-XXVI Phase-IV	15087.50	2020–21	21950	21950	11123.07
योग				**145100**	**145050**	**78708.13**

4.3.2.2 नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना अन्तर्गत पंचम चरण हेतु 22100 है0 वृक्षारोपण एवं जल व मृदा संरक्षण कार्यो की नई परियोजना लागत राशि रू. 206.38 करोड की वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक की परियोजना पत्रांक 949 दिनांक 26.04.2022 द्वारा राज्य सरकार प्रेषित की गयी है। उक्त परियोजना वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 2 (16) वि.मा./2016/वन जयपुर दिनांक 31.05.2022 द्वारा नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है।

4.3.3 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण से सीए, एनपीवी, एपीसीए, पीसीए, वन्यजीव प्रबन्धन आदि शर्ते अधिरोपित कर राशि संग्रहण की जाती है । उक्त राशि के द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना एवं वन भूमि/वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास, प्रबन्धन किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील किया गया है । इन अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है।

4.3.3.1 प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के मुख्य बिन्दु :–

- राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जावेगी।

- यह राज्य निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी तथा इसका प्रबंधन राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। राज्य निधि में प्राप्त निधि राज्य के लोक लेखाओं के अधीन ब्याज वाली निधि होगी। राज्य निधि में अवशेष अव्यपगतीय होगा एवं जिस पर वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त होगा।

- एडहॉक कैम्पा में जमा राशि में 90 प्रतिशत राशि राज्य निधि में स्थानान्तरित की जावेगी तथा 10 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण में जमा रहेगी।

- राज्य निधि में प्राप्त राशि का उपयोग वृक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास एवं वन एवं वन्यजीव के प्रबंधन किया जावेगा।

- राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार कर संचालन समिति से अनुमोदन उपरान्त राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से अनुमोदन के अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी।

- राज्य प्राधिकरण के प्रभावी संचालन के लिए एक गवर्निंग बॉडी रहेगी तथा इसके सहायता के लिए एक संचालन समिति एवं एक कार्यकारी समिति रहेगी।

4.3.3.2 राजस्थान प्रतिकात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की क्रियान्वितिः–

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 10.08.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 जारी किये गये है। इन नियमों के तहत 80 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव प्रबंधन के लिये उपयोग में लायी जावेगी तथा 20 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण के उपयोग में शामिल कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिये किया जावेगा । राज्य निधि से अंतरित ब्याज का 60 प्रतिशत रकम वन एवं वन्य जीव के संरक्षण और विकास के लिए व्यय किया जायेगा तथा ब्याज का 40 प्रतिशत राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जावेगा।

- राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जा चुकी है ।

- राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि के लेखांकन हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2018 को नवीन बजट मद खोल दिये गये हैं । केन्द्रीय सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि

अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के लिये दिनांक 20.11.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 जारी किये हैं । जिसके अन्तर्गत मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप शीर्ष खोले जा चुके हैं ।

- वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा राशि रू. 1748.25 करोड राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण को दिनांक 29 अगस्त 2019 को स्थानांतरित कर दी गई है ।
- वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्य योजना राशि रू. 249.19 करोड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई एवं राशि रू. 245.00 करोड राज्य सरकार द्वारा रिलीज की गई । माह दिसम्बर 2022 तक राशि रू. 114.45 करोड का व्यय हो चुका है । विगत तीन वर्षों का प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

4.3.3.2 स्टेट कैम्पा में गत चार वर्षों में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का विवरण :–

वित्तीय वर्ष	दिनांक रिलीज	राशि (लाखों में)	किया गया व्यय (लाखों में)	
2019-20	-	-	3649.37	व्यय बैंक में रही शेष राशि में से
	Recd. From Rajasthan Govt.	10000.00	8009.62	व्यय कोषालय के माध्यम से (A.G. Audited)
	योग	**10000.00**	**11658.99**	
2020-21	-	-	586.20	व्यय बैंक में रही शेष राशि में से
	Recd. From Rajasthan Govt.	25000.00	18644.33	व्यय कोषालय के माध्यम से (A.G. Audited)
	योग	**25000.00**	**19230.53**	
2021-22	Recd. From Rajasthan Govt.	20317.52	18212.42	व्यय कोषालय के माध्यम से (A.G. Audited)
2022-23 (upto Dec . 2022)	Recd. From Rajasthan Govt.	24500.08	11444.56	व्यय कोषालय के माध्यम से

राजस्थान स्टेट कैम्पा में वर्ष 2019–20 से 2022–23 (माह दिसम्बर 2022) तक कराये गये मुख्य कार्यों की प्रगति

नाम कार्य	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21	उपलब्धि 2021–22	उपलब्धि 2022–23 (माह दिसम्बर 2022 तक)
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) NFL	747.75 Ha.	1054.016 Ha.	243.922Ha.	116.985Ha.
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) DFL	1862.84 Ha.	1093.83 Ha.	564.5938Ha.	327.8068 Ha.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग प्रथम वर्ष (पौधारोपण) ANR	6000.00 Ha.	9950.00 Ha.	16680.00 Ha.	9950.00 Ha.
सिल्वी पेस्ट्रोल मॉडल प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	-	-	835.00 Ha.	350.00 Ha.
पक्की दीवार का निर्माण 4/6 फीट ऊंचाई	141745.50 Rmt.	80539.45 Rmt.	51484.50 Rmt.	12728.00 Rmt. शेष आवंटित कार्य प्रगति पर
वन भूमि पर सीमा स्तम्भों का निर्माण	6620 No.	7071.00 No.	7389.00 No.	275.00 No शेष आवंटित कार्य प्रगति पर
एनीकट/गजलर/जल संरक्षण संरचानाओं का निर्माण	81 No.	90.00 No.	101.00 No.	14.00 No. शेष आवंटित कार्य प्रगति पर
अधीनस्थ वनकर्मियों हेतु वन चौकियों का निर्माण	25 No.	9.00 No.	24.00 No.	2.00 No. शेष आवंटित कार्य प्रगति पर
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	7 No.	4.00 No.	8.00 No.	1.00 No. शेष आवंटित कार्य प्रगति पर
मोटर साईकिल खरीद	-	-	-	7.00 No. शेष आवंटित कार्य प्रगति पर
पैन्थर कन्जरवेशन रिजर्व	20.00 Lac Rs.	9.49 Lac Rs.	-	56.56 Lac Rs.
Project Leopard (works including Strengthening aprey base, construction of water holes, Shelter habitat development, Eco restoration wall Avoiding man-Animal conflict etc.) Kumbhalgarh & Raoli Todgarh Sanctuary	56.241 Lac Rs.	197.04 Lac Rs.	185.89 Lac Rs.	-
conservation of Bansial Khetari Conservation reserve Jhunjunu asper project	69.92 Lac Rs.	76.29 Lac Rs.	75.22 Lac Rs.	35.92 Lac Rs.

conservation of Bansial Khetari - Bagour Conservation reserve Jhunjunu asper project	82.63 Lac Rs.	84.68 Lac Rs.	84.59 Lac Rs.	37.32 Lac Rs.
Conservation reserve beed Jjunjhunu as per Project	-	52.05 Lac Rs.	102.03 Lac Rs.	18.96 Lac Rs.
Mansamata Conservation Reserve, Jhunjhunu	-	-	54.24 Lac Rs.	51.44 Lac Rs.
Shahabad Conservation Reserve, Baran	-	-	-	0.85 Lac Rs.
Voluntary relocation of villages from protected Areas	230.75 Lac Rs.	423.78 Lac Rs.	2372.287 Lac Rs.	987.85 Lac Rs.
Conservation of Lesser Florican Conservation Reserve Sarwar Ajmer	56.34 Lac Rs.	69.50 Lac Rs.	14.37 Lac Rs.	40.99 Lac Rs.

मिटिगेटिव मैजर्स के तहत् वर्ष 2019–20 तक कुल राशि रू. 2580.97 लाख एडहॉक कैम्पा से प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध वर्ष 2020–21 तक राशि रू. 2132.19 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 से वर्ष 2021–22 राशि रू. 495.41 लाख एवं वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर 2022 तक राशि रू. 153.91 लाख स्टेट कैम्पा से व्यय की जा चुकी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 तक 8.805 कि.मी. (2.5 मीटर ऊँची), 61.38 कि.मी. (1.5 मीटर ऊँची) दीवार का निर्माण तथा 740.00 है0 में वृक्षारोपण कराया गया है।

4.3.4 पर्यावरण वानिकी

आम जन को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्रियान्विति की जा रही इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में रू. 837.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2022 तक राशि रू. 778.39 लाख व्यय किये जा चुके हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2022–23 में स्वीकृत प्राक्धान राशि (रू. लाखो में)	दिसम्बर, 2022 तक व्यय राशि (रू. लाखो में)
1	पर्यावरण वृक्षारोपण (ETF)	258.00	172.21
2	अशोक विहार उद्यान एवं डियर पार्क के विकास हेतु	10.00	8.16
3	स्मृति वन जयपुर का संधारण	25.00	15.12
4	पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री बजट घोषणा	500.00	457.76
5	गोरधन परिक्रमा मार्ग पर वृक्षारोपण	5.00	0
6	हर्बल गार्डन, अजमेर संधारण	5.00	2.81
7	स्मृति वन सीकर का संधारण	10.00	5.11
8	जोधपुर के देवकुण्ड वनखण्ड में वन औषधीय उद्यान का संधारण	2.00	0.00
9	स्मृति वन बाडमेर हिल्ली का संधारण	10.00	6.18
10	नेचर पार्क चुरू का संधारण	10.00	6.93
11	झालावाड में नोलक्खा किला स्मृति वन का संधारण	2.00	1.78
12	फतेहपुर–सीकर में सिटी नेचर पार्क का निर्माण	0.00	66.47
13	**नानी बीड को ईकोलोजी पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु**	**0.00**	**35.86**
	योग	**837.00**	**778.39**

4.3.5 परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 24450 है0 वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाया जा रहा है एवं 20000 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में रू. 16392.19 लाख व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2022 तक 9509.59 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.6 जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक

वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरू प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरूस्थलीय जिलों में मुख्यतया टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2022–23 में 15000 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाया जा रहा है तथा 10000 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यो पर इस वित्तीय वर्ष में रू. 11709.37 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2022 तक 5830.69 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.7 भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

प्रदेश के थार मरूस्थल को हरा–भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पडने वाले अकाल से राहत दिलने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की जिसे गंग नहर कहा गया। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखडा नहर, भाखडा नांगल बांध से निकलकर आती है। जिससे हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 920000 एकड भू–भाग की सिंचाई होती है। इन दोनो नहरों के किनारों के वृक्षारोपण के 2.2 लाख वृक्षों के परिपक्व होने के कारण उनका विदोहन विभाग द्वारा कर लिया गया था। अतः नहरों को मिट्‌टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। भाखडा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। भाखडा एवं गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष रू. 648.29 लाख व्यय किए जाकर 1181.67 रो0 कि.मी. (393.89 हैक्टेयर) वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना है। माह दिसम्बर, 2022 तक रू. 524.83 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

भाखडा नहर वृक्षारोपण की प्रगति				
क.सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख रू.)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2016—17	360.76	167.95	650 आर.के.एम. (216 है0)
2.	2017—18	355.65	320.5	318 आर.के.एम. (106 है0)
3.	2018—19	350.00	344.90	900.48आर.के.एम. (300.16 है0)
4.	2019—20	589.70	493.52	1140 आर.के.एम. (380 है0)
5.	2020—21	434.83	426.60	495.99 आर.के.एम.(165.33 है0)
6	2021—22	554.26	541.82	914.73 आर.के.एम.(304.91 है0)
	2022—23 (दिसम्बर, 2022 तक)	520.21	423.76	1041.72आर.के.एम.(347.24 है0)

गंगनहर वृक्षारोपण की प्रगति				
क. सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख रू.)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2016—17	315.89	228.71	385 आर.के.एम. (128 है0)
2.	2017—18	274.50	274.35	237 आर.के.एम. (79 है0)
3.	2018—19	199.24	194.90	172.83 आर.के.एम. (57.61 है0)
4.	2019—20	153.51	118.85	125 आर.के.एम. (41.67 है0)
5.	2020—21	153.51	150.46	220.50 आर.के.एम. (73.50 है0)
6.	2021—22	153.51	153.44	222.57 आर.के.एम. (74.19 है0)
	2022—23(दिसम्बर, 2022 तक)	128.08	101.07	139.95 आर.के.एम. (46.65 है0)

4.3.8 पौध वितरण

राजस्थान वन नीति, 2010 के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिगत, अब वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायें एवं जन साधारण के सहयोग से एक वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम के रूप में चलाये जाने के क्रम में वर्ष 2022—23 में 6 माह के 2 करोड और 12 माह के 3 करोड, कुल 5 करोड पौधे तैयार किये जायेगे।

आम जनता एवं कृषकों को वितरण हेतु पौधे तैयार करने का कार्य फार्म फोरेस्ट्री (प्लान), आर.एफ.बी.पी. फेज–। रिवोल्विंग फंड (नोन प्लान) एवं नाबार्ड (प्लान) परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत 2021–22 में वितरित पौधे, वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक वितरित पौधे एवं वर्ष 2023–24 में वर्षा ऋतु में वितरण हेतु तैयार किये जाने वाले पौधों का वितरण निम्नानुसार है:

नाम योजना	वर्ष 2021–22 में वितरित पौधे (लाखों में)	वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर तक वितरित पौधे (लाखों में)	आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु इस वर्ष तैयार किये जाने वाले पौधों का लक्ष्य (लाखों में)	
			भौतिक	वित्तिय (रूपये)
फार्म फोरेस्ट्री	50.173	38.821	500.00	3570.21
RFBP Ph. I (रिवोल्विंग फंड)	30.232	31.866	31.75	164.40
नाबार्ड परियोजना	1.339	4.333		
योग	**74.496**	**75.020**	**531.75**	**3734.61**

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में 5.00 लाख बडे पौधों की तैयारी की गई है एवं इस वर्ष भी 5.00 लाख बडे पौधे तैयार किये जा रहे हैं, जिसके लिये पृथक से रू. 129.79 लाख का प्रावधान रखा गया है। ये पौधे वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 मे वितरण हेतु उपलब्ध होगें।

घर–घर औषधि योजना : औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में औषधीय पौधों के सरंक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु घर–घर औषधि योजना के अन्तर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 20.04.2021 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया। तथा इस योजना का शुभारंभ 1 अगस्त, 2021 को किया गया। उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 05.12.2022 तक लक्ष्य 126.51 लाख के विरूद्ध 127.01 लाख पौधे वितरित किये जा चुके है तथा 100.39 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है।

4.3.9 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं। राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्यस्तरीय ''राज्य वन विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। यह अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। वर्ष 2021–22 हेतु राशि रूपये 115.30 लाख एवं वर्ष 2022–23 हेतु राशि रू. 26.63 लाख की दो वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। उक्त परियोजना को अब ग्रीन इण्डिया मिशन में विलय कर दी गई है।

4.3.10 साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों

एवं वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए राज्यादेशों दिनांक 17.10.2000 एवं दिनांक 24.10.2002 के अनुरूप क्रियान्विति की जा रही है। उक्त आदेशों के क्रम में वर्तमान में राज्य में लगभग 6318 समितियां (ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति एवं ईको डवलपमेंट कमेठी) गठित हैं। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा समितियों के सुदृढीकरण के लिए चालू वर्ष में 25.00 लाख रू. व्यय का प्रावधान है। जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2022 तक 3.91 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.11 नर्मदा नहर परियोजना

नर्मदा मुख्य नहर राज्य में जालौर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है, इसमें मार्च, 2008 से जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों के किनारे वृक्षारोपण की परियोजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसका 65 किमी (0 to 51.5RD, 58.8 to 68.3 RD, 70 to 74 RD) का हिस्सा जालौर जिले में है व शेष 9 किमी (51.5 to 58.8 RD, 68.3 to 70) बाडमेर में है। इस परियोजना अन्तर्गत विभाग द्वारा 31.03.2022 तक कुल राशि रू. 2856.68 लाख व्यय की गई है।

4.3.12 विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण (योजना भिन्न के अन्तर्गत)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में अब तक लगभग 145000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 है0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना वर्ष 1999–2000 से 2008–09 एवं द्वितीय कार्य योजना वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक स्वीकृत है। वृक्षारोपणों का विदोहन वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की विभागीय कार्य ईकाई द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम देशी बबूल सफेदा, अरडू, खेजडी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं। वर्ष 2017–18 से माह दिसम्बर, 2022 की अवधि में किये गये पुनः वृक्षारोपण कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	पुनः वृक्षारोपण क्षेत्र (है0 में)
1	2017–18	597.80
2	2018–19	1028.26
3	2019–20	541.00
4	2020–21	427.48
5	2021–22	514.95
	2022–23 (दिसम्बर, 2022)	604.91

4.3.13 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को और गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2022–23 में वानिकी क्षेत्र में वन्यजीव तथा वानिकी इंटर्न्स पर राशि रू. 14.30 लाख, काष्ठ आधारित उद्योगों की लकडी आवश्यकताओं के अध्ययन पर राशि रू. 5.00 लाख, वानिकी प्रशिक्षण पर राशि रूपये 28.70 लाख तथा वानिकी अनुसंधान कार्यों पर राशि रूपये 22.00 लाख अर्थात कुल राशि रू. 70.00 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यो पर माह दिसम्बर, 2022 तक 30.37 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

अध्याय–5

मृदा एवं जल संरक्षण

5.1 बाढ सम्भावित नदी परियाजनायें

आजादी के पश्चात् भारत सरकार द्वारा ढॅाचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई व कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया। जिस तरह बांधों में नदी के जलग्रहण क्षेत्र से बहकर आने वाली मिट्टी व जमाव को रोकने/कम करने हेतु नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई, उसी तरह कालान्तर में यह महसूस किया गया कि कुछ नदियों में बाढ़ की समस्या के कारण जान–माल के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का भी नुकसान हो रहा था उसी के मध्यनजर पांचवी पंचवर्षीय योजना से बाढ़ उन्मुख नदियों को भी केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं में शामिल किया गया। उसी के क्रम में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना संचालित की जा रही है। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी परियोजनाएं एवं नम भूमि संरक्षण परियोजनान्तर्गत सांभर नम भूमि उपचार योजना के अभियांत्रिकी कार्य मुख्य वन संरक्षक, बाढ़ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाये जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय भू संरक्षण अधिकारी (वानिकी) टोंक, वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना, भीलवाड़ा, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर, भू–संरक्षण अधिकारी, (कृषि), लूणी नदी परियोजना, सोजत रोड (पाली) में कार्यरत है।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यतः बनास, लूणी व इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा व जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

उद्देश्य (Objectives) :–इन भू–संरक्षण परियोजनाओं के निम्न उद्देश्य हैं।

- जलग्रहण क्षेत्रों में बहु आयामी उपचार द्वारा भूमि के अद्योपतन (Degradation)को रोकना।
- जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने की प्रवशति(Water Holding Capacity) को सुधारना तथा आर्द्रता की प्रवृति को सुधारना।
- अनुकुल भूमि उपयोग (Appropricte Land Use) प्रोत्साहित करना।
- नदीघाटी परियोजना अंतर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना।
- जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चत करना।

- भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना।

- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कार्य निर्देशिका 2008 अनुसार अति उच्च, उच्च एवं इनके समीपतम (Contiguous) मध्यम, कम, व बिल्कुल कम प्राथमिकता के वाटरशेड़ में स्थित कृषि, बंजर एवं वन भूमि को उपचार रणनीति के तहत उपचारित किया जाता है। जिसके अर्न्तगत बन्डिंगकार्य (Contour Vegetative Hedges,Contour Graded Bunding,Contour Staggered Trenching),बागवानी(Horticulture plantation), बीजारोपण एवं पोधारोपण(Sowing & Planting), चारागाह विकास (Pastoral Dev.) तथा वाटरशेड़ में बहने वाले नालों को कच्ची एवं पक्की संरचनाओं का निर्माण कर उपचारित किया जाता है (Drainage Line Treatment by Earthen Loose Boulders and with Vegetative Support, Gabion, Percolation Tanks, Silt Detention Structure, Water Harvesting Structure,Spillway & Farm Ponds etc.)

उपचार की रणनीति(Stretagy of Treatment):–

जलग्रहण क्षेत्र के उपचार हेतु निम्न रणनीति प्रतिपादित की गई है:–

- मौजूदा वनों की सुरक्षा कर वनस्पति घनत्व बढ़ाना।
- पहाड़ों से बहकर आते जलप्रवाह के वेग को कम करना।
- नमी संरक्षण।
- उबड़–खाबड़ बंजर भूमि के विस्तार की रोकथाम एवं समतलीकरण।
- असमतल कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि रकबा बढ़ाना।
- भू–क्षरण की रोकथाम।
- अतिरिक्त जलप्रवाह को रोककर फसल उत्पादन को बढ़ाना।
- स्थानीय किसानों को भू–संरक्षण की नवीन तकनीक से अवगत कराना।
- स्थानीय लोगों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना।

उक्त समस्त कार्यो का एकीकृत प्रबंधन कर क्षेत्र का व्यापक विकास ही इस रणनीति का उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बाढ़ संभावित बनास व लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 (दिसम्बर 2022 तक) आर.के.वी.वाई. योजना अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार रही है:–

एफपीआर बनास व लूणी परियोजना				
वित्तीय वर्ष	उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)
2021–22	55	10272	1072	1811.09
2022–23 (दिसम्बर 2022)	36	3079	359	478.017

5.2 नदी घाटी परियोजनाऐं

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बहुउद्वेश्यीय बांधों (Multipurpose Dams) का निर्माण किया गया है। इन बॉधों के निर्माण में विभिन्न योजना काल खंड़ों में अत्यधिक राशि का व्यय हुआ है। अतः बॉधों की राष्ट्र के लिये उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इनके जलाशयों में मिट्‌टी की आवक को न्यूनतम रखा जावे। बॉधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate)अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्‌देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान् केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना अर्न्तगत जल ग्रहण क्षेत्रों में भू–संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। राष्ट्र की बहुउद्वेश्यीय योजनाओं में नदी घाटी परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संक्षिप्त में इन्हें "नदी घाटी परियोजना" कहा जाता है। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाडा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनायें क्रमशः वर्ष 1962,1969,1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं जो क्रमशः चितौड़गढ, बासवाड़ा व प्रतापगढ, सिरोही व उदयपुर जिले में स्थित है। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध वेस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाडा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू–संरक्षण परियोजना संचालित है। इन बांधों के जल भराव क्षमता अच्छी बने रहने से राज्य की जल सुरक्षा (Water Security),सिंचाई सुविधा इत्यादि सुनिश्चित रहती हैं। हाल ही में अनेक शहरों में भूजल स्थिति (Under ground water status) में अत्यधिक ह्रास होने के फलस्वरूप इन शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिये इन बड़े बॉधों पर निर्भरता बढ़ी है इसलिये इन बॉधों की बहुउद्वेश्यीय उपयोगिता को लम्बे समय तक बनाये रखने में भू0–संरक्षण नदी घाटी परियोजना का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। भू–संरक्षण नदी घाटी परियोजना अर्न्तगत वर्ष 2021–22 तक कुल 356 जलग्रहण क्षेत्र उपचारित किये जा चुके है जिनका कुल क्षेत्रफल 657245 हैक्टर है जो राजस्थान में स्थित उपरोक्त नदियों के कुल क्षेत्रफल 2496200 हैक्टर का 26 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 में आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	चम्बल			माही			दांतीवाडा एवं साबरमती		
	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)
2019–20	1113	108	150.06	1450	621	189.09	11694	289	166.79
2020–21	2373	266	370.08	2532	1426	363.51	1759	1357	379.98
2021–22	2111	88	337.20	1583	574	484.71	3854	468	499.98
2022–23 (12/2022 तक)	65	4	49.11	998	316	100	383	0	119.85

5.3 साद अध्ययन

साद अध्ययन हेतु ऐसे उपजलग्रहण क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहां एक मुख्य नाला उक्त उपजलग्रहण क्षेत्र में से निकलता हो एवं वर्षा का अधिकतर जल उस नाले में से गुजरता हो। साद अध्ययन कार्य नाले के आखिरी बिन्दु पर किया जाता है । इसमें नाले में गेज लगाकर/ सिल्ट मोनिटरिंग स्टेशन (एस0एम0एस0)का निर्माण कर साद अध्ययन किया जाता है एवं संकलित रेनफाल, रनऑफ एवं सेड़ीमेन्ट डेटा भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। वर्ष 2021–22 वर्षाकाल में भारत सरकार की दिशा निर्देशिका (Operationl Guide Line 2008) अनुसार निम्नानुसार उपजलग्रहण क्षेत्रों में साद अध्ययन कार्य करवाया गया।

क्र0सं0	परियोजना	साद स्थलों की संख्या
1	चम्बल	1
2	माही	1
3	दाँतीवाड़ा	0
4	साबरमती	1
	योग	3

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र (I.M.D.) पूना से अनुबंधित दो मौसम वैधशालाऐं जो क्रमशः चम्बल परियोजना अंतर्गत चारभुजा (रावतभाटा) में एवं माही परियोजना अंतर्गत प्रतापगढ में स्थापित की हुई है जिनमें मौसम सम्बन्धी आंकड़े (Rainfall,Temperature Humidity,Vapour pressure, Wind velocity, Wind Direction, Sun shine hours,Weather report & Soil temperature etc.) संकलित कर पीरियड़ अनुसारI.M.D.पूना केन्द्र को भिजवाये जाते है।

अध्याय–6

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

वन विकास के कार्यो में मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग में राज्य स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ गठित किया है जो अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के नेतृत्व में कार्य करता है। यह प्रकोष्ठ राजस्थान में वृहद स्तर पर करवाये जा रहे वानिकी विकास कार्यो की मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सतत् मूल्यांकन करता रहता है।

उक्त कार्य हेतु राज्य के सभी संभागो में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के नेतृत्व में मूल्यांकन इकाईयां कार्यरत है जो उपलब्ध मानव एवं बजट संसाधनों के अनुसार कार्य करती हैं। ये इकाईयों वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, राजस्थान/अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा उनके निर्देशानुसार कार्य करती हैं।

इन इकाईयों को समय–समय पर मुख्यालय से आदेश प्रसारित कर विभिन्न वन मण्डलों के चयनित कार्यो एवं अन्य कार्यो के मूल्यांकन हेतु निर्देश दिये जाते है। ये इकाईयां मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता बनाये रखते हुए कार्य करती हैं एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई) को प्रेषित करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन परिपत्रों/आदेशों के अनुसार ही मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा मूल्यांकन कार्य कर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं।

6.1 मूल्यांकन ईकाईयों के कार्य

संभाग स्तर पर कार्यरत मूल्यांकन इकाइयों द्वारा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप चयनित कार्य स्थलों का शत प्रतिशत या सैंपलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य किया जाता है।

मूल्यांकन के दौरान इकाई द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्न कार्यो पर विशेष ध्यान दिया जाता है–

- कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्र का माईक्रोप्लान।
- कार्यस्थल की उपचार योजना।
- कार्यस्थल का मानचित्र मय मृदा मानचित्र।
- कार्यस्थल का चयन मॉडल के अनुरूप किया गया हो।
- कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन।
- बाडबंदी की प्रभावितता।
- वृक्षारोपण हेतु करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से।
- वृक्षारोपण हेतु पौधों की सुनिश्चिता हेतु नर्सरी व्यवस्था।

- किये गये वृक्षारोपण की तकनीक।
- वृक्षारोपण में लगाये गये पौधों की प्रजाति का चयन।
- वृक्षारोपण पश्चात करवाये जाने वाले विभिन्न संधारण कार्यो सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस की स्थिति।
- पौधों के विकास की स्थिति।
- पौधारोपण की सुरक्षा एवं संधारण की स्थिति।
- पौधारोपण स्थल से संबंधित समस्त रिकार्ड के संधारण की स्थिति।
- वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यो आदि में सक्रियता की स्थिति आदि।

मूल्यांकन के उपरांत मूल्यांकन इकाई द्वारा मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत चर्चा संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा कार्यस्थल प्रभारी से की जाती है। वृक्षारोपण में पाई गई विभिन्न कमियों तथा सुधार के संबंध में मूल्यांकन इकाई अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई को प्रस्तुत करती है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई राजस्थान के स्तर पर इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर वृक्षारोपण के संबंध में सुधारात्मक सुझाव एवं सुधार हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संभागीय स्तर पर पदस्थापित मुख्य वन संरक्षक को आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जाते है।

6.2 संभाग पर कार्यरत मूल्यांकन दलों द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षो के संपादित मूल्यांकन कार्यों की संभागवार /वर्ष वार स्थिति :-

6.2.1 वर्ष 2019-20

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम. जे.एस.ए. फेज-II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40-60 प्रतिशत	60-80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	1	20	17	15	53	0	0	53
2	बीकानेर	7	34	37	20	98	0	7	105
3	भरतपुर	3	16	7	1	27	0	10	37
4	जयपुर	0	16	24	19	59	0	0	59
5	जोधपुर	0	4	16	40	60	0	0	60
6	कोटा	2	2	11	1	16	0	0	16
7	उदयपुर	0	28	37	24	89	0	1	90
	योग	13	120	149	120	402	0	18	420

6.2.2 वर्ष 2020—21

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यो की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम. जे.एस.ए. फेज—II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40—60 प्रतिशत	60—80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	6	22	12	4	44	0	17	61
2	बीकानेर	4	33	47	25	109	0	15	124
3	भरतपुर	13	23	6	0	42	0	51	93
4	जयपुर	0	21	39	5	65	0	29	94
5	जोधपुर	0	19	20	6	45	0	0	45
6	कोटा	18	25	18	3	64	0	0	64
7	उदयपुर	0	2	18	5	25	0	44	69
	योग	41	145	160	48	394	0	156	550

6.2.3वर्ष 2021—22

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यो की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम. जे.एस.ए. फेज—II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40—60 प्रतिशत	60—80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	0	0	1	0	1	0	0	1
2	बीकानेर	—	—	—	—	—	—	—	—
3	भरतपुर	18	36	0	0	54	0	48	102
4	जयपुर	0	10	28	6	44	0	47	91
5	जोधपुर	6	28	13	3	50	0	12	62
6	कोटा	0	14	5	0	19	0	20	39
7	उदयपुर	0	8	1	0	9	0	102	111
	योग	24	96	48	9	177	0	229	406

नोट— 1. अजमेर संभाग में मूल्यांकन कार्य प्रगतिरत है। पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होना बकाया है।

2. वर्ष 2021—22 में बीकानेर संभाग की सूचना शून्य है।

6.3 स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा विभागीय कार्यों का मूल्यांकन

- वर्ष 2016–17 में कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (आफरी) के माध्यम से मूल्यांकन करवाया गया है। माह जनवरी 2019 में आफरी द्वारा मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

- कैम्पा के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपणों में औसत जीवितता 49.37 प्रतिशत पायी गई जिसमें < 10%, 10–20%, व 20–30% जीवितता प्रतिशत के 5 वृक्षारोपण प्रत्येक कैटेगिरी में पाये गये। 30–40 प्रतिशत जीवितता की 12 साईटस थी। 50% से कम जीवितता की 35.8% साईटस, 50–70% तथा 70–95 % जीवितता की 17.9% साईटस् पायी गई। मॉडल वाइज ANR, NFL व DFL श्रेणी की औसत जीवितता क्रमशः 45.47 % , 60.37 % तथा 49.2 % पायी गई।

- इसी अवधि में 156 एसेटस का भी सत्यापन किया गया जिसमें 19 एनिकट टाइप II, 18 एनिकट टाइप III, 5 आरबोरेटम, 25 साइट्स बाउन्ड्री पिलर्स, 39 पक्की दीवार साईटस (1 साईट 12′उचांई, 25 साईटस् 4′उचांई व 13 साईटस् 6′उचांई) 29 वन चौकी, 14 रेंज फॉरेस्ट ऑफिस व 7 रेस्क्यू सेंटर्स का सत्यापन किया गया।

- वर्ष 2018–19 में नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF—XVIII, Phase-I, 2013-14 to 2015-16) के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस, (C-DECS) जयपुर द्वारा किया गया। उक्त संस्था द्वारा 17 वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य किया गया है। सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस, (C-DECS) जयपुर द्वारा नाबार्ड फेज–I परियोजनान्तर्गत करवाये गये वानिकी विकास कार्यो के तृतीय पक्ष मूल्यांकन पूरा कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक करवाये गये वृक्षारोपणों में जीवितता प्रतिशत 20% से कम 5 वृक्षारोपण, 21–40% 5 वृक्षारोपण, 41–60 % के मध्य 107 वृक्षारोपण व 61 –80 % के मध्य 8 वृक्षारोपण पाये गये।

- इसके अतिरिक्त उक्त 3 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 3010 है0 कन्टूर बंडिंग, 132 LSCD, 65 फार्म पॉन्डस, 44 गैबियन स्ट्रक्चर, 36 PCTèNadi 36 WHS, 24 एनिकटटाइप II, 17 एनिकट टाइप -III, 11 मिट्टी चैकडेम सभी चैक किये गये। इसमें से 99.6% रिकॉर्ड व साईट के अनुसार सही पाये गये। 83% संरचनाएं फंक्शनल पायी गयी।

6.4 तृतीय पक्ष मूल्यांकन (कैम्पा)

- कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य (Assets) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वर्ष 2021 में AFC India Limited New Delhi द्वारा 15 दिसंबर 2021 तक पूर्ण कर लिया गया है।

- AFC India Limited New Delhi द्वारा 39 वनमण्डल के 74 रेन्जों का मूल्यांकन कार्य किया गया। कैम्पा योजना में वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान वानिकी विकास कार्यों का तश्तीय पक्ष मूल्यांकन पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक करवाए गए वृक्षारोपण कार्यों में औसत जीवितता 66.62 प्रतिशत पाई गई तथा 40–50 % के मध्य 4 वृक्षारोपण, 50–60 % के मध्य 14 वृक्षारोपण, 60–70 % के मध्य 32 वृक्षारोपण, 70–80 % के मध्य 28 वृक्षारोपण, 80–90 % के मध्य 7 वृक्षारोपण साइटस पाई गई।

- इसके अतिरिक्त उक्त 3 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 13 एनिकट टाइप II, 2 एनिकट टाइप-III, 4 फीट पक्की दीवार 21 साइटों पर , 6 फीट पक्की दीवार 3 साइटों पर , फॉरेस्ट गार्ड चॉकी 22, रेंज ऑफिस कम रेजीडेंस 6, रेस्क्यू सेंटर 1, बाउंड्री पिलर 25 का सत्यापन किया गया।

- कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य (Assets) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वर्ष 2022 में CDECS Jaipur द्वारा 15 जनवरी 2022 से 15 जुलाई 2022 तक पूर्ण कर लिया गया है।

- CDECS JAIPUR द्वारा 55 वनमण्डलों को 85 रेन्जों का मूल्यांकन कार्य किया गया। कैम्पा योजना में वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान वानिकी विकास कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक करवाए गए वृक्षारोपण कार्यों में औसत जीवितता 48.44 प्रतिशत पाई गई तथा 0–20 % के मध्य 6 वृक्षारोपण, 21–40% के मध्य 3 वृक्षारोपण, 41–60 % के मध्य 86 वृक्षारोपण, 61–80 % के मध्य 15 वृक्षारोपण, 80 % से अधिक 1 वृक्षारोपण साइटस पाई गई।

- इसके अतिरिक्त उक्त 3 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 8 एनिकट टाइप II, 10 एनिकट टाइप -III, 4 फीट पक्की दीवार 73 साइटों पर, 6 फीट पक्की दीवार 48 साइटों पर, 17 फोरेस्ट गार्ड चौकी, 4 रेंज ऑफिस कम रेजीडेंस, रेस्क्यू सेन्टरèवार्ड 12, बाउन्ड्री पिलर्स 32, नर्सरी 9, रोडसाइड प्लांटेशन 5 भी चैक किये गये।

अध्याय–7

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

7.1 संक्षिप्त विवरण

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते है। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव अभयारण्य एवं 19 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 4 टाईगर रिजर्व भी है। सभी संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 13301.64 वर्ग कि.मी. है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यतः अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित है, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्य जीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भी पैदा होती है। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास, हैबीटाट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

7.2 वन्य जीव प्रभाग द्वारा संपादित महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" "Project Elephant" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, नाबार्ड, आर.एफ.बी.पी–2, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी, आदि में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे है। रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकुन्दरा हिल्स बाघ परियोजना क्षेत्रों में संरक्षण फाउण्डेशन में जमा राशि से अतिरिक्त विकास कार्य कराया जाते हैं।

अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं टाईगर रिजर्व की वार्षिक कार्य योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। अभयारण्यों में मुख्यतः सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार के कार्य किये जाते है।

राज्य में 4 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में स्थित है, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित ''कॉन्सेप्ट प्लान'' के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, जयपुर एवं कोटा में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः माचिया जैविक उद्यान,सज्जनगढ जैविक उद्यान, नाहरगढ जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान विकसित किए गये हैं। बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर जैविक उद्यान विकसित किये जा रहे हैं।

वन्यजीव अपराधों के नियंत्रण एवं अनुसंधान के लिये वन्यजीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरों द्वारा जारी एडवाईजरी एवं राज्य वन नीति 2010 के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः 6(24)/एआर–3/2020 दिनांक 17.7.2020 के द्वारा एक हाई लेवल इन्टर ऐजेन्सी कोर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है ।

7.3 वर्ष 2022–23 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना “Integrated Development of Wild Life Habitats" “Project Elephant" एव "Project Tiger"के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

7.3.1 इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटाट्स''

भारत सरकार द्वारा इस योजना का फंडिंग पैटर्न वर्ष 2015–16 से परिवर्तित कर 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य हिस्सा किया गया है। वर्ष 2022–23 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 34 संरक्षित क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत कुल रुपये 12113.50 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम हेतु राशि रूपये 1456. 12 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हैबिटाट डेवलपमेंट, वाटर पॉईन्टस, फायर लाईन्स दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जाते है।

7.3.2 प्रोजक्ट टाईगर

- इस वर्ष रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी टाईगर की अधिसूचना जारी की गई हैं। यह राज्य का चतुर्थ टाईगर रिजर्व हैं। राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्त पोषित केन्द्र प्रवर्तित योजना “Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में (RTR Rs. 940.10 + STR Rs. 778.58 + MHTR Rs. 615.30 + RVTR Rs. 53.00) रुपये 2386.98 लाख का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
- बाघ परियोजना रणथम्भौर, मुकन्दरा एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विस्थापन पैकेज में बढ़ोतरी कर 10.00 लाख के स्थान पर 15.00 लाख प्रति परिवार कर दिया गया हैं। प्रदेश की बाघ परियोजना के Critical Tiger

Habitat क्षेत्र में स्वैच्छिक विस्थापन कार्य को गति प्रदान की गई है । वर्ष 2022–23 में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में 294, मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में 90 एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में 123 परिवारों का विस्थापन किया गया है तथा नव अधिसूचित रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी में भी इस वर्ष में एक गांव का विस्थापन किया जा रहा है।

- राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है।
- संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगो को रोजगार देने तथा वन्यजीव संरक्षण में जन सहभागिता सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुये आमागढ, केलादेवी, माउण्ट आबू, मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, तालछापर, मनसा माता, बीड झुन्झूनु, बांसियाल खेतडी झुन्झूनु, जयसमन्द, कुम्भलगढ, टॉडगढ रावली क्षेत्रों में पर्यटन संचालन के लिये अनुमति जारी की गई।
- रणथम्भोर टाईगर रिजर्व सवाईमाधोपुर से सरिस्का एवं मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में इस वर्ष 2 बाघों को ट्रॅासलोकेशन किया गया। देश में प्रथम बार अस्थाई एन्क्लोजर बनाकर एक स्थान विशेष पर बाघ को ट्रॅासलोकेशन किया गया हैं।

- संरक्षित क्षेत्रों में प्रे–बेस बढाने के लिये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से 800 चीतल के ट्रॅासलोकेशन की स्वीकृति जारी की गई तथा राज्य में प्रथम बार बोमा पद्वति (Boma Technique) से सफलतापूर्वक ट्रॅासलोकेशन किया गया। जन्तुआलय से भी वन क्षेत्रों में 200 से अधिक वन्य प्राणी छोडे गये।

7.3.3 प्रोजेक्ट बस्टर्ड

Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारत–सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार में हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार सम में गोडवाण का कृत्रिम प्रजनन आरम्भ कर दिया गया है। गोडावण के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत गोडवण पक्षी के 21 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। खरमोर पक्षी (Lesser Florican)के संरक्षण के प्रयास भी आरंभ किये जाकर 8 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। हरित मुनिया का संरक्षण प्रजनन उदयपुर, पक्षी उद्यान में किया जाना आरम्भ हुआ है।

7.3.4 कन्जर्वेशन रिजर्व

जिला बांरा में शाहबाद, शाहबाद तलहटी, जिला जालोर में रणखार, जिला भीलवाडा में फुलियाखुर्द तथा जिला उदयपुर में बाघदर्रा नये कन्जर्वेशन रिजर्वस घोषित किये गये हैं। वर्तमान में प्रदेश में कन्जर्वेशन रिजर्व की कुल संख्या 19 हैं, जिनका विवरण परिशिष्ठ–2 के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है।

7.3.5 प्रोजेक्ट लेपर्ड

राज्य में पेन्थर की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण इनका प्रबंधन आवश्यक है। पैंथर संरक्षण के लिये "प्रोजेक्ट लैपर्ड" के तहत सर्वप्रथम झालाना जयपुर को चयनित किया जाकर इसमें लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई। वर्तमान में झालाना आमागढ़, कुम्भलगढ़, रावली टाडगढ़, जयसमन्द, शेरगढ़ (बारां), माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, जवाई बांध एवं बस्सी व सीतामाता अभयारण्य क्षेत्रों को प्रोजेक्ट लैपर्ड में सम्मिलित किया जाकर विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। इनके विकास के लिये स्टेट कैम्पा/केन्द्रीय सहायता/राज्य योजना मद से उपलब्ध संसाधन के अनुरूप ग्रास लेण्ड विकसित करने, चारदीवारी निर्माण विलायती बबूल को हटाना, पर्यावास सुधार एवं पानी की व्यवस्था इत्यादि गतिविधियां कराई जा रही है।

लैपर्ड रिजर्व में प्रे–बैस बढ़ाने के लिये चिड़ियाघरों में अधिशेष प्रजातियों (हिरण इत्यादि) को छोड़े जाने के कार्य की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। जिसके क्रम में उक्त अभयारण्य क्षेत्रों में हिरण इत्यादि छोडने की कार्यवाही की जा रही है। आमागढ़, माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, बीड़ झुन्झुनू, मनसा माता, जयसमन्द, कुम्भलगढ़ एवं रावली टाडगढ़ क्षेत्रों में इस वर्ष पर्यटन प्रोत्साहन के लिये सफारी प्रारम्भ की गई है।

7.3.6 प्रोजक्ट एलीफेण्ट

इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर में रह रहे पालतू हाथियों के लिये वर्ष 2022–23 हेतु राशि रुपये 76.00 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

7.3.7 वन्यजीव सप्ताह आयोजन

राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों अनुसार वन विभाग द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर से 08 अक्टूबर 2022 तक राज्य भर में 68 वां वन्यजीव सप्ताह समारोह मनाया गया जिसमें वन विभाग द्वारा जिला स्तर पर अन्य सरकारी विभागों एवं गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं के सहयोग से राजस्थान की जैव विविधता और वन्यजीवों के संबंध में जन–जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आमजन विशेष रूप से छात्रों एवं युवाओं के लिये वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों वन्यजीव सफारी का दौरा, स्वच्छता अभियान, चित्रकला प्रतियोगिता, बर्ड वॉचिंग, प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद, निबन्ध लेखन, साइकिलिंग, मैराथन रैली, कठपुतली प्रदर्शन इत्यादि गतिविधियों का आयोजन किया गया।

7.3.8 ईको–सेन्सिटिव जोन

सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों और 24 ईको–सेन्सिटिव जोन घोषित किये जाने है, जिसमें से 15 इको–सेन्सिटिव जोन के फाईनल नोटिफिकेशन जारी कर दिये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ठ–3 के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है इसके अतिरिक्त 3 फाईनल नोटिफिकेशन तथा 4 प्रारंभिक नोटिफिकेशन के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

7.3.9चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान

- माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर को पर्यटकों के लिए 20.01.2016 को खोला गया था। उद्यान में

वर्ष 2022–23 में 2.37 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 78.85 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

- सज्जनगढ जैविक उद्यान, उदयपुर को दिनांक 12.04.2015 को पर्यटकों के लिए खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2022–23 में 1.46 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 49.93 लाख़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। उदयपुर स्थित बर्ड पार्क को दिनांक 12.05.2022 से आमजन के लिये खोला गया।
- नाहरगढ जैविक उद्यान, जयपुर को दिनांक 04.06.2016 को पर्यटको के लिए खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2022–23 में 3.18 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रुपये 149.46 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- जयपुर जन्तुआलय में भी वर्ष 2022–23 में 2.46 लाख पर्यटक आये, जिनसे रुपये 47.69 लाख की आय हुई।
- अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा का माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 18.12.2021 को लोकार्पण किया गया तथा कोटा जन्तुआलय के वन्यजीवों को इसमें स्थानान्तरित कर दिनांक 01.01.2022 से अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क को आमजन के लिए खोला गया। इसमें वर्ष 2022–23 में 0.49 लाख पर्यटक आये, जिनसे रूपये 20.18 लाख की आय हुई।
- बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर में जैविक उद्यान बनाये जा रहे है।
- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के द्वारा चिडियाघरों के संधारण बाबत् जारी गाईड लाईन अनुसार राज्य के सभी जैविक उद्यानों एवं चिडियाघरों – नाहरगढ जैविक उद्यान व जयपुर चिडियाघर/माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर/ बीकानेर, चिड़ियाघर/ कोटा चिडियाघर एवं सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर मे पशु पक्षियों के स्वच्छता (Sanitation), हाईजीन (Hygiene), रोग निरोधी (Prophylactic), पोषण (Nutrition) तथा बीमार जानवरों के प्रबन्धन इत्यादि सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनु–3)विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः प॰6 (50) प्र॰सु॰/अनु॰–3/2020 दिनांक 11.12.2020 द्वारा स्वास्थ्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
- राज्य में स्थित चिडियाघरों, जैविक उद्यानों (Zoological Park -Zoo), संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित सफारी, कृत्रिम प्रजनन केन्द्रों एवं रेस्क्यू सेन्टर पर वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहायता के लिये राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत राजस्थान एक्स सीटू कन्जर्वेशन ऑथोरिटी (RESCA) का गठन किया गया हैं तथा राज्य में आमजन, संस्था, कार्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों (Zoological Park -Zoo) में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponosorship Scheme लागू की गई हैं। जिसका क्रियान्वयन राजस्थान एक्स सीटू कन्जर्वेशन ऑथोरिटी (RESCA)के माध्यम से किया जा रहा हैं।

अध्याय–8

कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

- वन मण्डलों/जिलों में स्थित वन क्षेत्रों के प्रबंधन की कार्य आयोजनाओं की तैयारी, स्वीकृति एवं समीक्षा करना।
- वन बन्दोबस्त संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण एंव निस्तारण ।
- वन भूमि के अमलदरामद, रेखाकंन व सीमांकन कार्य का परीक्षण व प्रबोधन।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा इन कार्यो के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त के अधीन आते हैं।

8.1 कार्य आयोजना

प्रत्येक वन मण्डल के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार की जाती हैं। वर्तमान में कार्य आयोजना तैयारी हेतु सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में स्थाई रूप से स्वीकृत हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार जिन जिलों में कार्य आयोजना बनाई जानी होती हैं, में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। संभागीय मुख्य वन संरक्षकगणों को उनके जिलों से सम्बन्धित कार्य आयोजना अधिकारियों का नियंत्रक अधिकारी बनाया गया है व कार्य आयोजना तैयारी में संबंधित प्रादेशिक उप वन संरक्षकगण एवं कार्य आयोजना अधिकारीयों के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

राजस्थान के विभिन्न वनमण्डलों के वन क्षेत्रों (वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोडकर) के प्रबन्धन हेतु 31 कार्य आयोजनाएँ स्वीकृत करायी गई थीं। वर्तमान में नवीन राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 के अनुसार वनमण्डल के स्थान पर जिलेवार (33 जिलों की) कार्य आयोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ, चित्तौडगढ, राजसमन्द,झुन्झुनू एवं सवाईमाधोपुर की कार्य आयोजनाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कराई जा चुकी हैं एवं दौसा जिले की कार्य आयोजना अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है जिसका अनुमोदन शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जावेगा। चूरू जिले की कार्य आयोजना को स्टेंडिंग कन्सलटेटिव कमेटी से अनुमोदित कराया जाकर प्राप्त सुझावों को शामिल कर लेखन कार्य जारी है।

अन्य शेष जिलों की प्रारम्भिक कार्य आयोजना स्वीकृत हो चुकी हैं एवं कार्य आयोजना को नवीन राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 के अनुसार पूर्ण कराने हेतु एफ.ई.एस. (Foundation for Ecological Security) आनन्द, गुजरात का तकनीकी सहयोग/प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। प्रशिक्षण उपरान्त इन जिलों की ड्राफ्ट कार्य आयोजनाओं के लेखन का कार्य प्रगतिरत है।

राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 के प्रावधानों के तहत इस बार कार्य आयोजना तैयारी में आधुनिक तकीनक जैसे रिमोट सैंसिंग, जी.आई.एस. व जी.पी.एस. आधारित मोबाईल एप का उपयोग कर डाटा एकत्र कर जैव विविधता सर्वे, फोरेस्ट इन्वेन्ट्री व मैपिंग का कार्य भी किया जा रहा है जो कि पूर्व में तैयार की जाती रही कार्य आयोजना की प्रक्रिया से भिन्न है।

8.2 वन बन्दोबस्त

वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित /रक्षित वन घोषित किये जाने की प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

किसी वन क्षेत्र को रक्षित/आरक्षित वन खण्ड गठित करने की प्रारम्भिक अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1)/04 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र मे प्रकाशन उपरांत् अंतिम अधिसूचना हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार जांच व सुनवाई कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाता है। तदुपरांत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(3)/20 के अन्तर्गत अंतिम अधिसूचना राज्य सरकार स्तर से जारी कर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है। गत वर्षों में प्रारम्भिक व अंतिम रूप से अधिसूचित कराये गए अवर्गीकृत वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:–

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वन खण्डो की जारी अंतिम अधिसूचना			वन खण्ड गठित करने की जारी प्रारम्भिक अधिसूचना		
2020	2021	2022	2020	2021	2022
597.49	0	0	500.093	1058.666	2945.843

8.2.1 वन भूमि का विवरण

राजस्थान राज्य की कुल वन भूमि 32869.69 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर की 9.60 प्रतिशत है। उक्त वन भूमि में से 12176.28 वर्ग किलोमीटर आरक्षित 18588.39 वर्ग किलोमीटर रक्षित तथा 2105.03 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत है। जिलेवार वन भूमि का विवरण पृथक से परिशिष्ठ के रूप में संलग्न है।

8.2.2 वन भूमि का राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद

राज्य में वन एवं वन्य जीवों के संवर्धन हेतु वन भूमि का संरक्षण अति आवश्यक है। वन भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन में वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड़ में अमलदरामद ना होना एक बड़ी बाधा होता है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार ने गंभीरता पूर्वक विचार किया एवं आशातीत प्रगति हासिल की, जो कि आगे भी जारी

रहेगी। इस हेतु संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग की राज्य आज्ञा क्रमांक प. 6 (35) प्र.सु. अनुदेश–3/99/जयपुर दिनांक 10.6.2019 द्वारा समिति का गठन स्थाई रूप से कर दिया गया है। इस हेतु बैठके आयोजित कर अवशेष वन भूमि के अमलदरामद का सत्त प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में 01.04.2022 को 2.94 लाख है0 वन भूमि अनसर्वेड़ थी, वन विभाग के अथक प्रयासों से इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2.94 लाख है0 अनसर्वेड़ वन भूमि में से 2.83 लाख है0 (96.2 प्रतिशत) वन भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं सर्वे उपरांत उक्त वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड़ में अमलदरामद विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जावेगा। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 19382 है0 वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड़ में अमलदरामद किया जा चुका है।

अध्याय–9

वन अनुसंधान

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। राजस्थान की विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के कारण राज्य के वन विभाग में अनुसंधान कार्यो के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे है। मुख्य वन संरक्षक (वनवर्धन) जयपुर कार्यालय के अधीन 4 अनुसंधान केन्द्र,ग्रास फार्म अनुसंधान केन्द्र जयपुर, वन अनुसंधान केन्द्र, गोविन्दपुरा जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जयपुर एवं वन अनुसंधान केन्द्र, बांकी उदयपुर कार्यरत है। वनवर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एंव जल–मृदा परीक्षण से सम्बन्धित दो प्रयोगशालायें भी है।

9.1 पौधशालायें

इस कार्यालय अधीन कुल चार पौधशालायें, ग्रासफार्म पौधशाला,जयपुर, पौधशाला गोविन्दपुरा जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान पौधशाला, जयपुर एवं बांकी पौधशाला उदयपुर है जिनमें अनुसंधान एवं आम जनता को वितरण हेतु पौधे तैयार किये जाते है।

9.2 अनुसंधान परियोजनाएं

वन अनुसंधान कार्यो की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा निर्देश देने के लिये विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। वर्ष 2022 में आरएजी की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में प्रस्तावित अनुसंधान परियोजनाओं एवं पूर्व के वर्षो में किये गये कार्यो की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2022–23 में किये जाने वाले कार्यों का निर्णय लिया गया। विभिन्न वर्षो मे शोध परामर्शी समूह की बैठकों में स्वीकृत की गई अनुसंधान परियोजनाओं का नाम एवं आवंटित बजट का विवरण निम्न तालिका अनुसार है : –

वर्ष	कार्यालय का नाम	कार्य का विवरण	राशि लाखों में
2020—21	विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	1.Maintenance of Ethno Medicinal PlantGarden	0.50
		2.Status Assessment, propagation and re- introduction of *Ephedra foliata* (Unth Phog)	0.25
		3.Establishment of a Forest Food Park, at World Forestry Arboretum, Jaipur	1.56
		4.Habitat Improvement, Renovation & Biodiversity conservation work at Amrita Devi park, Jaipur	4.58
	ग्रास फार्म नर्सरी , जयपुर	5.Establishment of Herbal Garden at Grass Farm Nursery, Jaipur	1.69
	वन अनुसंधान फार्म, बांकी, सिसारमा, उदयपुर	6.Developing propagation protocol of useful medicinal plants (Pterocarpus marsupium)	0.14
		7.Developing propagation technique of Buchanania (Charoli)	0.20
	वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	8.Development & Improvement of seeding seed orchards	1.30
		9.Establishment of Vermi composting unit	0.53
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीज जयपुर	10.Collection of quality seeds from Seed production Areas	2.80
	Research Officer (Seed)	11.Improving facilities of seed testing laboratory, Grass Farm Jaipur	0.10
	उप वन संरक्षक (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर।	12. Organization of RAG meeting; procurement of books and periodicals; documentation, publishing and dissemination of annual report, technical bulletins of lesser known species & other important research findings to stakeholders.	1.40
2021—22	आरबोरीकल्चरिष्ट, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	1. to study the Application of Bio fertilizers in plant nursery	0.375
		2 Strengthening of Vermicomposting unit	0.20
		3 Habitat improvement, renovation and biodiversity work at Amrita Devi park, jaipur	1.50
		4 Maintenance of old projects (Name Trail, Red House, Ethno Medicinal Garden, Bamusetum, Forest food park)	1.20
	प्रभारी अधिकारी वन अनुसंधान फार्म, बांकी, सिसारमा, उदयपुर	5 To study the effect of pusa Hydrogel on plants.	0.60
		6 Strengthening of Vermicomposting unit.	0.20
		7 Maintenance of old projects (Bamusetum, State Tree Plot)	0.25
		8 Developing propagating technique of Buchanania lanzan (Charoli)	0.10
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीज जयपुर	9 Collection of Quality Seeds from SP As of Rajasthan	5.00
	प्रभारी अधिकारी, वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	10 To study the effect of pusa Hydrogel on plants.	0.60
		11 Strengthening of Vermicomposting unit.	0.15
		12 Development and Improvement of seedling seed orchards	1.03
	प्रभारी अधिकारी ग्रास फार्म नर्सरी , जयपुर	13 Study and documentation of Flora of Grass Farm, jaipur	0.50
		14 To study the Application of Bio fertilizers in plant	0.375

		15 Establishment of clonal plant orchard at Grass Farm Nursery, jaipur	2.70
		16 Establishment of climber (Lata-Kunj) at Grass Farm jaipur	1.80
		17 Strengthening of Vermicomposting unit.	0.25
		18 Establishment of a Herbal Garden, at Grass Farm Nursery Jaipur	1.35
	उप वन संरक्षक (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर।	19 Facilitating soil, water and seed testing laboratory, Grass Farm, Jaipur	0.20
		20 To organise RAG meeting procurement of books and periodicals for ready reference, documentation, publication and dissemination of annual report, technical bulletins of lesser known species & other important research findings to stakeholders.	1.62
2022–23	आरबोरीकल्चरिष्ट, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	1.To study the application of Bio fertilizer in plant nursery	0.10
		2.To study the propagation of Tinospora cordifolia and creation of "AMRITA VATIKA"	0.20
		3.Biodivesity Conservation and Improvement work at Herbal Garden of Arboretum	3.50
		4. Introductory trial for selection of suitable indigenous species under Vachellia tortilis.	3.00
		5.Creation of Rashi van (Cultural Forest)	3.50
	प्रभारी अधिकारी वन अनुसंधान फार्म, बांकी, सिसारमा, उदयपुर	5.To study the effect of pusa hydrogel on plants nursery	0.15
		7.Introduction of native species of Rajasthan at Banki Research Centre Udaipur	1.50
		8.Creation of preservation plot of sanegalia catechu(Khair) at Banswara divison	0.50
		9.To study the propagation of Tinospora cordifolia and creation of "AMRITA VATIKA	0.15
	क्षेत्रीय वन अधिकारी बीज जयपुर	10.Collection of Quality Seeds from SPA's of Rajasthan	4.35
		11.Review and Evaluation of existing Seed Production Areas of Rajasthan	0.50
	वन अनुसंधान फार्म गोविन्दपुरा जयपुर	12.To study the effect of pusa hydrogel on plants nursery	0.15
		13.To study the propagation of Tinospora cordifolia and creation of "AMRITA VATIKA"	0.20
		14.To study the application of Bio fertilizer in plant nursery	0.10
		15.Establishment of clonal plant orchard at Grass Farm Nursery ,Jaipur	0.30
		16.Establishment of climbery (Lata Kunj) at Grass Farm, Jaipur	0.40
		17.To study the propagation of Tinospora cordifolia and creation of "AMRITA VATIKA"	0.20
	उप वन संरक्षक अनुसंधान जयपुर	18.Facilitating soil and water and seed testing laboratories , Grass Farm Jaipur	0.20
		19.Study and documentation of flora of Grass Farm, Jaipur	0.50
		20.To organise RAG meeting ;procurement of books and periodicals for ready reference ,documentation , publication and dissemination of annual report , technical bulletins of lesser known species and other important research finding to stake holders .	2.50

9.3 बीज उत्पादक क्षेत्र(Seed Production Area)

अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिये उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन कार्यालय, निरोगी वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वही से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

9.4 बीज एकत्रीकरण

बीज संग्रहण एवं भण्डारण रेंज जयपुर द्वारा बीज उत्पादक क्षेत्रों से बीजो का एकत्रीकरण कर विभाग के विभिन्न वन मण्डलों को उपलब्ध कराये गये बीजो का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है।

बीज प्रजाति-> वर्ष	देशी बबूल	अकेशिया टोर्टलिस	खेजडी	कुमठा
2020-21	2000 कि.ग्रा.	260 कि.ग्रा	240 कि.ग्रा	970 कि.ग्रा
2021-22	2290 कि.ग्रा	320 कि.ग्रा	545 कि.ग्रा	1965 कि.ग्रा
2022-23 31 दिसम्बर 22 तक	2350 कि.ग्रा	-	275 कि.ग्रा	-

9.5 बीज, मृदा व जल की जाँच

वनवर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालायें न केवल वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जाँच करती है, अपितु आम जनता द्वारा लाये गये नमूनों की निःशुल्क जाँच कर उपयुक्त सुझाव देती है। प्रयोगशालाओं मे प्राप्त सेंपलों की वर्षवार संख्या निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	नमूनों की संख्या (बीज)	नमूनों की संख्या (मृदा)	नमूनों की संख्या (जल)
2020-21	162	12	04
2021-22	147	13	02
2022-23 31 दिसम्बर 2022 तक	100	22	08

9.6 वनवर्धन की मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार हैः–

- विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से बीजों का संग्रहण उपलब्ध बजट के अनुसार करना तथा उन्हें विभिन्न वन मंडलों को वितरित करना है।
- बीज प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों से प्राप्त बीजों का अंकुरण प्रतिशत की जांच की जाती है।
- जल एवं मृदा प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों व आमजनों से प्राप्त जल एवं मृदा की जांच निःशुल्क की जाती है।
- ग्रास फार्म नर्सरी की मुख्य गतिविधि विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार कर उनका वितरण करना है।
- वन अनुसंधान फार्म गोविन्दपुरा क्लोनल सीड आरचर्ड सीडलीग सीड आरचर्ड अन्तर्राष्ट्रीय नीम ट्रायल, नीम प्रोजेनीट्रायल स्थित है जिनका संधारण किया जा रहा है।
- वन अनुसंधान फार्म बांकी, उदयपुर में मुख्य रूप से औषधीय पौधों का उत्पादन ट्रायल व अनुसंधान से सम्बन्धित है।
- विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का संधारण किया जा रहा है।
- उपरोक्त सम्बन्धित गतिविधियों/उद्देश्य के लिये विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त भौतिक वित्तीय लक्ष्यों को आवंटन अनुसार प्राप्त किया जाता है। विभाग विभिन्न राष्ट्रीय व प्रादेशिक वानिकी व कृषि अनुसंधान संस्थानों से निरन्तर अनुसंधान सम्बन्धित सूचनाओं व निष्कर्षों का आदान–प्रदान करता रहता है।

अध्याय–10

विभागीय कार्य योजना

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरकुंश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई के कारण वनों को काफी क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्वति से स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकडी, कोयला, इमारती लकडी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

10.1 विभागीय कार्य योजना के उद्देश्य :–

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा।
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरोत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्वति अपनाना।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर जलाऊ लकडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- पिछडे वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों का उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना तथा।
- राज्य के लिए राजस्व आय प्राप्ति करना आदि।

10.2 प्रशासनिक व्यवस्था :–

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत है :–

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–।। ,बीकानेर।
3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर।
5. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर।

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। उप वन संरक्षक, बीकानेर/स्टेज।। बीकानेर/सूरतगढ द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वर्किंग स्कीम के अनुसार बाँस कार्य का विदोहन उदयपुर जिलें में करवाया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के चौडीकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकडी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पडी लकडी के विदोहन पश्चात विक्रय करने का कार्य कराया जा रहा है।

10.3 विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ :–

10.3.1 लकडी व्यापार योजना :–

जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकशतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकडी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है।

प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकडी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पडी लकडी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत के मुख्य वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत चल रही योजनाओं में वृक्षों के पातन कार्य किये जाते है एवं अन्य नहरों के वृक्षारोपण क्षेत्रों में है जो वन विभाग के दायरे में नहीं आती है उसमें राज्य सरकार दिशा निर्देशानुसार प्रबंधन योजना अनुमोदित करके पातन कार्य भी किया जाता है। मार्च, 1999 में दस वर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में खडे परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्व रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षो में कराये गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख क्विंटल में)		योग (लाख क्विंटल)	प्राप्त राजस्व (रू.लाखों में)
	इमारती लकड़ी	जलाऊ लकड़ी		
1	2	3	4	5
2017-18	3.97	4.72	8.69	2659.85
2018-19	2.89	4.88	7.77	2969.29
2019-20	1.66	3.25	4.91	1797.80
2020-21	1.44	3.17	4.61	1430.44
2021-22	0.34	0.70	1.04	624.64

लकडी व्यापार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवंटित राजस्व लक्ष्य 3230.00 (लाखों में) के विरूद्ध 30.11.2022 तक1249.32 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

10.3.2 बाँस विदोहन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग प्लान (Working Plan) के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये है, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकरएकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत पांच वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आयकी सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में)	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)	मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (रू.लाखों में)
2017—18	11.00	11.02	318.22
2018—19	11.58	11.63	286.75
2019—20	10.50	10.50	306.75
2020—21	14.15	14.15	386.42
2021—22	9.50	9.50	322.21

बांस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तिय वर्ष 2022—23 में आवंटित राजस्व लक्ष्य 500 (लाखों में) के विरूद्ध 31.11.2022 तक 204.61 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

10.4 राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना

वन सम्पदा जैसे कि काष्ठ व अकाष्ठ तथा लघु वन उपजों का दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से बाजार में सर्वजन के उपभोग हेतु उपलब्ध कराना, वन क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन तथा उससे जुडी गतिविधियों व सेवाओं का संचालन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य वन विकास निगम के गठन की घोषणा राज्य बजट में दिनांक 20 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य विधानसभा में की गई। इस बजट घोषणा की अनुपालना में दिनांक 16.12.2020 को राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कम्पनीज एक्ट 2013 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में किया गया। राज्य सरकार द्वारा निगम में 154 पद स्वीकृत किये गये हैं जिसे प्रतिनियुक्ति से भर लिया गया है। निगम अन्तर्गत तेंदू पत्ता संग्रहण, ईमारती लकड़ी एवं बांस की कटाई संबंधी करवाए जाने वाले कार्य प्रकियाधीन है।

अध्याय–11

तेन्दू पत्ता व्यापार

11.1 राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्त्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीडी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड, बारां, चितौडगढ़, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते है, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाडा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते है।

11.2 तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेन्सियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

11.3 राष्ट्रीयकरण के पश्चात राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक–पृथक सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। जिसमें संबंधित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संग्रहण दरों का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। विगत वर्ष 2020 के लिए रू. 1010/– प्रति मानक बोरा, वर्ष 2021 के लिए रू. 1050/– प्रति मानक बोरा एवं वर्ष 2022 के लिए रू. 1100/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी। इस वर्ष 2023 के लिए 1200/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

11.4 तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त उनका बेचान निविदायें आमंत्रित कर तथा खुली नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाइयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

11.5 गत तीन वर्षों में तेन्दू पत्ता के विक्रय एवं आय की स्थिति निम्न सारणी में अंकित है:–

क्र. स.	निष्पादन का तरीका	वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	व्ययन हुई इकाई	पडत रही इकाई	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय (लाखों रू0 में)
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2019–20	167	134	33	1087.16
2.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2020–21	167	114	53	751.53
3.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2021–22	166	166	0	4032.87

11.6 वर्ष 2022–23 के लिए राज्य की कुल 163 इकाइयों का व्ययन हुआ, जिनके बेचान से मार्च 2023 तक लगभग 4630.04 लाख रू0 की आय प्राप्त होने की सम्भावना है। वर्ष 2022 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा रू. 1100/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई थी। वर्ष 2022 में कुल 3.13 लाख मानक बोरे संग्रहित हुये। जिस हेतु लगभग 3443.00 लाख रू. श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया।

वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रही है:–

(लाख रू0 में)

क्र. स.	**विवरण**	**वास्तविक प्राप्तियां**	**वास्तविक प्राप्तियां**	**वास्तविक प्राप्तियां**	**वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2022**
		2019–20	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	1066.08	754.29	4004.83	4279.76
2.	अन्य विविध आय	6.46	26.84	22.04	25.35
	योग	**1072.54**	**781.10**	**4026.87**	**4305.11**

11.7 वर्ष 2023 के लिए संग्रहण दर निर्धारित करने के लिए सलाहाकार समितियों का गठन कार्यकाल 30 जून 2023 तक किये जाने के लिए राज्य सरकार के क्रमांक एफ 10(1) वन/2002/पार्ट/

जयपुर, दिनांक 28.09.2022 से पांच संभागों के सलाहाकार समितियों के गठन की विज्ञप्ति जारी की गई। वर्ष 2023 के तेन्दू पत्ता संग्रहण हेतु रू. 1200/— प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई।

11.8 वर्ष 2023 के लिए राज्य में कुल 163 तेंदू पत्ता इकाईयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है, उक्त इकाईयों के विक्रय हेतु प्रथम निविदाएं दिनांक 01.02.2023 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 02.02.2023 को खोली जायेगी एवं द्वितीय निविदाएँ दिनांक 08.02.2023 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 09.02.2023 को संभाग स्तर पर खोलने की कार्यवाही जायेगी।

11.9 अनुसूचित क्षेत्रों से प्राप्त आय का संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण

राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रो मे उनके लागू होने के संबंध मे उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रो मे उनके लागू होने के संबंध मे उपान्तरण) नियम 2011 के नियम 26(2) व 26(3) की पालना में वर्ष 2011—12 का अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतो को तेंदू पत्ता एवं बांस योजना से प्राप्त शुद्ध आय राशि 308.72 लाख रूपये (268.34 लाख तेन्दू पत्ता से तथा 40.68 लाख बांस से) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आवंटन किया जा चुका है, परन्तु राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2013 द्वारा नियम 26 (2) व (3) में संशोधन कर शुद्ध आय के स्थान पर सकल आय प्रतिस्थापित करने के कारण वर्ष 2012—13 की सकल आय को उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु राशि 830.23 लाख रूपये प्रस्तावित किये गये थें। जिसमें से 295.34 लाख तेन्दू पत्ता से तथा 99.02 लाख बांस आय से पुराने पैटर्न अनुसार ग्राम पंचायतों को अन्तरित किये जा चुके है। तथा रू. 274.98 लाख तेन्दू पत्ता आय से एवं 160.89 लाख रू. बांस की आय से SFC (State Finance commission) पैटर्न पर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के वितरण हेतु हस्तान्तरित किये गये है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक 838.66 लाख रू. तेन्दू पत्ता से तथा 300.29 लाख रू. बांस से प्राप्त आय को अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है।

अध्याय–12

सूचना प्रोद्योगिकी

12.1 ई–गवर्नेंस कार्य

12.1.1 सोशल मीडिया का विकास

विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्रम, ट्वीटर का वेरिफिकेशन कार्य किया गया है। इस वर्ष विभाग में वनों एवं वन्य जीव संबंधी अनेक जानकारियों तथा विभाग की गतिविधियों, निरीक्षणें, योजनाओं एवं कार्य कलापों से संबंधित सूचनाओं को रोचक तरीकों से आम जन तक उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। इसके अंर्तगत वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ग्राफिक्स, वीडियो, सूचनाओं एवं अन्य गतिविधियों को दैनिक रूप से पोस्ट किया जा रहा है। माह दिसम्बर तक लगभग कुल पोस्ट 230 किये गये एवं अब तक फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्वीटर पर कुल फॉलोअर की संख्या क्रमशः 28000, 10000, 12100 है।

12.1.2 आई0टी0 इंफास्ट्रचर कार्य

विभाग में फील्ड कार्यालयों (संभाग, वन मंडल, रेंज) एवं मुख्यालय स्थित विभिन्न शाखाओं में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ करने के लिये लगभग 200 कम्प्यूटर संसाधनों की व्यवस्था की गई। रेंज कार्यालयों में डेटा स्टोरेज डिवाईस एवं पावर बैकअप डिवाईस की व्यवस्था की गई। विभागीय ऑनलाईन एप्लीकेशन तथा ई–गवर्नेन्स संबंधी अन्य राजकीय ऑनलाईन एप्लीकेशन्स में फील्ड डेटा कम्यूनिकेशन हेतु वन रक्षक से सहायक वन संरक्षक तक के लगभग 4200 फील्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को सिम आधारित इन्टरनेट सुविधा के पुनर्भरण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त आई.टी. कार्यों में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि के संधारण हेतु भी राशि का प्रबंध किया गया है। नवीन तकनीकि को बढावा देने के लिये फील्ड अधिकारीगण को उच्च स्तर के जी.पी. एस. डिवाईस, लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। इससे आई.टी. कार्यों के संचालन में सुगमता आवेगी तथा कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त रेंज कार्यालय स्तर तक कम्प्यूटर कार्य करने के लिये लगभग 310 मैन पावर की व्यवस्था की गयी जिससे आई0टी0 संबंधित कार्यों में गति मिलेगी।

12.1.3 विभागीय वेबसाईट(www.forest.rajasthan.gov.in) का विकास एवं संधारण

विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें, आदेश, कार्यक्रम एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। इस वित्तीय वर्ष में विभागीय वेबसाइट को तकनीकी रूप से अधिक सुविधाजनक बनाते हुए अनेक उन्नतीकरण के कार्य किये गये हैं। इनमें प्रमुख रूप से कैम्पा योजना का पृथक पेज, होम पेज पर विभिन्न सिटीजन सर्विसेज एवं विभाग की शाखाओं की जानकारी के लिये ग्रफिकल लिंक, विभागीय डायरेक्टरी का नया एवं सर्च आधारित नवीनकरण, विभिन्न प्रमुख मैन्यू

एवं अंतरनिहित वेबपेज का नवीनीकरण का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट आवश्यकता के लिये आमजन से सूचना लेने हेतु इन्टरेक्टिव पेज बनाकर डेटा एकत्रीकरण भी किया गया।

12.1.4 फोरेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (एफ.एम.डी.एस.एस.)

विभाग में FMDSS 2.0अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से नवीनतम सुविधायें लिये हुए तैयार किया जाकर अरण्यक के नाम प्रारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत पूर्व में विकसित जन सुविधाओं जैसे सफारी बुकिंग, एन0ओ0सी0 आवेदन, अमृतादेवी पुरस्कार एवं अन्य आवेदन की सुविधाओं को उन्नतीकरण एवं विभागीय स्तर के कार्यो के अंतर्गत एनालिटिक्स व अन्य आवश्यक फीचंस को जोडा. जाकर बेहतर बनाने का कार्य किया गया है। इसके अन्तर्गत अनेक विभागीय गतिविधियों जैसे विकास, उत्पादन, वनसुरक्षा, वनअपराध, मूल्यांकन, वन्यजीव प्रबंधन आदि हेतु सुविधाऐं विकिसत की गयी हैं जिससे कार्यो की मोनिटंरिग Real time की जा सके।

12.1.5 वन सीमाओं का डिजिटाईजेशन एवं गुणवत्ता सुधार कार्य

इसके अंतर्गत विभाग में डिजिटाईज्ड की गई वन सीमाओं में उत्तरोत्तर गुणवत्ता सुधार की कार्यवाही स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर की सहायता से की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में वन मंडल गंगानगर, हनुमानगढ, आई.जी.एन.पी. छतरगढ, आई.जी.एन.पी. बीकानेर एवं अलवर जिलों में लगभग 200 वनखण्डों की सीमाओं का डिजिटाईजेशन कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य वन क्षेत्रों जैसे कन्र्जवेशन रिजर्व, प्रस्तावित टाईगर रिजर्व हेतु डिजिटाईजेशन कार्य भी किये गये हैं।

12.1.6 डिजिटाईज्ड वन सीमा का उपयोग

विभाग में डिजिटाईज्ड वन सीमा काविभिन्न प्रकार के प्लानिंग कार्यों जैसे फोरेस्ट फायर प्लानिंग कार्य, वनरक्षक चौकी एवं अन्य असैट हेतु भवनों हेतु बजट आवंटन प्लानिंग कार्य, कार्य आयोजना हेतु मैपिंग, वन्य जीव क्षेत्रों हेतु क्षेत्र E.S.Z. एवं अन्य प्लानिंग कार्य, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा उनकी मांग के अनुरूप डेटा तैयार करना जैसे अनेक कार्य किये गये। इस प्रकार विभाग की विभिन्न शाखाओं को जी0आई0एस0 तकनीक के क्षेत्र में सहयोग दिया जाकर इसका उपयोग किया जा रहा है।

12.1.7 ReAMS (ई–गजट)पोर्टल

राज्य सरकार के इस पोर्टल पर विभाग की ओर से विभिन्न अधिनियम, परिपत्र, नोटिफिकेशन इत्यादि को प्रकाशित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सूचना भेजे जाने पर ही राजकीय मुद्रणालय में प्रकाशन की कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा इसका उपयोग करते हुये लगभग 50 नोटिफिकेशन सफलतापूर्वक प्रकाशित किये गये हैं।

12.1.8 राज–काज पोर्टल

राज्य सरकार के राज–काज पोर्टल द्वारा भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियो के लिए अवकाशों (कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशों के अतिरिक्त) का आवेदन एवं स्वीकृति एवं ई–फाईल का कार्य इस मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त Online APARs, IPRs & Store Modules (Selected Offices)का कार्य भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। आई.टी. शाखा

द्वारा ऑनलाईन आवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के सम्बंध में समस्त प्रकार की तकनीकी कार्यवाही एवं यूजर मेनेजमेंट सम्बंधी कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है।

12.1.9 ई–प्रोक्योरमेन्ट(e-Procurement) एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट(SPPP) पोर्टल

राज्य सरकार द्वारा बनाये गये ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्यवाही विभाग की आई.टी. शाखा द्वारा की जाती है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये रजिस्ट्रेशन किया जाकर यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। आगामी कार्यवाही सम्बंधित अधिकारियों द्वारा उनके स्तर पर सम्पन्न की जाती है। यह एक निरन्तर किया जाने वाला कार्य है।

12.1.10 राजकीय ई मेल @rajasthan.gov.in तथा SSO IDs का उपयोग

विभाग की आई.टी. शाखा द्वारा राजकीय मेल के उपयोग हेतु समस्त कार्यालयों के साथ समन्वय करते हुए राजकीय मेल एवं SSO IDs के उपयोग हेतु कार्यवाही की जाती है। साथ ही इस सम्बंध में आने वाली समस्याओं के निराकरण बाबत् सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के साथ समन्वय कर कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में कार्यालयों को समय समय पर निर्देशित किया जाकर इनक अधिकाधिक उपयोग हेतु कार्यवाही की गयी है।

12.1.11 ई–ग्रीनवॉच पोर्टल

भारत सरकार द्वारा बनाये गये ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर वन मंडलों द्वारा वृक्षरोपण एवं अन्य विकास कार्यों का डेटा अपलोड किया जाता है। आई.टी. शाखा द्वारा यूजर नेम एवं पासवर्ड मेनेजमेंट, रिपोर्टिंग कार्य तथा तकनीकी सहयोग का कार्य प्राथमिकता से किया जाता है। साथ ही मुख्यालय स्तर से विकास, कैम्पा एवं मूल्यांकन शाखा से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सहयोग दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक कार्यों में फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया, देहरादून एवं एन.आई.सी. भारत सरकार के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण एवं तकनीकी सुधार की कार्यवाही मुख्यालय स्तर पर आई.टी. शाखा द्वारा की जा रही है। कैम्पा शाखा से समन्वय करते हुए समय समय पर फील्ड कार्यालयों के संबंधित अधिकारीगण एवं कार्मिकों को भारत सरकार के माध्यम से ऑन प्रशिक्षत करवाया गया है।

12.1.12 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग एवं ऑनलाईन मीटिंग

विभाग में मुख्यालय स्तर पर अरण्य भवन में सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर से भी अरण्य भवन, मुख्यालय से फील्ड स्तर के कार्यालयों के कार्यों की त्वरित मॉनिटिरिंग हेतु वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा का निरंतर उपयोग किया जा रहा है। संभाग एवं वन मंडल स्तर तक के अधिकारियों से होने वाली बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के उपयोग से श्रम एवं समय की बचत हुई है। इस वर्ष माह दिसम्बर 2022 तक लगभग 100 बैठकें की जा चुकी है।

अध्याय—13

मानव संसाधन विकास

13.1 वन प्रशिक्षण

वनों पर बढते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नये प्रयोगों, नई सूचनाओं प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के समय—समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिये जावें। राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरुप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किये जा रहे हैं। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु चार संस्थाऐं यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर, मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर एवं वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र, तालछापर में स्थित है, जो कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021—22 की अनुपालना में स्थापित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन के सन्दर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैद्यता बढाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों के प्रशिक्षित वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाऐ जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर 2022 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रशिक्षण केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार है :—

13.2 राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में आयोजित प्रशिक्षण वर्ष 2022–23								
S. No.	**Training Name**	**Month**	**Date**	**Circle/ Division**	**Participants**	**No. of Participants**	**Mode of Training (Online/ Offline)**	**Budget Head (CAMPA /S.P.)**
1	Duties & Responsibilities of Accounts officials **(Phase I)**	May-22	16-17.5.2022	Other than Jaipur	Accounts Officer	43	Offline	State Plan
2	Duties & Responsibilities of Accounts officials **(Phase II)**	May-22	19-20.5.2022	Jaipur	Accounts Officer	45	Offline	State Plan
3	Vibhagiya karya Pranali (Workshop)	Jun-22	10.06.2022	All Rajasthan	IFS	36	Offline	State Plan
4	Fundamental of Forestry **(Phase I)**	Jun-22	7-9.06.2022	All WL Division	Forester, Assistant Forester, Forest Guard	330	Online	State Plan
5	Fundamental of Forestry **(Phase II)**	Jun-22	14-16.06.2022	Bikaner, Jodhpur, Kota	Forester, Assistant Forester, Forest Guard	370	Online	State Plan
6	Forest Rejuvenation-Evidence based various plantation Technique **(Phase I)**	Jun-22	13-16.06.2022	Jaipur, Ajmer, Udaipur	RO, Forester, Assistant Forester,	50	Offline	State Plan
7	Forest Rejuvenation-Evidence based various plantation Technique **(Phase II)**	Jun-22	20-23.06.22	Bikaner, Jodhpur, Kota	RO, Forester, Assistant Forester,	46	Offline	State Plan
8	Forest Rejuvenation-Evidence based various plantation Technique **(Phase III)**	Jun 22 to July	28.06.22 to 1.07.22	Bharatpur(Territorial) Project Cricle & DoD Cricle Silva	RO, Forester, Assistant Forester,	32	Offline	State Plan
9	Dry Forest Restoration in Rajasthan" for FG, AF, Foresters & RFOs (Phase I)	Aug-22	16-17.08.2022	All WL Division	for FG, AF, Foresters & RFOs	27	Offline	State Plan
10	Half Day Training Program for IFS Trainees (17.08.22)	Aug-22	17.08.22	New IFS Trainees	IFS Trainees	38	Offline	State Plan

11	Orientation Program for RFO Trainees	Aug-22	18.08.22	New Appointed .R.o	RFOs	66	Offline	State Plan
12	Forest Protection Management & Study of Maps and Land record (Phase I)	Aug-22	22-26.08.2022	Jodhpur, Bikaner, Kota & Bharatpur	RFOs	35	Offline	Campa
13	Dry Forest Restoration in Rajasthan" for FG, AF, Foresters & RFOs (Phase II)	Aug-22	29-30.08.2022	All WL Division	for FG, AF, Foresters & RFOs	35	Offline	State Plan
14	Half Day Training Program for IFS Trainees (17.08.22)	Aug-22	31.08.22	New IFS Trainees	IFS Trainees	40	Offline	State Plan
15	Forest Protection Management & Study of Maps and Land record (Phase II)	Sep-22	12-16.09.2022	Ajmer, Bharatpur, Jodhpur & Project	RFOs	27	Offline	Campa
16	Forest Protection Management & Study of Maps and Land record (Phase III)	Sep-22	19-23.09.2022	All WL Division & DOD Silva	RFOs	21	Offline	Campa
17	Forestry & WL Awarness Program for College's Students	Oct- 22	10.10.2022	Jaipur	Kanodiya P.G. College	40	Campus	Campa
18	Forestry & WL Awarness Program for College's Students	Oct- 22	11.10.2022	Jaipur	College's Students	66	Campus	Campa
19	Forestry & WL Awarness Program for School's Students	Oct- 22	12.10.2022	Jaipur	Pawar Public School	49	Campus	Campa
20	Forestry & WL Awarness Program for School's Students	Oct- 22	13.10.2022	Jaipur	Aadarsh public ser. Sc. jaipur	46	Campus	Campa
21	Forestry & WL Awarness Program for NGOs Volunteer	Oct- 22	14.10.2022	Jaipur	NGOs Volunteer	53	Campus	Campa
22	Half Day Consultation Workshop on Budget	Oct- 22	14.10.2022	Jaipur	DCFs, Stakeholders and Reperesentative of other Department	80	Campus	Campa

23	Various specialized courses (Phase I)	Oct to Nov 22	31.10.2022 to 02.11.2022	All Rajasthan	Forester, Assistant Forester, Forest Guard	39	Campus	Campa
24	Various specialized courses (Phase II)	Nov 22	3.11.2022 to 4.11.2022	All Rajasthan	Acf &DCF	46	Campus	Campa
25	Ministerial Staff training (Phase-I)	Nov 22	9.11.2022 to 11.11.2022	Jaipur	Ministerial Staff	52	Campus	Campa
26	Dry Forest in raja. RFo 's Chandrapurn Forest Ace.	Nov 22	13.11.2022	New RFo's Trainees	RFo's	38	Campus	Campa
27	Ministerial Staff training (Phase-II)	Nov 22	14.11.2022 to 16.11.2022	All Circel , Teritorial Division	Ministerial Staff	41	Campus	Campa
28	**Watershed Management"**	Nov 22	**23-25 November 2022**	उप वन संरक्षक (प्रा.) जयपुर जयपुर (उत्तर) अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बांरा, जैसलमेर, हनुमानगढ, राजसमंद, चित्तौडगढ, कोटा, झालावाड़, करौली, धोलपुर, सीकर, झुन्झुनू, दौसा, सवाईमाधोपुर	RFOs/Foresters/AF/FG of Forest	32	Campus	State Plan
29	**Wildlife Mng., Crime & Control (Phase I)**	Dec 22	**5-9 Dec.2022**	Jaipur, Bikaner, Udaipur, Kota	RFOs	24	Campus	Campa
30	**Wildlife Mng., Crime & Control (Phase I1)**	Dec 22	**12-16 Dec.2022**	Ajmer, Bharatpur, Jodhpur & Project	RFOs	19	Campus	Campa
31	**Wildlife Mng., Crime & Control (Phase 11I)**	Dec 22	**19-23 Dec.2022**	All Wildlife Division, DOD, Silva	RFOs	15	Campus	Campa
					Total	1881		

13.3 मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर :–

उप वन संरक्षक प्रशिक्षण जोधपुर में आयोजित प्रशिक्षण वर्ष 2022–23

उप वन संरक्षक प्रशिक्षण जोधपुर में आयोजित प्रशिक्षण वर्ष 2022–23								
क्र. सं.	Training Name	Month	Date	Circle/ Division	Participants	No. of Participants	Mode of Training (Online/ Offline)	Budge Head (Campa/ S.P.)
1	Forest Protection Management & Study of Maps and Land Record	September	12.09.2022 to 16.09.2022	Jaipur, Bikaner, Udiapur, Kota	Forester, Asst. Forester	57	Offline	State Plan
2	Forest Protection Management & Study of Maps and Land Record	September	19.09.2022 to 23.09.2022	Ajmer, Bharatpur, Jodhpur, Project	Forester, Asst. Forester	40	Offline	State Plan
3	Forest Protection Management & Study of Maps and Land Record	October	10.10.2022t o 14.10.2022	All Wildlife Division DOD Silva	Forester, Asst. Forester	28	Offline	State Plan
4	Wildlife Management Crime and Control	December	05.12.2022 to 09.12.2022 16.12.2022	Ajmer, Bharatpur, Jodhpur, Project	Forester, Asst. Forester	29	Offline	State Plan
5	Wildlife Management Crime and Control	December	12.12.2022 to 16.12.2022	Jaipur, Bikaner, Udiapur, Kota	Forester, Asst. Forester	34	Offline	State Plan
6	Wildlife Management Crime and Control	December	19.12.2022 to 23.12.2022	All Wildlife Division DOD Silva	Forester, Asst. Forester	24	Offline	State Plan
					Total	**212**		

13.4 वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर

उप वन संरक्षक (प्रशिक्षण) अलवर में आयोजित प्रशिक्षणवर्ष 2022-23							
S.N	Training Name	Date	Circle/ Division	Participant	No. of Participant	Mode of Training Online/Offline	Budjet Head (Campa/Sf)
1	Forest Protection management & study of Maps & land Record (Phase 1st)	05-09.09.22	Ajmer, Bhartapur, Jodhpur, Project	Forest guard Assistant forester	19	Offline	Ca
2	Forest Protection management & study of Maps & land Record (Phase 2nd)	12-16.09.22	All WL Division DOD, Sliva	Forest guard	22	Offline	Ca
3	Forest Protection management & study of Maps & land Record (Phase 3rd)	19-23.09.22	Jaipur, Bikaner, Udaipur, Kota,	Forest guard Assistant forester	19	Offline	Ca
4	Wild life management crime and control Phase 4th	5-9-12-2022	Ajmer, Bhartapur, Jodhpur, Project	Forest guard Assistant forester	29	Offline	Ca
5	Wild life management crime and control Phase 5th	12-16.12.2022	All WL Division DOD, Sliva	Forest guard	19	Offline	Ca

13.5. वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र तालछापर, चुरु

मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021–22 की अनुपालना में वन्यजीव प्रबन्धन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र, तालछापर(चुरु)में स्थापित किया गया।

विभाग में कार्यरत सीकर, झुन्झुनु एवं चुरु वन मण्डल के 30 सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं वनपालों को एक दिवसीय ऑफलाईन उद्घाटन कार्यशाला माननीय वनमंत्री महोदय की उपस्थिति में "Habitat Management & Rescue Rehabilitation of Wild Ungulates Learning from Talchhapar" दिनांक 01.10.2021 को आयोजित की गई।

जिसमें तालछापर वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी के बारे में Introduction and Future Prospectus as a Wildlife Training Centre, Biodiversity of Talchhapar Wildlife Sanctuary, Talchhapar Management and Rescue Rehabilitationआदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

परिशिष्ठ–1

Rajasthan State Forest Land Area as on 31-03-2022 (Area in Sq. Kms.)					
S.No.	**District**	**Reserved Area**	**Protected Area**	**Unclassed Area**	**Total Forest Area**
1	Ajmer	194.99	424.10	1.76	620.86
2	Alwar	1010.78	641.18	132.69	1784.66
3	Bansawara	0.00	1006.33	0.66	1007.00
4	Baran	0.00	2234.18	19.24	2253.42
5	Barmer	20.30	569.47	36.22	625.98
6	Bharatpur	0.00	422.46	12.49	434.94
7	Bhilwara	437.80	280.21	61.05	779.06
8	Bikaner	0.00	789.36	461.40	1250.75
9	Bundi	867.76	680.85	19.25	1567.86
10	Chittorgarh	1200.75	587.11	0.77	1788.63
11	Churu	7.20	48.58	17.96	73.73
12	Dausa	134.87	149.36	0.36	284.59
13	Dholpur	7.92	597.72	44.03	649.67
14	Doongarpur	257.08	435.86	0.36	693.30
15	Hanumangarh	0.00	113.37	126.09	239.46
16	Jaipur	672.97	263.47	5.50	941.94
17	Jaisalmer	0.00	241.40	340.61	582.01
18	Jalor	126.13	302.22	83.09	511.44
19	Jhalawar	314.72	946.60	25.39	1286.72
20	Jhunjhunun	6.02	399.33	0.00	405.36
21	Jodhpur	4.68	187.32	54.67	246.67
22	Karauli	62.99	1693.13	54.61	1810.73
23	Kota	837.63	452.58	77.39	1367.60
24	Nagaur	0.80	206.28	35.32	242.40
25	Pali	816.56	144.82	2.26	963.64
26	Pratapgarh	702.66	963.65	0.62	1666.92
27	Rajasamand	277.41	119.20	4.98	401.58
28	Sawaimadhopur	834.83	118.16	23.18	976.17
29	Sikar	9.92	622.40	9.22	641.54
30	Sirohi	614.04	985.43	42.66	1642.12
31	Sriganganagar	0.00	238.42	395.02	633.44
32	Tonk	101.42	229.19	2.97	333.58
33	Udaipur	2654.06	1494.65	13.21	4161.92
Total		**12176.28**	**18588.39**	**2105.03**	**32869.69**

परिशिष्ठ–2

LIST OF PROTECTED AREAS IN RAJASTHAN

S.No	Protected Area Name	District	Area(Sq. Km)	Notification No. and date
A	**National Park**			
1	Keoladeo National Park	Bharatpur	28.73	F3(5)(9)/8/72/Dated 27.08.1981
2	Mukundra Hills National Park	Kota, Chittorgarh	297.62	F11(56)Van/2011/Part Dated 09.01.2012 Overlap with Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary
3	Ranthambhore National Park	Sawai Madhopur	282.03	F11(26)Revenue/8/80/ Dated 01.11.1980
	TOTAL (A)		**608.38**	Area overlap between Sanctuaries and National Parks exists which has been reduced in respective Sanctuaries
B	**Wildlife Sanctuaries**			
1	Band Baretha Sanctuary	Bharatpur	171.39	F11(1)/Enviorment/ Dated 07.10.1985 and F1(71)Van/Band Baretha/ Part, Jaipur Dated 23.03.2021
2	Bassi Sanctuary	Chittorgarh	138.69	F11(41)/Revenue/8/86/ Dated 29.08.1988
3	Bhensrodgarh Sanctuary	Chittorgarh	201.4	F11(44)/Revenue/8/81/ Dated 05.02.1983
4	Darrah Sanctuary	Kota, Jhalawar	227.63	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 Overlap with Mukundara Hills National Park. Area based on MHTR notifications
5	Desert National Park Sanctuary	Jaisalmer, Barmer	3162	F3(1)73/Revenue/8/79/ Dated 04.08.1980
6	Jaisamand Sanctuary	Udaipur	52.34	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
7	Jamwa Ramgarh Sanctuary	Jaipur	300	F11(12)Revenue/8/80/ Dated 31.05.1982
8	Jawaharsagar Sanctuary	Kota, Bundi, Chittorgarh	194.6	F11(5)13/Revenue/8/73/ Dated 09.10.1975 Overlap with Mukundara Hills National Park.Area based on MHTR notifications
9	Keladevi Sanctuary	Karoli, Sawai Madhopur	676.82	F11(28)/Revenue/8/83/ Dated 19.07.1983
10	Kesarbagh Sanctuary	Dholpur	14.76	F39(26)FOR/55/ Dated 07.11.1955
11	Kumbhalgarh Sanctuary	Rajsamand, Udaipur, Pali	610.53	F10(26)Revenue/A/71/ Dated 13.07.1971
12	Mount Abu Sanctuary	Sirohi	326.1	P.11(40)Van/97/ Dated 15.04.2008
13	Nahargarh Sanctuary	Jaipur	52.4	F11(39)Revenue/8/80 Dated 22.09.1980
14	National Ghariyal Sanctuary	Kota, Bundi, Sawaimadhopur, Karoli, Dholpur	564.03	F11(39)Revenue/8/78/ Dated 07.12.1979 Overlap with Mukundara Hills National Park Area as per DGPS survey
15	Phulwari ki Naal Sanctuary	Udaipur	511.41	F11(1)/Revenue/8/83/ Dated 06.10.1983
16	Ramgarh Vishdhari Sanctuary	Bundi	303.05	F11(1)/Revenue/8/79/ Dated 20.05.1982 After denotification of 357.23 ha. Area vide notification No.F1(16)/Forest/ 2016 Jaipur Dated 12.01.2017
17	Ramsagar Sanctuary	Dholpur	34.40	F39(2)FOR/55/ Dated 07.11.1955
18	Sajjangarh Sanctuary	Udaipur	5.19	F11(64)/Revenue/8/86/ Dated 17.02.1987
19	Sariska Sanctuary	Alwar	544.22	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
20	Sawaimadhopur Sanctuary	Sawai Madhopur	131.3	F/39/(2)For/55 dated 07.11.1955 Overlap with Ranthambhore National Park
21	Sawaimansingh Sanctuary	Sawai Madhopur	113.07	F11(28)/Revenue/8/84/ Dated 30.11.1984
22	Shergarh Sanctuary	Baran	81.67	F11(35)/Revenue/8/83/ Dated 30.07.1983
23	Sitamata Sanctuary	Udaipur, Chittorgarh	422.94	F11(9)Revenue/8/78/ Dated 02.01.1979
24	Talchappar Sanctuary	Churu	7.19	F379/Revenue/8/59/ Dated 04.10.1962
25	Todgarh Raoli Sanctuary	Rajsamand, Ajmer, Pali	495.27	F11(56)/Revenue/8/82/ Dated 28.09.1983
26	Van Vihar Sanctuary	Dholpur	25.60	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
	TOTAL (B)		**9368.00**	**Excluding overlaps with National Parks and among Sanctuaries (Area 330.85 Sqkm). Net Area 9037.15 Sqkm.**

C	**Conservation Reserves**			
1	Bansial-Khetri Bagore Conservation Reserve	Jhunjhunu	39.66	F3(13) FOREST/ 2016 dated 10.04.2018
2	Bansial-Khetri Conservation Reserve	Jhunjhunu	70.1834	F3(13) FOREST/ 2016 dated 01.03.2017
3	Beed Jhunjunu Conservation Reserve	Junjhunu	10.4748	P.3(47)Van/2008/ Dated 09.03.2012
4	Bisalpur Conservation Reserve	Tonk	48.31	P.3(19)Van/2006/ Dated 13.10.2008
5	Gogelav Conservation Reserve	Nagaur	3.58	P.3(17)Van/2011/ Dated 09.03.2012
6	Gudha Vishnoiyan Conservation Reserve	Jodhpur	2.3187	P.3(2)Van/2011/ Dated 15.12.2011
7	Jawai Bandh Leapord Conservation Reserve II	Pali	61.98	F3(4) FOREST/ 2012 PT dated 15.06.2018
8	Jawaibandh Leopard Conservation Reserve	Pali	19.79	F3(1) FOREST/ 2012 dated 27.02.2013
9	Jodbeed Gadhwala Bikaner Conservation Reserve	Bikaner	56.4662	P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008
10	Mansa mata Conservation Reserve	Jhunjhunu	102.31	F3(9) FOREST/ 2013 Jaipur dated 18.11.2019
11	Rotu Conservation Reserve	Nagaur	0.7286	P.3(8)Van/2011/ Dated 29.05.2012
12	Shahbad Conservation Reserve	Baran	189.3961	F4(12) Van/ 2017 dated 28.10.2021
13	Shakambari Conservation Reserve	Sikar, Junjhunu	131.00	P.3(16)Van/2009/ Dated 09.02.2012
14	Sundhamata Conservation Reserve	Jalor, Sirohi	117.4892	P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008
15	Ummedganj Pakshi Vihar Conservation Reserve	Kota	2.72	F3(1) FOREST/ 2012 dated 5.11.2012
16	Rannkhar CR	Jalore	72.89	F3(3) FOREST/ 2022 dated 25.04.2022
17	Shahbad Taleti CR	Baran	178.84	F3(12) FOREST/ 2022 dated 01.09.2022
18	Beed Grass Fuliya Kurdh CR	Bhilwara	0.86	F3(3) FOREST/ 2022 dated 27.09.2022
19	Baghdara Crocodile CR	Udaipur	3.69	F3(22) FOREST/ 2022 dated 30.11.2022
	TOTAL (C)		**1112.687**	
D	**Tiger Reserves**			
1	Ranthambhore Tiger Reserve	Sawaimadhopur, Karauli, Bundi, Tonk	1406.92	(CTH Notification No. F3(34)FOREST/2007 dated 28.12.2007 Area 1113.36 Sqkm.) Overlap with Ranthambhore National Park, Sawaimadhopur, Sawaimansingh Sanctuary, Keladevi Sanctuary and National Chambal Sanctuary.
				(Buffer Notification No. F3(34)FOREST/2007 dated 06.07.2012 & Dated 26-05-2022 Area 293.56 Sqkm.) Overlap with Ranthambhore National Park, Sawaimadhopur, Sawaimansingh Sanctuary, Keladevi Sanctuary and National Chambal Sanctuary. (F1(63)Forest/2017 Jaipur Dated 26-05-2022 Denotify Buffer Areas 4.36 Sq. Km.) (297.92- 4.36 = 293.56)
2	Sariska Tiger Reserve	Alwar, Jaipur	1213.34	(CTH Notification No. F3(34)FOREST/2007 dated 28.12.2007 Area 881.11 Sqkm.) Overlap with Sariska Sanctuary, Sariska A Sanctuary and Jamwaramgarh Sanctuary
				(Buffer Notification No. F3(34)FOREST/2007 dated 06.07.2012 Area 606.79 Sqkm.) Overlap with Sariska Sanctuary, Sariska A Sanctuary and Jamwaramgarh Sanctuary
3	Mukundara Hills Tiger Reserve	Kota, Bundi, Jhalawar, Chittorgarh	759.99	(CTH Notification No. F3(8)FOREST/2012 dated 09.04.2013 Area 417.17 Sqkm.) Overlap with Mukundara Hills National Park, Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary
				(Buffer Notification No. F3(8)FOREST/2012 dated 09.04.2013 Area 342.82 Sqkm.) Overlap with Mukundara Hills National Park, Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary
4	Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve	Bundi, Kota, Bhilwara	1501.89	(CTH & Buffer Notification No. F3(12)Van/2019 dated 16.05.2022 Area CTH 481.91 & Buffer 1019.98 Sqkm.) Overlap with Ramgarh Vishdhari and National Chambal Sanctuary.
	TOTAL (D)		**4882.14**	**Excluding overlaps (Area 2338.72 Sqkm.) with National Parks and Sanctuaries Net Areas 2543.42 Sq. K.M.**
	G. TOTAL (A+B+C+D)		**13301.640**	Excluding all overlaps between Tiger Reserves, National Parks and Sanctuaries
E	**Preliminary Notification National Park**			
1	Desert National Park Sanctuary	Jaisalmer, Barmer	3162.00	F3(1)73/Revenue/8/79/ Dated 04.08.1980
2	Sariska National Park	Alwar	405.93	F11(22)Raj-8/78 Jaipur,Dated27.08.1982
	Total		4029.98	
D	**Preliminary Notification Sanctuary**			
3	Kumbhalgarh National Park	Pali,Udaipur & Rajsamand	462.05	F3(6)Van/2011 Jaipur,Dated 30.11.2011
4	Band Baretha Sanctuary	Bharatpur	197.860	F1(71)Van/Band Baretha/ Part, Jaipur Dated 23.03.2021
5	Sariska 'A' Sanctuary	Alwar	3.01	P1(24)Van/08/ Dated 20.06.2012
	Total		**662.92**	

परिशिष्ठ–3

RAJASTHAN PROTECTED AREA ESZ NOTIFICATIONS STATUS AS ON 01.01.2023

S.No.	Protected Area	Status
A.Final Notification Issued (15)		
1	**Sitamata WLS** Chittaurgarh, Pratapgarh	Final Notification vide S.O. 1191(E) [17.04.2017]
2	**Jamwaramgarh,WLS,**Jaipur	Final Notification S.O. 6212(E) [18.12.2018]
3	**Bandh Baretha, WLS,**Bharatpur	S.O. 6319(E) [26.12.2018] & S.O. 1929€ (18-05-2021) and Send re-notification submitted Proposal to GOR Vide Letter no. 1043 Dated 7-4-2022 (Proposed distance from PA Boundary 01 km to 4.088 km and Area 179.99) GoR send to MoEF. Information's and revised proposal required by GoI Vide letter No.09.06.2022, has been sent to GoR Vide letter No. 10.10.2022.
4	**Keoladeo National Park,**Bharatpur	Final Notification S.O. 2608(E) [19.07.2019] & S.O. 814(E) [21.02.2020]
5	**BassiWLS,**Chittaurgarh,	Final Notification S.O. 1717(E) [08.04.2021/30.04.2021]
6	**Jaisamand WLS,** Udaipur	Final Notification S.O. 2631(E) [06.08.2020]
7	**Kesarbagh WLS,**Dhaulpur	Final Notification S.O. 2641(E) [28.08.2020]
8	**Mukundra Hills Tiger Reserve, Darra WLS, JawaharSagar WLS & part of National Gharial Sanctuary included in the Tiger Reserve** Kota, Bundi, Chittaurgarh, Jhalawar	Final Notification S.O. 4268(E) [25.11.2020]
9	**Mt. Abu WLS,**Sirohi	Notification S.O. 1545(E) [25.06.2009] & Final Notification S.O. 4047(E) [11.11.2020]
10	**Nahargarh WLS,** Jaipur	Final Notification S.O. 1220(E) [08.03.2019]
11	**Ramsagar WLS,**Dhaulpur	Final Notification S.O. 3632(E) [15.10.2020]
12	**Sajjangarh WLS,** Udaipur	Final Notification vide S.O.1191(E) [17.04.2017]
13	**TodgarhRaoli WLS,** Ajmer, Rajsamand	Final Notification S.O. 1173(E) [13.04.2017]
14	**Van Vihar WLS** Dhaulpur	Final Notification S.O. 938(E) [23.03.2017]
15	**Bhainsrodgarh WLS**Chittaurgarh	Final Notification S.O.3683(E) [10.09.2021]
B. Number of draft notification issued (05)		
1	**Kumbhalgarh WLS**Rajsamand, Pali, Udaipur	Draft Notification S.O. 1960(E) [18.06.2020] As per the order passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 dated 03.06.2022, the GoR has sent the proposal to the GoI vide letter dated 16.09.2022.

2	**RamgarhVishdhari**Bundi	Draft Notification S.O. 4777(E) [30.12.2020] RVTR has been declared by the GoR's notification dated 16.05.2022. Amendment of boundaries of RVTR is pending in the SC-NBWL. After amendment, the proposals will be sent to the GoR.
3	**Sariska Tiger Reserve WLS, Sariska "A" WLS and part of JamwaramgarhSanctury includes Sariska National Park (Proposed)** Alwar,Jaipur	Draft Notification S.O. 1049(E) [04.03.2021] As per the order passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 dated 03.06.2022, the GoRhas sent the proposal to the GoI vide letter dated 16.09.2022.
4	**Shergarh WLS**Baran	Draft Notification S.O. 2868(E) [19.10.2015] Re Draft Notification S.O. 3361(E) [09.07.2018] The revised proposals have been sent to the GoRvide this office's letter dated 19.04.2022. The GoR has forwarded it to GoI for issuing draft notificationvideletter dated 09.05.2022.
5	**TalchapperWLS**,Churu	Draft Notification S.O. 3721(E).(14.09.2021). On 24.11.2021 The proposals for the final notification have been submitted to the GoRvide letter dated 21.10.2022 and note sheet No. 394 dated 6.12.2022.
C. Number of Proposal draft notification not issued (04)		
1	**Desert National Park sanctuary** Jaisalmer	Proposal was submitted to MoEF&CC on 16.10.2018. The Government of India,vide letter dated 30.01.2021, has sought a revised proposal incorporating some information. The GoR has sent the proposal to the GoI through its letter dated 16.09.2022.
2	**National Gharial sanctuary** SawaiMadhopur	Proposals submitted in new format on 16.10.2018 The GoIvide letter dated 15.09.2021, has sought a revised proposal incorporating some information. The proposal for revised draft notification has been sent to the GoRvide this office letter dated 26.05.2022. The GoRhas sought some information on the proposal through its letter dated 9.6.2022. It is pertinent to mention that due to the inclusion of some areas of this sanctuary in RVTR, Bundi and Dholpur Tiger Reserve (Proposed), there is a need for amendment in this proposal. Due to a small part of this sanctuary being located in Kota, it is under consideration to take that part in MHTR and similarly some part in RTR.
3	**PhulwarikiNal WLS** Udaipur,	Proposals for re-notification submitted in new format on 16.10.2018. The GoRhas sent this proposal to GoI vide letter dated 14.09.2022.The Government of India. MoEF& CC has sent it toWII, Dehradun on 18.10.2022 for comments on the said proposal.
4	**Ranthambhore Tiger Reserve includes Ranthambhore National Park , SawaiMadhopur WLS, SawaiMansingh WLS &Keladevi WLS 1700.22 sq.km** SawaiMadhopur, Karauli, Bundi, Tonk	Proposals for revised draft notification have been sent to the GoR vide letter dated 10.10.2022.

क.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2020–21					वर्ष 2021–22					वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)			
		आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार मे प्राप्त सहायता	व्यय (दिसम्बर, 2022 तक)	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय (SNA A/C)
1	संसाधन सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	45.13	66.13		52.30		98.13	92.56		55.81		123.61		21.74	
2	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण	2562.76	2950.23		2675.12		10176.83	11464.19		10937.53		16392.19		9505.59	
3	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थतिकी पर्यटन	246.82	269.68		217.07		264.76	458.81		265.16		820.68		220.23	
4	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	370.04	202.40	97.15	161.92	71.12	407.03	300.34	127.21	210.21	9.10	347.75	0.00	0.00	125.62
5	कृषि वानिकी	781.75	925.19		714.31		3760.01	3538.24		3225.96		3700.01		1465.15	
6	बाघ परियोजना रणथम्भौर	927.99	1646.95	264.28	1160.71	248.95	5691.10	5879.63	841.05	4489.94	1237.42	7047.11	0.00	3007.47	375.72
7	बाघ परियोजना सरिस्का	946.07	2170.91	448.33	1185.20	595.50									
8	अन्य अभ्यारण्यों का संधारण	1286.37	2308.99	247.97	1215.54	564.90	2623.53	3775.83	1007.66	2515.14	1140.27	4379.96	0.00	721.79	336.11
9	गोरधन ड्रेन	110.01	170.00		169.98		170.01	210.01		210.00		210.02		172.84	
10	राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास	120.00	200.00	3.16	83.83	31.50									
11	चिडियाघरो का सुधार	150.01	150.00		142.01		165.01	165.01		154.76		181.51		107.67	
12	संचार एवं भवन	140.01	255.00		217.64		125.01	135.01		124.79		160.01		111.57	
13	सांभर नम भूमि परियोजना	0.02	0.00		0.00		0.02	0.02		0.00		0.02	0.00	0.00	0.00
14	भाखडा नहर वृक्षारोपण	522.18	434.83		426.60		522.18	554.26		541.82		520.21		423.76	
15	गंगनहर वृक्षारोपण	153.51	153.51		150.46		153.51	153.51		153.44		128.08		101.07	
16	कैम्पा कोष	0.01	0.00		0.00		0.01	0.01		0.00		0.01			
17	पर्यावरण वानिकी	275.00	345.30		247.69		275.00	500.00		460.85		837.00		777.44	
18	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	1206.00	1800.00		1204.68		1060.01	1100.00		1058.72		660.00		297.00	
19	राजीव गांधी बायोस्फीयर रिर्जव	0.01	0.00		0.00		0.01	0.01		0.00		0.01		0.00	
20	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	50.00	200.00		180.61		400.00	400.00		399.93		1000.00		399.67	
21	घना पक्षी विहार का विकास	115.00	114.50	12.66	78.72	10.91									
22	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	72.55	55.00		47.10		60.00	70.00		46.06		70.00		30.37	
23	साझा वन प्रबंध का सुदृढिकरण	20.00	10.00		6.82		20.00	20.00		12.18		25.00		3.91	
24	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	574.92	3644.48		3291.31		7780.58	9309.59		8637.55		2924.63		2050.59	

25	जलवायु परिवर्तन एवं मरूस्थल नियंत्रण	3676.86	4388.16		3841.59		6508.35	7439.55		6718.26		11709.37		5830.69	
26	जैविक उद्यान कायलाना	0.03	0.00		0.00		0.03	0.02		0.00		0.02			
27	पक्षी राहत केन्द्र	5.02	89.00		50.76		5.52	37.05		35.34		6.07		0.00	
28	राज्य वन विकास अभिकरण	230.00	0.00	0.00	0.00	36.45	0.05	115.30	0.00	0.00	67.67	24.23	0.00	0.00	0.00
29	अवैध खनन की रोकथाम	10.01	10.00		5.86		10.01	10.01		8.98		15.01		6.19	
30	जैविक उद्यान, बीकानेर	350.03	350.00		348.76		350.03	350.03		349.13		500.03		500.00	
31	वन धन योजना	0.02	0.00		0.00		0.02	0.02		0.00		0.02			
32	मुकुन्दरा नेशनल पार्क	604.50	736.07	298.28	581.14	255.22									
33	टाईगर सफारी आमली	0.02	0.00		0.00		0.02	0.02		0.00		0.02			
34	कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	0.01	0.00		0.00										
35	नाबार्ड पोषित जल सगरण परियोजना	0.02	0.00		0.00										
36	परम्परागत जल संसाधनों का रखरखाव	0.01	0.00		0.00		0.01	0.01				0.01			
37	वृर्षि वानिकी (पंचायती राज)	0.01	0.00		0.00										
38	आकल वुड फोसिल पार्क	0.01	0.00		0.00		0.01	0.01				0.01			
39	प्रोजेक्ट लेपर्ड	300.00	150.00		141.32		200.00	200.00		198.23		220.00		60.97	
40	गोडावण संरक्षण एवं चारागाह विकास	200.00	200.00		155.53		220.00	220.00		213.99		242.00		120.24	
41	स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट	46.03	46.03		31.05		15.35	15.35		10.93		13.64		6.83	
42	प्रोजेक्ट एलीफेन्ट (हाथी)	40.00	19.20	0.00	4.50	4.50	40.00	74.00	15.18	37.00	22.20	81.40	0.00	0.00	12.17
43	ग्रीन इंडिया मिशन	0.02	0.00		0.00		0.02	0.02		0.00		0.02	0.00	0.00	0.00
44	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुन: वृक्षारोपण	1090.00	1061.00		1020.26		1061.00	1117.10		1075.98		1117.10		727.22	
45	कैम्पा	10000.07	24999.92		18644.33		30728.43	20317.52		18236.12		24000.08		11373.50	
46	जूलीफ्लोरा का उन्मूलन ओर स्थानीय प्रजाति के पेड़ों का पौधारोपण	0.01	0.00		0.00		300.00	300.00		292.75		350.00		266.58	
47	**पंचायत राज संस्थाओं में स्थानान्तरित कर्मचारियों के स्थापना व्यय**						1778.00	1200.00		707.33		1000.00		692.69	
48	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP)						0.00	100.02		19.92		0.03		8.80	
49	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड						0.00	0.03		0.00		0.03			
50	परिस्थितिकी पर्यटन लवकुश वाटिका											3000.00		1461.87	
51	बोटैनिकल गार्डन											0.06		100.45	
52	प्रकृति अनुभव केन्द्र											1000.00			
53	वन्यजीव बचाव केन्द्र											0.04			
54	सांभर झील प्रबंधन परियोजना											0.09			
	योग	27228.80	50122.48	1371.83	38454.72	1819.05	74969.59	69623.07	1991.10	61403.78	2476.66	82807.07	0.00	40573.91	849.62

परिशिष्ठ–5

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक कुल प्राप्तियां एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान की तुलना में माह दिसम्बर 2022 तक कुल प्राप्तियों का वर्षवार विवरण :–

क्र. सं.	राजस्व मद 0406	प्राप्तियां 2019–20	प्राप्तियां 2020–21	प्राप्तियां 2021–22	बजट अनुमान 2022–23	मह दिसम्बर 2022 तक कुल प्राप्तियां
1	101–01 इमारती लकड़ी व अन्य उत्पाद की बिक्री से आय	107.71	205.84	266.28	230.00	360.07
2	101–02–जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	1773.02	1428.14	609.85	3000.00	2037.78
3	101–03–बांस में प्राप्तियां	306.75	386.41	322.22	500.00	223.31
4	101–04–घास तथा वन की शुद्व उपज	126.13	308.78	173.1	200.00	138.13
5	101–06–01तेदू पत्ता व्यापार योजना तेंदूपत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	1080.22	751.62	4003.82	4950.00	4282.11
6	101–06–02–अन्य विविध प्राप्तियां	13.78	30.03	31.96	40.00	34.16
7	800–01–अर्थ दण्ड और राजसात्करण	1877.78	1842.28	1845.15	2494.00	1399.97
8	800–02 शिकार अनुज्ञा	0	0	1.53	2.00	0.34
9	800–03–व्ययगत निक्षेप	0	0	0	1.00	0.00
10	800–04–ऐसे वनों में प्राप्त राजस्व, जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती	2.62	6.79	3.68	8.00	3.18
11	800–05–अन्य विविध प्राप्तियां	491.2	408.01	1363.8	1500.00	558.42
12	800–06–गैर वनभूमि के वृक्षारोपण के अधिगृहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां	924.85	547.34	745.82	1000.00	744.66
13	050–01–अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	3.31	15.65	8.59	4.00	2.47
14	050–02–अनुपयोगी सामानों की निलामी से प्राप्तियां	2.35	4.26	43.62	20.00	3.19
15	02–111–01–चिड़ियाधर से प्राप्तियां	393.98	137.33	267.9	1000.00	287.73
16	02–800–01–इकोडवलपमेन्ट से आय	460.86	215.7	424.74	700.00	439.95
17	02–800–02 रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	1061.72	238.83	472.75	1400.00	734.56
18	02–800–03–सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	45.88	33.35	62	80.00	49.27
19	02–800–04–रणथम्भोर बाघ ापरियोजना में ईकोडवलपमेन्ट	1661.62	516.77	953.84	2100.00	1272.17
20	02–800–05–सरिस्का बाघ परियोजना में ईकोडवलपमेन्ट से आय	110.8	66.07	130.77	150.00	112.24
21	06–अन्य अभ्यारण्यों में प्रवेश शुल्क से आय	432.11	177.77	370.84	500.00	403.32
22	050–01–अनुपयोगी वाहनो के निस्तारण से प्राप्तियां	7.95	8.19	2.57	11.00	4.47
23	050–02–अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	16.84	20.01	8.69	10.00	0.12
24	02–900–01 राजस्व वापसी	0	0	-225.99	0.00	-4.14
25	01–900–01 राजस्व वापसी	0	0	0.95	0.00	0.00
	महायोग	**10759.86**	**7349.33**	**11888.48**	**19900.00**	**13087.48**

राज्य योजना में वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 (माह दिसम्बर, 2022) तक वृक्षारोपणं की प्रगति							
क.सं	योजना/मद	ईकाई	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022)	
			उपलब्धियां	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां (माह दिसम्बर, 2022 तक)
A	वानिकी					
i	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाखों में	45.43	44.95	505.00	198.10
ii	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	300	600	600	400
iii	भाखडा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण	है.	238.83	379.10	393.89	393.89
iv	परिम्राषिंत वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	3800	3000	20000	20000
v	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	4100	2900	10000	10000
B	नाबार्ड					
i	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	0	6175	14325	14300
C	बाह्म सहायता प्राप्त परियोजना					
i	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फैज –II वृक्षारोपण	है.	0	0	0	0
D	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण	है.	427.48	514.95	604.91	604.91
E	राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA)	है.	0	550	0	0
F	कैम्पा (वृक्षारोपण)	है.	12097.85	18323.52	10744.79	10711.95

परिशिष्ठ –7

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19, 2019–20
2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 (दिसम्बर,2022) वृक्षारोपण सम्बन्धित जिलेवार उपलब्धि

क्र.सं.	जिला	वृक्षारोपण (हैक्टेयर में)					रोपित पौधे एवं बीजारोपण अंकुरित पौधे (संख्या लाखो में)				
		उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21	उपलब्धि 2021–22	उपलब्धि 2022–23 (दिसम्बर,2022)	उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21	उपलब्धि 2021–22	उपलब्धि 2022–23 (दिसम्बर,2022)
1	अजमेर	910	1153	1211.704	1197.07	1992.00	5.92	6.91	8.536	7.56	9.91
2	अलवर	1279	920	1592	1952.95	2450.00	11.78	9.19	8.15	12.67	11.76
3	बांसवाड़ा	1030	1500	782.36	1248.98	1717.00	6.31	7.52	4.137	6.41	9.37
4	बारां	2111	222	590.48	950.00	1950.00	15.41	4.52	7.49	8.61	17.51
5	बाड़मेर	857	485	370.27	560.00	420.00	8.23	4.64	2.56	3.64	2.73
6	भरतपुर	165	200	729.32	726.97	1128.00	0.82	1.86	5.51	4.93	7.85
7	भीलवाड़ा	500	1020	1278	1375.00	1950.00	1.83	2.25	4.627	7.74	7.62
8	बीकानेर	739	571	1524.36	439.55	1817.64	5.02	3.95	9.034	3.03	12.04
9	बून्दी	969	220	544.52	652.14	1530.00	4.52	1.30	3.14	2.94	6.46
10	चित्तौड़गढ़	2243	1358	1730.68	2083.48	1820.00	14.34	3.92	9.83	8.17	13.23
11	चूरू	824	1024	1042	1246.00	391.00	3.79	4.35	4.596	5.93	1.68
12	दौसा	345	400	568	1394.74	1375.00	1.62	1.10	3.17	11.79	5.50
13	धौलपुर	580	864	1042	2467.00	1499.00	4.43	5.50	7.74	14.51	9.31
14	डूंगरपुर	1871	1412	710.198	866.87	1260.00	10.81	9.19	6.221	7.67	10.83
15	गंगानगर	704	610	631.93	664.69	1321.73	4.99	6.10	6.602	4.44	8.50
16	हनुमानगढ़	752	608	992.13	1835.94	1578.00	6.07	4.48	4.115	11.68	11.75
17	जयपुर	780	1321	1211.28	1850.00	2800.00	3.26	10.66	7.873	8.45	12.55
18	जालौर	840	912	1355.38	1100.80	1468.95	5.27	7.49	9.4	7.38	5.02
19	जैसलमेर	754	1728	1350.36	1769.43	2952.00	4.40	10.59	10.91	10.76	17.70
20	झालावाड़	1010	734	753.55	781.21	1437.00	5.30	8.60	9.13	5.44	11.25
21	झुन्झुनूं	1082	1188	1837	1870.02	1510.00	6.49	7.13	12.076	12.53	12.85
22	जोधपुर	651	632	1021.46	2725.50	1417.00	3.02	3.44	2.35	5.10	3.99
23	करौली	1110	308	923.42	1060.00	709.00	5.28	1.87	5.06	7.40	2.90
24	कोटा	2121	500	735	1250.00	2136.00	11.35	5.47	5.56	8.40	9.56
25	नागौर	335	237	989.12	1490.00	2644.00	1.15	1.46	5.311	8.27	11.78
26	पाली	1357	783	776	1280.00	770.71	5.89	4.14	4.14	10.35	12.67
27	प्रतापगढ़	2438	1127	650	1700.00	2727.86	11.72	8.37	3.25	8.35	12.70
28	राजसमन्द	859	1150	495	445.00	550.00	4.08	1.48	4.033	1.85	3.58
29	सवाई माधोपुर	536	540	793.64	1460.00	1520.00	1.77	2.58	3.98	7.05	7.29
30	सीकर	1351	1487	1434.107	1941.88	2420.00	7.15	8.61	9.855	12.51	16.01
31	सिरोही	368	350	587.05	326.34	825.00	1.13	1.44	3.38	2.26	7.18
32	टोंक	260	212	1070.76	1192.00	2245.16	4.25	1.95	7.66	9.25	9.22
33	उदयपुर	3067	2732	2188.24	3756.34	8253.00	16.17	17.59	15.807	22.31	51.27
	कुल	**34798**	**28510**	**33511.32**	**45659.90**	**60585.05**	**203.56**	**179.64**	**215.23**	**269.38**	**353.57**

परिशिष्ठ–8

विभिन्न न्यायालयों में विचारधीन न्यायिक प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	विचाराधीन प्रकरणों की संख्या (दिनांक 10.01. 2023की स्थिति अनुसार)
1	सर्वोच्च न्यायालय	28
2	राष्ट्रिय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.)	11
3	उच्च न्यायालय जोधपुर	620
4	उच्च न्यायालय पीठ जयपुर	1081
5	सिविल सेवा अपील अधिकरण	159
6	अधीनस्थ न्यायालय	1757
7	अधिकरण न्यायालय	7
	योग	**3663**

परिशिष्ठ–9

नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन व जनलेखा समिति की प्रतिवेदनों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं.	01.04.2020 को बकाया		निस्तारण 2020–21		01.04.2021 को बकाया		निस्तारण 2021–22		01.04.2022 को बकाया		01.04.2022 से 31.12.2022 तक प्राप्त		31.12.2022 को बकाया	
	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा
सीएजी	1	4	–	2	5	14	3	9	2	15	3	17	2	15
पीएसी	5	55	1	14	7	40	6	23	2	47	–	–	–	–
ड्राफ्टपैरा	–	2	–	2	–	1	–	4	–	–	–	2	–	1
तथ्यात्मक विवरण	–	–	–	1	–	1	–	3	–	–	–	3	–	–

महालेखाकार प्रतिवेदनो एवं आक्षेपों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	01.04.2019 को बकाया		निस्तारण 2019–20		01.04.2020 को बकाया		निस्तारण 2020–21		01.04.2021को बकाया		निस्तारण 2021–22		31.12.2022 तक लम्बित	
महालेखाकार के आक्षेप	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा
	370	1620	14	131	349	1674	32	329	347	1498	0	0	380	1781

परिशिष्ठ–10

15 वीं राजस्थान विधानसभा संबंधित वन विभाग से सत्रवार पूछे गये प्रश्नों के प्रत्युत्तर प्रेषित किये जाने के कम में प्रगति विवरण (दिनांक 10.01.2023 तक)

विधान सभा/ सत्र संख्या	प्राप्त प्रश्नों/प्रस्तावों/आश्वासनों की संख्या	विधान सभा को प्रेषित जवाब की संख्या	राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित जवाब की संख्या	विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन जवाब की संख्या
(अ) तारांकित/अतारांकित एवं अंतःसत्र में पूछे गये प्रश्न				
सत्र–1	30	30	0	0
सत्र–2	131	131	0	0
सत्र–3	0	0	0	0
सत्र–4	132	132	0	0
सत्र–5	30	30	0	0
सत्र–6	154	154	0	0
सत्र–7	128	110	8	10
योग	**605**	**587**	**8**	**10**
(ब) विधानसभा प्रकिया एवं संचालन नियम 131/295 /97 अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव				
सत्र–1	3	3	0	0
सत्र–2	16	16	0	0
सत्र–3	0	0	0	0
सत्र–4	28	28	0	0
सत्र–5	3	3	0	0
सत्र–6	21	20	0	1
सत्र–7	38	33	0	5
योग	**109**	**103**	**0**	**6**
(स) आश्वासन की क्रियान्विति				
सत्र–2 (2019)	6	6	0	0
सत्र–4 (2020)	6	6	0	0
सत्र–6 (2021)	11	10	0	1
सत्र–6 (2022)	9	7	1	1
योग	**32**	**29**	**1**	**2**

नोटः 14 वीं राजस्थान विधानसभा (सत्र–1 से सत्र–11 तक) में वन विभाग से संबंधित प्राप्त समस्त 767 प्रश्नों के प्रत्युत्तर विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किये जा चुके हैं।

घर घर औषधि योजना की प्रगति वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)

क्र. सं.	जिला	पौध वितरण लक्ष्य		पौध वितरण उपलब्धि
		परिवारो की संख्या	पौधों की संख्या @ 8 पौधे प्रति परिवार	पौधों की संख्या
1	अजमेर	61446	491568	491568
2	अलवर	79583	636664	636664
3	बांसवाड़ा	45835	366680	366680
4	बारां	29986	239888	239889
5	बाड़मेर	56328	450624	450624
6	भरतपुर	53077	424616	424616
7	भीलवाड़ा	61988	495904	495904
8	बीकानेर	47906	383248	383428
9	बून्दी	27437	219496	219496
10	चित्तौड़गढ़	40938	327504	327504
11	चूरू	43488	347904	347904
12	दौसा	36400	291200	291213
13	धौलपुर	25423	203384	211442
14	डूंगरपुर	35073	280584	280584
15	गंगानगर	48153	385224	385224
16	हनुमानगढ़	41866	334928	305763
17	जयपुर	146216	1169728	1169728
18	जैसलमेर	14567	116536	116836
19	जालौर	40624	324992	324992
20	झालावाड़	35288	282304	282304
21	झुंझुंनू	47845	382760	382760
22	जोधपुर	80460	643680	643680
23	करौली	32678	261424	261424
24	कोटा	49154	393232	393232
25	नागौर	72034	576272	576269
26	पाली	52064	416512	416512
27	प्रतापगढ़	22279	178232	178232
28	राजसमन्द	30250	242000	242000
29	सवाईमाधोपुर	31714	253712	253712
30	सीकर	55381	443048	443048
31	सिरोही	25106	200848	270672
32	टोंक	33194	265552	265552
33	उदयपुर	77649	621192	621192
योग		**1581430**	**12651440**	**12700648**

हरित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान
वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।